खण्ड-226, अंक-9
बुधवार, 24 कार्तिक, शक संवत् 1883
(15 नवम्बर, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 226 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १५ नवम्बर, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खमानी सिंह, डाक्टर
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दरियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पल्लबराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री

मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ़ जाफ़री, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री

रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामभील, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण , श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराव, श्री

विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद बोल्दामी, श्री

सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--वित्त मंत्री, श्री हर गोविन्द सिंह तथा वन मन्त्री श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १५ नवम्बर १९६१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

मकान मालिक संघ के मेमोरेंडम पर विचार

१--श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)--क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुख्य मंत्री को उत्तर प्रदेश मकान मालिक संघ का कोई मेमोरेन्डम अक्तूबर, १९६१ में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करते हुये वह बतायेंगे कि उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--जी हां, उक्त मेमोरेन्डम की प्रतिलिपि मेज पर रक्खी जाती है। मेमोरेन्डम विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९३२ पर।)

२--श्री इन्दुभूषण गुप्त**--क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोई समिति मकान मालिकों और किरायेदारों के सम्बन्ध की समस्याओं की जानकारी कर उसका निराकरण करने के लिये बैठायी थी? यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखते हुये बताने की कृपा की जायगी कि उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी नहीं। सन् १९५२ के पश्चात् कोई समिति नहीं बैठाई गई।

प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री इन्दुभूषण गुप्त--क्या खाद्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो १९५२ में समिति बैठी थी उसकी क्या मुख्य-मुख्य सिफारिशें हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह समिति १९५२ में बनारसीदास जी की अध्यक्षता में बैठायी गयी थी। उसमें एक खास बात तो यह कही गयी थी कि यह ऐक्ट ठीक हेड लाइन्स पर नहीं रखा गया है। इसे ठीक तरह से रखा जाय। दूसरी बात यह थी कि रीजनेबिल रेंट की क्या परिभाषा हो, वह म्युनिसिपल असेसमेंट पर निर्धारित किया जाय जो १९४२ में था। एक बात यह थी कि ऐडवाइजरी कमेटी को ऐडवाइजरी न रख कर स्टैटुटरी बाडी माना जाय और उसकी सिफारिशें मैंडेटरी हों। एक बात यह थी कि लेटिंग का मामला उसमें न रहे। आम तौर से लैंड लार्ड को इजाजत दे दी जाय। केवल सरकारी आवासों की आवश्यकता के लिये कंट्रोल रखा जाय। कुछ लोगों का यह भी सुझाव था। ये सुझाव अभी काम में नहीं लाये गये हैं।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---इन सभी को काम में न लाने का कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस बीच में जो संशोधित ऐक्ट लाना चाहते थे, उसमें प्राथमिकता लेजिस्लेचर में नहीं मिल पायी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या यह बात सही है कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई काम्प्रिहेंसिव बिल बना कर लाने की सोच रही थी और अभी तक वह ला नहीं सकी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, लाना चाहती थी। मैंने कहा कि प्राथमिकता नहीं मिल पायी क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण बिल लेजिस्लेचर के सामने थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९६१ में जो मेमोरेंडम मकान मालिक संघ की ओर से दिया गया था उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---एक तो यह है कि रेंट ऐंड एविक्शन ऐक्ट बिलकुल अपनी यूटिलिटी आउटलिव कर चुका है । अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इस रूप में जिस रूप में है। दूसरे उन्होंने यह लिखा है कि कुछ इंटेरिम रिलीफ दी जाय। उसमें यह भी है कि नानरेजिडेंशल परपजेज के मकानों पर से कंट्रोल लिफ्ट कर दिया जाय। दो चार यही खास बातें थीं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१---**कुंवर श्रीपाल सिंह** (जिला जौनपुर)---[३० अगस्त, १९६१ को अल्पसूचित प्रश्न ८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

गिरधारी पुरवा व हड्डीगंज की हरिजन पाठशालाओं का अनुदान बन्द होना

*२---**श्री नत्थाराम रावत** (जिला बाराबंकी)---दिनांक २ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न १३ के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी की रिपोर्ट पर गिरधारी पुरवा तथा हड्डीगंज हरिजन पाठशालाओं का अनुदान देना बन्द कर दिया गया है, और वह रिपोर्ट कहां है ?

हरिजन कल्याण राज्य-मंत्री (डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी)---रिपोर्ट किसी अधिकारी द्वारा नहीं की गई । एक सम्मानित व्यक्ति के यह कहने पर कि इन विद्यालयों का काम सुचारु रूप से नहीं चल रहा है, यह आवश्यक हो गया कि अनुदान दिये जाने के पहले जांच करा ली जाय, जिससे जनता के धन का दुरुपयोग न हो । क्योंकि यह रिपोर्ट मौखिक थी, इसका कोई रिकार्ड नहीं है ।

*३---**श्री नत्थाराम रावत**---क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्युक्त पाठशालायें जब से चालू की गई हैं तब से अब तक सुचारु रूप से चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन पाठशालाओं का जो अनुदान रोक दिया गया है शीघ्र से शीघ्र दिलाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---उचित जांच के पश्चात् जब निदेशक, हरिजन कल्याण को संतोष हो गया कि पाठशालायें ठीक ढंग से चल रही हैं तो उन्होंने १ अगस्त, १९६१ को अनुदान पाठशालाओं को दे दिये जाने के आदेश दे दिये ।

श्री नत्थाराम रावत---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित व्यक्ति का क्या नाम था और उनका पाठशाला से क्या संबंध था ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---नाम तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन यह एक विधायक महाशय थे जिन्होंने यह शिकायत की थी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गिरधारीपुरवा तथा हड्डीगंज हरिजन पाठशालाओं का जो अनुदान पहले बन्द कर दिया गया था यह अनुदान क्या सरकार से ही दिया जाता था अथवा किसी ट्रस्ट कमेटी की मार्फत ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---इसका तो कोई सवाल है नहीं। जिस कायदे के मुताबिक दिया जाता है उसी कायदे के मुताबिक उनको भी बराबर दिया गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, अगर उनके पास उत्तर नहीं है तो वह सूचना मांग सकते थे। मैंने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर मुझे नहीं मिला। मेरा प्रश्न यह है कि इन पाठशालाओं को जो अनुदान मिलता था वह डाइरेक्ट हरिजन कल्याण विभाग से मिलता था अथवा किसी ट्रस्ट की मार्फत ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---इसकी कोई इत्तला इस वक्त तो मेरे पास है नहीं। मैं सूचना चाहता हूं।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या हरिजन कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह अनुदान अभी तक क्यों नहीं दिया गया ? क्या प्रश्नकर्ता ने जब सवाल किया तब इसकी जांच की गई और अनुदान देने को कहा गया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---इसके लिये आर्डर दे दिया गया था और अनुदान दे दिया गया होगा। पहली अगस्त को यह ठीक कर दिया गया था और कह दिया गया था कि दे दिया जाय।

सीतापुर में सरायन का पुल

*४---**डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित) तथा **श्री मूलचन्द** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर शहर में सरायन नदी पर एक पक्का पुल बना है ? यदि हां, तो उसकी लागत कितनी है और इसको बने कितने दिन हुये ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---प्रथम भाग---जी हां।

द्वितीय भाग---लगभग ५ लाख रुपये।

तृतीय भाग---लगभग १७ माह।

*५---**डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा** (अनुपस्थित) तथा **श्री मूलचन्द** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस पुल का कुछ हिस्सा गिर गया है या उसमें दरार पड़ गई है ? यदि हां, तो उसका निरीक्षण करने लखनऊ से कोई इंजीनियर गये हैं या नहीं ?

श्री गिरधारी लाल---प्रथम भाग---जी नहीं। इस पुल का न तो कोई भाग गिरा है और न कोई दरार आई है। केवल पुल की ऊपरी सतह में कहीं-कहीं ढीली कंक्रीट दृष्टिगोचर हुई।

द्वितीय भाग---इस पुल का निरीक्षण करने अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ वृत तथा अधिशासी अभियंता सेतु डिजाइन खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग गये थे।

*६---डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (अनुपस्थित) तथा श्री मूलचन्द (अनुपस्थित) ---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो इंजीनियर इसकी जांच करने गये हैं उनकी रिपोर्ट के अनुसार यह पुल काफी मजबूत है और इसके गिरने की कोई सम्भावना नहीं है ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां।

सार्वजनिक निर्माण विभाग से नक्शे व कागजात गायब होने की जानकारी

*७---कुंवर श्रीपालसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि कुछ समय पूर्व पी०डब्लू०डी० विभाग से कुछ महत्वपूर्ण सड़कों तथा पुलों के नक्शे तथा उनसे सम्बन्धित कागजात गायब हो गये हैं ? यदि हां, तो कितने तथा वे कहां-कहां की सड़कों और पुलों के हैं और किसके द्वारा गायब किये गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल---ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

कानपुर जिले में नव निर्माण-कार्य

*८---श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले के कौन-कौन से नव निर्माण के कार्य पूरे होंगे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिये गये थे ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)---सूचना एकत्र की जा रही है।

*९---श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त नव निर्माण के कार्य किन-किन तारीखों में आरम्भ किये गये, उनके पूरा होने की तिथि क्या थी और यदि वह अब भी पूरे नहीं हो पाये तो उसका कारण क्या है ?

श्री धर्मसिंह---सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मोती लाल अवस्थी---श्रीमन्, मैं जरा आपका ध्यान आकर्षित करूं कि इसमें केवल सूचनायें जो मांगी गई थीं वह वही हैं जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की चीजें चालू रहेंगी। तो यह सूचनायें केवल ऐसी हैं कि जो दफ्तर से ही हासिल की जा सकती हैं और श्रीमन्, यह सवाल ढाई महीने पहले का है बल्कि करीब तीन महीने होने को आ गये और अब सरकार का जवाब यह मिल रहा है। तो आप ही निर्णय कर दें कि सदन भी अब नहीं बैठने वाला है और आपने कल भी निर्णय दिया है कि ऐसे सवालों के जवाब हमको मिलेंगे तो क्या मैं भी आशा करूं कि जो सूचना एकत्र की जा रही है यह पूरी सूचना हमको औपचारिक रूप से मिल जायगी ?

श्री अध्यक्ष---माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृपया बतावें कि दो महीने हो गये और सूचना अभी तक क्यों नहीं प्राप्त हुई, बल्कि तीन महीने हो गये।

श्री धर्मसिंह---श्रीमन्, यह प्रश्न अल्पसूचित रूप में ७ अगस्त को दिया गया था। उस वक्त अल्पसूचित इसको नहीं माना गया और उसके बाद में यह ९ अगस्त को रख दिया गया। १८ अगस्त को इसके बारे में सूचना मंगाने की कोशिश की गई। दो तीन रिमाइन्डर दिये, लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। थोड़ी बहुत जो कुछ सूचना प्राप्त हुई उससे सरकार सन्तुष्ट नहीं थी, उसमें तिथियां वगैरह इस तरह की थीं कि उत्तर अधूरा रह जाता था। तो इसके लिये हमें खेद अवश्य है कि प्रयत्न करने के बाद भी पूरा उत्तर प्राप्त न हो सका।

श्री अध्यक्ष---तो आप ऐसा करें कि जब पूरी सूचना आ जाय तो माननीय सदस्य के पास उसे भेजवाने की कृपा करें। एक तो बात यह और दूसरी बात यह कि कई दफा ऐसा होता है कि दो-दो तीन-तीन महीने इस तरह हो जाते हैं तो कुछ वहां के स्थानीय अधिकारी जो हैं सदन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका महत्व उनको बता देना चाहिये, कुछ तंबीह देकर, तब प्रश्नों का महत्व उन्हें मालूम होगा कि इसका बहुत अधिक महत्व है। मैं समझता हूं कि यह उचित होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---एक बात आप सुन लें। यह प्रश्न ऐसे हैं कि उनके उत्तर के अन्दर बहुत रहस्य निकलने वाला है। इस वजह से उत्तर देने में आनाकानी की जा रही है। हालत यह है कि इनकी तिथियों को देखते हुये यह काम बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिये था लेकिन अब भी पूरा नहीं किया जा रहा है। पैसा लोग खा पी रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---आप इन बातों को खुले आम रख सकते हैं। ऐसा समय आ रहा है।

रजिस्ट्रेशन विभाग में क्लर्कों की नियुक्ति

*१०---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रजिस्ट्रेशन विभाग में प्रदेश भर में वैतनिक तथा अवैतनिक अपरेन्टिस क्लर्क बिना इम्तहान के किस-किस जिले में नियुक्त हैं ?

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रेशन विभाग में किसी वैतनिक अथवा अवैतनिक अपरेन्टिस क्लर्क्स की नियुक्ति नहीं की जाती है और न अपरेन्टिस क्लर्क्स की कोई जगह इस विभाग में है। इसलिये बिना इम्तहान के उनकी नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि अभी पिछली-बार प्रांतीय सरकार ने आजमगढ़, झांसी, कानपुर और जौनपुर में कई जगहों पर जो क्लर्कों की नियुक्ति की क्या वह अस्थायी नियुक्ति हुई या लीव वेकेन्सी में नियुक्ति हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

धौलछीना-कनारीछीना-गनाई मोटर मार्ग निर्माण की प्रार्थना

*११---**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)---क्या कंजरवेटर कुमायूं वन वृत्त को धौलछीना-कनारीछीना-गनाई वन मोटर मार्ग बनाने की बाबत मेरे तथा अन्य लोगों के पत्र पिछले ४ सालों में बराबर प्राप्त हुये थे ? अगर हां, तो क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि धनाभाव के कारण P. W. D. विभाग भी इसे तृतीय योजना काल में नहीं बनाने जा रहा है ?

वन राज्य मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)---जी हां। अरण्यपाल, कुमायूं वृत्त, को प्रार्थना-पत्र मिले थे। धौलछीना-कनारीछीना-गनाई मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की तृतीय पंचवर्षीय योजना अथवा किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या वन मंत्री जी को ज्ञात है कि उनके अरण्यपाल ने उन पत्रों को यहां भेज दिया यह कहकर कि वन के प्वाइंट आफ व्यू से यह सड़क महत्वपूर्ण है लेकिन चूंकि तीसरे प्लान में पी०डब्लू०डी० ने इसको शामिल कर दिया है लिहाजा हम इसको नहीं बना रहे हैं। अब उनके उत्तर को देखते हुये क्या मन्त्री महोदय फिर इसको शामिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री---इस सड़क के महत्व के बारे में कोई विवाद नहीं है। प्रश्न यह है कि यह सड़क अश्व मार्ग है जो सार्वजनिक विभाग के अन्दर आता है। वही इसको बना सकते हैं। वन विभाग इस सड़क को नहीं बना सकता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस क्षेत्र में दूसरी पंचवर्षीय योजना में २० मील सड़क बननी थी फोरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लेकिन वह बनी नहीं जब कि ८,१० मील ही है। तो इस बात को देखते हुये कि बन के लिये यह महत्वपूर्ण है इसको लेने की कृपा करेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री---इस पर पूरेतौर पर विचार किया गया है। इस सड़क का महत्व केवल यह है कि बन में यह दो मील पड़ती है और ४ मील बन के किनारे पर पड़ती है और बाकी सब बाहर की तरफ पड़ती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ही उसको बना सकता है क्योंकि उसमें पुल वगैरा का जो बनाने का काम है वह हाइली टेक्नीकल काम है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग ही कर सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन विभाग के लिये इस सड़क के महत्व को देखते हुये वे अपने विभाग के द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस सड़क का निर्माण करायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---यह तो मेरे और शास्त्री जी के बीच की बात है।

श्री अध्यक्ष---इतना आप बतला दीजिये कि क्या आप इसको प्राथमिकता देना चाहते हैं ?

श्री गिरधारी लाल---इस वक्त मैं इसका उत्तर क्या दूं। यह सरकार के बीच की बातें हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर के समीप राप्ती के पुल को कथित आंशिक क्षति

*१---**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर शहर के समीप राप्ती नदी पर जो पुल बन रहा है उसका सातवां नम्बर का खंभा फट गया है, जिसके ऊपर सीमेंट लगाकर दरार बन्द की जा रही है ? यदि हां, तो क्या वह उक्त खंभे के फटने के कारण बतायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---इस पुल के सातवें खम्भे को कोई क्षति नहीं पहुंची है।

*२---**श्री अमरनाथ** (अनुपस्थित)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री उपर्युक्त पुल के उक्त फटे हुये खंभे की तत्काल किसी बड़े अधिकारी द्वारा जांच करा के जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---प्रश्न हीं नहीं उठता।

अलीगढ़ तथा अन्य अपराध निरोधक समितियों को अनुदान

*३---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)---क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति (जिसके कि वे अध्यक्ष हैं) को सरकार प्रतिवर्ष कितना अनुदान किस-किस व्यय के लिये देती है ?

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)---वांछित सूचना तालिका में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९३३ पर)

*४--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या यह सत्य है कि जिला अपराध निरोधक समिति, अलीगढ़, को पिछले दो वर्षों से कोई अनुदान नहीं दिया गया है ? यदि दिया गया है, तो कितना-कितना प्रत्येक वर्ष में दिया गया है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--जिला अपराध निरोधक समिति अलीगढ़ को पिछले दो वर्षों अर्थात् १९५९-६० एवं ६०-६१ में क्रमशः ७५ रु०, १२५ रु० के अनुदान उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति द्वारा दिये गये ।

*५--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार जो आर्थिक सहायता इस समिति को देती है उसके निरीक्षण की सरकार की ओर से क्या व्यवस्था है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के लेखे का निरीक्षण प्रति वर्ष परीक्षक स्थानीय निधि लेखा द्वारा किया जाता है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिला अपराध निरोधक समिति को १९६०-६१ में कोई अनुदान मुक्त बंदी शिविर के लिये क्यों नहीं दिया गया जबकि पिछले साल में २,००० रुपया दिया गया था ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--राज्य के स्तर पर जो गैरसरकारी समिति बनी हुई है उसको अधिकार है कि वह जितना उचित समझे उतना अनुदान वह उनको दे ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार जितना अनुदान समितियों को देती है उसका ठीक-ठीक व्यय हुआ है या नहीं इसे देखने के लिये सरकार की क्या व्यवस्था है और उसका नियंत्रण किस प्रकार होता है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--मैंने अभी निवेदन किया कि जो पैसा समितियों को जिला स्तर पर दिया जाता है उसके व्यय की जांच वहां के निरीक्षक द्वारा की जाती है और जब पिछले वर्ष की जांच रिपोर्ट आ जाती है तब वह समिति आगे के लिये अनुदान देती है ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि समिति को पिछले वर्षों में जो अनुदान दिया गया है क्या उन्होंने किसी विशेष कार्य में उसे व्यय किया है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रामदास आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पिछले दो सालों में अनुदान दिया गया है उसका निरीक्षण किया गया है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--जी हां ।

राजकीय गर्ल्स इंटर कालेज, प्रतापगढ़ की कक्षा ६ में भरती

*६--श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि राजकीय गर्ल्स इंटर कालेज, प्रतापगढ़ की कक्षा ६ में जुलाई, १९६१ से आरम्भ होने वाले शिक्षा सत्र के प्रथम सप्ताह में हरिजन छात्राओं को न भरती करने की शिकायतें जिला हरिजन कल्याण अधिकारी प्रतापगढ़ एवं सरकार के पास आयी हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई परन्तु हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़ को एक छात्रा के भरती न करने की शिकायत मिली । उनके विद्यालय की प्रधानाचार्य से लिखा-पढ़ी करने के फलस्वरूप १४ जुलाई को उक्त छात्रा का कक्षा ६ में प्रवेश हो गया ।

*७—श्री रामकिंकर (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९६१ ई० को किन-किन तारीखों में कितनी छात्राओं का दाखिला उपर्युक्त कालेज का कक्षा ६ में किया गया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—छात्राओं का प्रवेश निम्न प्रकार हुआ :—

१० जुलाई १९६१	..	..	..	३२
११ ,,	..	,,	,,	२
१३ ,,	..	,,	,,	१२
१४ ,,	..	,,	,,	२
२० ,,	..	,,	,,	१
२१ ,,	..	,,	,,	१
२२ ,,	..	,,	,,	१
२७ ,,	..	,,	,,	१
	कुल	..		५२

हरिजन कल्याण विभाग, आजमगढ़ के कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रार्थना

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के हरिजन कल्याण विभाग में काम करने वाले कितने सुपरवाइजर, लिपिक तथा चपरासियों को १ मार्च, १९६१ को सेवा मुक्ति की नोटिस प्रदान की गई तथा क्यों ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—चार सुपरवाइजर एक लिपिक तथा एक चपरासी को सेवा मुक्ति की नोटिस, दी गई। ये नोटिसें जिला नियोजन अधिकारी द्वारा एहतियातन इसलिये दी गई थी कि इनकी नियुक्ति ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष तक के लिये थी।

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारियों की सेवा मुक्ति के लिये सरकार की ओर से कोई आदेश था ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी नहीं।

*१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या समाज कल्याण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सेवा मुक्ति वाले कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों की पुर्नानियुक्ति की गई और कितने की नहीं की गई ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—सभी की पुर्नानियुक्ति कर दी गई थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या समाज कल्याण मंत्री बतलायेंगे कि यह कर्मचारी कितने वर्षों से काम कर रहे हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—यह साल भर के लिये थे और साल-साल भर के लिये होते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं यह जानना चाहता था कि हर साल तो इनको नोटिस दिया जाता है, लेकिन यह कितने सालों से विभाग में काम कर रहे हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इस के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि इन कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति हो सके ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—अभी इसका कोई सवाल नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कारण क्या है उनके सामने जिसकी वजह से इस तरह का कोई सवाल नहीं है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—यह तो डिपार्टमेंट ही इसी तरह से चल रहा है ।

लाख लगाने की स्कीम

*११—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वन विभाग ने १९५१ में जो लाख लगाने की स्कीम बनाई थी उसे कहां-कहां चलाया गया था तथा अब तक इसमें कितना लाभ या हानि रही ? यदि हानि रही तो उसका कारण क्या है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—सन् १९५१ में यह स्कीम अवध वन खंड में प्रारम्भ की गई थी । बाद में इस स्कीम को हल्द्वानी, लैन्सडाउन, उत्तर खीरी, बांदा, बुन्देलखंड, वाराणसी, सोल तथा दुधि वन खंडों में चलाया गया । इस स्कीम को चलाने में केवल २,२६,६५७ रुपये की हानि रही । स्कीम के सफल न होने के कारणों की जांच करने के लिये लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट (Lac Research Institute), रांची के एक विशेषज्ञ से प्रार्थना की गई है तथा उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने यह सब जिले जो इसमें लिखे हैं, जिलों के नाम हैं, या क्या हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—यह सब स्थानों के नाम हैं ।

श्री अध्यक्ष—तो यह बुन्देलखंड कौन-सा स्थान है । (हंसी)

श्री अलगूराय शास्त्री—बुन्देलखंड वन खंड के अन्तर्गत है । (हंसी)

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जांच के लिये कब लिखा गया है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—अभी हाल ही में लिखा है, ठीक तारीख तो याद नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—इस प्रश्न के पूछे जाने के बाद लिखा है या पहले ?

श्री अलगूराय शास्त्री—इसके पहले लिखा गया है क्योंकि हानि तो होती आ रही थी और उसके कारणों की जांच के लिये सरकार सतर्क थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उत्तर में जो उन्होंने "केवल" दो लाख २६ हजार की हानि का उल्लेख किया है उसमें "केवल" शब्द से सरकार क्या अर्थ सदन को बतलाना चाहती है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—श्रीमन्, मैंने केवल शब्द पर स्वयं बहुत जोर दिया और वह इस खयाल से कि ऐसी योजनाओं में अक्सर अधिक खर्च हो सकता है और फिर यह तो हमारा नया एक्सपेरीमेंट था, इसलिये यह शब्द लिखा गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस योजना में कुल कितना रुपया खर्च हुआ था ?

श्री अलगूराय शास्त्री—इसके लिये सूचना चाहिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विशेषज्ञों से जो राय मांगी गयी है वह सरकार ने किसी अधिकारी के बारे में राय मांगी है, या मंत्री जी ने अपने लिये मांगी है या अपने अन्डर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये ?

श्री अलगूराय शास्त्री---जो रिपोर्ट हम चाहते हैं वह वन विभाग के अपने एक्सपेरीमेंट के फेल्योर के कारणों को जानने के लिये है कि उसके क्या कारण हैं। वह वन विभाग के भी काम आयगी और माननीय सदस्यों के भी काम आयेगी। उस राय से सब को लाभ होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो विशेषज्ञ आये थे इनके लिये कितना कम्पेनसेशन देना तय किया गया है और वह कितने दिन के लिये तथा किस तरह दिया जायेगा ?

श्री अलगूराय शास्त्री---इसके लिये सूचना चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय वन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इस बात की जांच आगरा से की जा सकती थी, या बरेली से भी की जा सकती थी, तो रांची लिखने की क्या जरूरत पड़ी ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष---यह स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न नहीं है।

लखनऊ में ट्रेजरी हेड क्लर्क की नियुक्ति

*१२---**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जी०ओ० नं० १७५२ एक्स-१०४(२) १९५७, दिनांक २६ अप्रैल, १९६० के पैरा १० में ट्रेजरी हेड क्लर्क के स्थान पर केवल दफ्तर खजाने के क्लर्कों की नियुक्ति के आदेश दिये गये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---उक्त जी०ओ० के पैरा १० में ट्रेजरी हेड क्लर्क के स्थान पर नियुक्ति के लिये निम्नलिखित आदेश दिये गये थे---

Pending finalization of service rules for the treasury ministerial staff, promotion to the post of Treasury Head Clerk will be made among senior subordinate clerks who are borne on the divisional list for promotion as Treasury Head Clerk on the date of the issue of this Government Order, irrespective of the fact whether they are working in the Treasury or in the Collectorate. Vacancies in the divisional list for promotion to the post of Treasury Head Clerk will, however, be thereafter filled only from among the senior treasury clerks.

*१३---**श्री सजीवनलाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिले में बजाय खजाने के क्लर्कों के ट्रेजरी हेड क्लर्क के पद के लिये कलेक्टरी के एक क्लर्क का नाम कमिश्नर लखनऊ डिवीजन ने चुन लिया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह---आयुक्त, लखनऊ मण्डल ने और व्यक्तियों के मामले के साथ साथ श्री अब्दुलवली के मामले पर भी विचार किया। यद्यपि चुनाव (Selection) के दिन श्री वली खजाने में कार्य नहीं कर रहे थे परन्तु उन्हें खजाने के कार्य का १२ वर्ष का अनुभव था इस कारण उनके मामले पर विचार किया गया। श्री वली ने खजाने में कार्य करने की सहमति भी प्रकट कर दी है।

*१४-१६---**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)---[१६ नवम्बर, १९६१ के लिये प्रश्न १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

अयोध्या के निकट सरयू के पुल का ठेका

*१७--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या नगर के पास सरयू नदी पर पुल बनाने के लिये ठेका किसे दिया गया था और किस शर्त पर ?

श्री धर्मसिंह--प्रथम भाग--मैसर्स गैमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ।

द्वितीय भाग--ठेके की शर्तों की एक प्रति *संलग्न है ।

*१८--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उस पुल का नक्शा व उसके व्यय का अनुमान किसके द्वारा बनवाया गया था और अब उस पर कार्य न होने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह--प्रथम भाग--सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ।

द्वितीय भाग--विभागीय डिजाइन पर इस लिये कार्य नहीं किया गया क्योंकि उपरोक्त कंपनी के आर०सी०सी० डिजाइन का टेंडर विभागीय आर०सी०सी० डिजाइन पर आधारित टेंडर से सस्ता था ।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपया करेंगे कि जिस कम्पनी के तखमीने और नक्शे के अनुसार पुल बनवाने का निर्णय अब सरकार ने किया है तो क्या साधन और आंकड़ा सरकार के पास है इसको जांचने के लिये कि कम्पनी के नक्शे द्वारा बनाया हुआ पुल मजबूत और पायदार होगा ?

श्री गिरधारीलाल--उसके पास पूरी मशीन है । जितने एक्सपर्टस हैं वह कम्पनी के डिजाइन को देख चुके हैं और उनका कहना है कि यह पुल सही है और हमारे पुल से मजबूती में कम नहीं है ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--जब यह तरीका सही है तो और निर्माण कार्यों के लिये इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता ?

श्री गिरधारीलाल--यह कोई जरूरी नहीं कि हर जगह एक ही पुल काम करें । अलग-अलग जगहों का अलग-अलग स्ट्रेटा है, जमीन की और पानी के बहाव की कंडीशन अलग अलग होती है तो इन सब चीजों को देखते हुये टेंडर मांगे जाते हैं और जो डिजाइंस जिस जगह सूट करते हैं और इस्तेमाल किये जा सकते हैं वह किये जाते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--इस पुल का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ है और कब तक उसके पूरा हो जाने की संभावना है ?

श्री धर्मसिंह--२५ मई, १९६१ को इसकी स्वीकृति हुई है और जहां तक काम इत्यादि का संबंध है, फिलहाल मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)--यह पुल पहले बन रहा था, किस कारण से यह बन्द कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--बनने के बारे में वह कहते हैं कि जानकारी नहीं है ।

श्री देवीप्रसाद मिश्र--वह पहले बन रहा था ।

श्री अध्यक्ष--यह तो आप दे रहे हैं जानकारी । प्रश्न पूछिये ।

---

*प्रति छापी नहीं गई ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---इस पुल को बनाने के लिये और किसी कम्पनी ने कोई आवेदन-पत्र दिया था ?

श्री धर्म सिंह---जी हां, और कम्पनियों ने भी टेंडर इत्यादि भेजे थे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या यह सही है कि जो तारीख उन्होंने बालावली पुल के स्वीकृत किये जाने की, उसके दो या डेढ़ साल पहले से पुल बन रहा था ?

श्री गिरधारी लाल---वास्तव में सदस्य महोदय को गलतफहमी हो रही है । दो चीजें हैं । एक तो अप्रोचेज और गाइड वर्क और साथ ही साथ पुल । जहां तक अप्रोचेज और गाइड वर्क का सवाल है, वह काम तो पहले से हो रहा था और पुल का काम अलग है जिसके टेंडर वगैरह और डिजाइंस अलग से मंजूर किये गये ।

[१५ नवम्बर, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सूचना विभाग से प्रकाशित पुस्तक में नाना साहब सम्बन्धी पत्र का प्रकाशन

*१---**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूचना विभाग द्वारा डाक्टर एम० एल० भार्गव, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हाइर सेकेंडरी स्कूल अलीगढ़, द्वारा लिखित कोई पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें एक पत्र प्रकाशित हुआ है जो कहा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब ने १८७१ में किसी को लिखा था, जिसमें यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि नाना साहब क्रांति की असफलता के बहुत दिन बाद तक जीवित रहे ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---जी हां ।

*२---**श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)---क्या सरकार इस विषय में प्राप्त सभी सामग्री से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री रऊफ जाफरी---विभाग के पास कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है । लेखक से सम्पर्क स्थापित किया गया, उनका कथन है कि जिस सामग्री का उन्होंने उपयोग किया था उस सबका उल्लेख पुस्तक में उन्होंने कर दिया है ।

एरिच घाट पुल निर्माण के लिये प्रार्थना

*३---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर झांसी जिले के निकटतम मुख्य व्यापारिक केंद्र होने के कारण झांसी जिले के मुख्य कस्बे एरिच, गुरुसराय, गरोठा (तहसील), रानीपुर, मऊरानीपुर (प्रसिद्ध व्यापारिक मंडी), ललितपुर (सब-डिवीजन) तथा महरोनी में अन्य मार्गों की अपेक्षा माल व जनता के यातायात में फासले की कमी, किराये में किफायत व समय की बचत तथा सुविधा और व्यापारिक उन्नति के विचार से एरिच घाट पर जिस पुल का निर्माण कराना वह अनिवार्य समझती है क्या उसके लिये वह कई वर्षों से बजट में निरन्तर प्रावीजन करती आ रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री धर्मसिंह---प्रथम भाग---जी हां ।

द्वितीय भाग---१९५८-५९ से ।

*४---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त एरिच, गुरुसराय, रानीपुर, महरोनी टाउन एरिया कमेटियों व मऊरानीपुर तथा ललितपुर म्युनिसिपल बोर्ड उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार से उस योजना को अविलम्ब कार्यान्वित करने के लिये प्रस्तावों द्वारा सन् १९५९-६० से निरन्तर अनुरोध कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह---जी हां ।

*५---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार को पता है कि उसके अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार रेत के कारण उक्त घाट पर पुल के अलावा नौका व पैन्टून ब्रिज उपयोगी नहीं हो सकते ? यदि हां, तो उसके पास उक्त रिपोर्ट कब आयी थी और वह पुल को बनवाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---प्रथम भाग---जी हां ।

द्वितीय भाग---अगस्त, १९६१ में ।

तृतीय भाग---पक्के पुल के निर्माण का आयोजन करना इस समय संभव नहीं है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी घाट के महत्व को तथा जनता की पुरानी मांग का विचार करते हुये उस पुल को जल्दी बनवा देने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---हमारे पास इस समय धन की कमी है । इस पुल में ३५-४० लाख रुपया लगने की संभावना है, इसलिये धनाभाव के कारण इस समय संभव नहीं है ।

बाबरपुर-फफूंद सड़क की मरम्मत

*६---**श्री भजनलाल**---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत जो सड़क कस्बा बाबू बाबरपुर से फफूंद को गई है उस पर सेंगर नदी के पुल जुआ पर हर साल बरसात के दिनों में सड़क विध्वंस हो जाया करती है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां ।

*७---**श्री भजनलाल**---यदि हां, तो उसकी मरम्मत में अर्सा तीन साल से कुल कितना रुपया व्यय किया गया है ?

श्री धर्मसिंह---बाबरपुर-फफूंद श्रमदान सड़क १९५९ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रख-रखाव हेतु ली गई थी । कथित पुल के पास एप्रोचेज की मरम्मत में १९५९-६० व १९६०-६१ में कुल १९९६ रुपये व्यय हुये ।

*८---**श्री भजनलाल**---क्या सरकार शीघ्र ही उस पुल के पास दो बड़ो-बड़ी और पुलियां बनवा कर सड़क को विध्वंस होने से बचाने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---ऐसी कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री भजनलाल---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है तो मेरी इस सूचना द्वारा फिर ऐसी योजना बना करके उस पुल को बनाने के लिये आप कष्ट करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---यदि हमारे पास धन उपलब्ध हुआ तो विचार किया जा सकता है फिलहाल हमारे पास धन नहीं है इसलिये इसको नहीं लिया जा सकता ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या यह सही है कि यह जो पुल बना हुआ था वह बरसात में टूटा और उसके लिये सरकार को एप्रोच बनाने में कुछ रुपया खर्च करना पड़ा ?

श्री धर्मसिंह---इसमें पुल बनाने का सम्बन्ध नहीं है । प्रश्न ८ में कहा गया है कि पुल बनवाकर जो सड़क टूट जाती है उसको बचाने की कोशिश की जायगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं एप्रोचेज़ की बात कर रहा हूं ।

श्री धर्मसिंह---एप्रोचेज (रोड्स) की मरम्मत की जाती है। प्र०सं० ७ में निवेदन किया है कि धन भी खर्च किया गया है।

श्री भजनलाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सेंगर नदी के पुल के अलावा जो एक छोटी पुलिया और पास बनी हुई है उस पुलिया के पास अगर दो छोटी छोटी पुलियां और बना दी जायं तो वह सड़क विध्वंस नहीं होगी कभी भी ? मेरे पास ही वह पुल है, अगर दो पुलियां और बन जाती हैं तो सदैव के लिये सड़क नहीं टूटेगी। तो क्या सरकार इस सुझाव को मानकर उस पुल के पास दो छोटी छोटी पुलियां बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप यह सुझाव लिखकर भेज दें। यह समय प्रश्न पूछने का है, सुझाव देने का नहीं।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि हर साल जो सड़क बिध्वंस हो जाती है उसके बनवाने में कितना रुपया खर्च होता है ?

श्री धर्मसिंह---इसके आंकड़े मेरे पास नहीं है।

हरिजन छात्रों की फीस के संबंध में आदेश

*९---श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन छात्रों के लिये जो फीस माफ रहती थी, क्या उसके सम्बन्ध में हाल में कोई आदेश हाई स्कूल के बाद की कक्षाओं में फीस लगाने के लिये प्रदेश के सभी कालेजों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---पहले हाई स्कूल के बाद की कक्षाओं में हरिजन विद्यार्थियों की फीस विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा दी जाती थी परन्तु अब शासकीय सुविधा के लिये इस आशय के आदेश दिये गये हैं कि फीस विद्यालयों को न देकर छात्रवृत्ति के रूप में छात्रों ही को दी जाय और विद्यालयों को सूचित कर दिया गया है कि वह फीस का धन हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने पर वसूल कर लें।

"ग्राम आत्मा" पत्र को विज्ञापन न मिलने की शिकायत

*१०---आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)---क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ के साप्ताहिक पत्र 'ग्राम आत्मा' को सरकारी विज्ञापन देने बन्द कर दिये गये हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं। इस पत्र को सरकारी विज्ञापन नियमित रूप से दिये जा रहे हैं।

*११---आचार्य दीपंकर (अनुपस्थित)---क्या सूचना मंत्री को ज्ञात है कि "ग्राम आ मा" पत्र उन तमाम शर्तों को पूरा करता है जो विज्ञापन पाने वाले पत्रों द्वारा अपेक्षित हैं तथा मेरठ के तमाम साप्ताहिकों में उसका प्रकाशन सर्वाधिक है ?

श्री रऊफ जाफरी---जी हां, यह पत्र शासन द्वारा निर्धारित विज्ञापन सम्बन्धी शर्तों को पूरा करता है और इसका सर्कुलेशन भी नियमानुकूल है।

*१२---आचार्य दीपंकर (अनुपस्थित)---क्या सूचना मंत्री पूर्वोक्त साप्ताहिक को विज्ञापन देने पर फिर से विचार कर रहे हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

*१३–श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)––[हटा दिया गया ।]

बदायूं जिले के ब्लाक जगत में सीमेंट का कोटा

*१४––श्री टीकाराम (जिला बदायूं)––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं के ब्लाक जगत में मार्च सन् १९६१ से जून सन् १९६१ तक कितना सीमेंट का कोटा दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी––बदायूं जिले के ब्लाक जगत में मार्च सन् १९६१ से जून सन् १९६१ तक ३०० बोरी सीमेंट का कोटा दिया गया ।

श्री टीकाराम––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ३०० बोरी का सीमेंट का कोटा दिया गया उसके लिये पहले ब्लाक में कितने प्रार्थना-पत्र आये थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी––इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री टीकराम––क्या सरकार बतायेगी कि ३०० बोरी सीमेंट के जो आंकड़े हैं उसमें सिंचाई के कुवों का कोटा भी शामिल है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी––सब इसी में सम्मिलित है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी––क्या यह सही है कि जो ३०० बोरी सीमेंट दी गई वह प्रार्थना-पत्रों द्वारा मांगी गई सीमेंट का अल्प अंश थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी––कारण यह है कि जितनी सीमेंट आनी चाहिये थी उतनी नहीं आयी । सारे जिले के लिये ६,०६५ बैग्ज़ आय थे जिसमें इस ब्लाक के लिये ३०० बोरे पड़ते थे, हालांकि जरूरत ज्यादा थी । लेकिन अब नया कोटा जाने वाला है, उससे शायद उनकी मांग पूरी हो जाय ।

श्री जंगबहादुर वर्मा––यह सीमेंट का जो कोटा आया था इसमें कितना-कितना पानी पीने और सिंचाई के कुवों के लिये दिया गया और कितना मकान बनाने के लिये दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी––जो सीमेंट जाती है वह जिले भर का कोटा होता है, वह अलग अलग तहसीलों या ब्लाकों में बट जाता है, वह जिस काम के लिये चाहें इस्तेमाल करें।

श्री जंगबहादुर वर्मा––क्या सरकार को मालूम है कि जो सीमेंट आती है वह सेठों को मकान बनाने के लिये दी जाती है, किसानों को नहीं मिल पाती ?

श्री अध्यक्ष––यह सूचना आप मंत्री जी को दे दीजियेगा ।

कोंच–मऊ तथा कोंच–बंगरा सड़कों पर आमदोरफ्त में कठिनाई

*१५–श्री चित्तरसिंह निरंजन (जिला जालौन)––क्या सरकार को विदित है कि तहसील कोंच जिला जालौन के अन्तर्गत दो कच्छी सड़कें कोंच–मऊ और कोंच–बंगरा ऐसी हैं जिन में से एक एक नाला बीच में गुजर कर वर्षा ऋतु में आमद-रफ्त का रास्ता रोक देता है जिससे न केवल किसानों को अपने गल्ले को कोंच बाजार में लाने में असुविधा होती है वरन् मुकदमें वाले व्यक्तियों को अपने मुकदमों की पैरवी करने के लिये आने में बड़ी असुविधा होती है ?

श्री धर्मसिंह––जी हां ।

*१६--श्री चित्तसिंह निरंजन--क्या सरकार इन असुविधाओं को दूर करने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं ।

श्री चित्तरसिंह निरंजन---क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सड़कों पर कितने ही स्थानों पर ये नाले जाते हैं तथा उनसे निरन्तर खतरा बना रहता है ?

श्री धर्मसिंह---खतरा तो थोड़ा बहुत बना ही रहता होगा जब पानी इत्यादि आता है तो । लेकिन जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है, अन्तरिम जिला परिषद् ने जो रिकमेंडेशन्स भेजी थीं उनमें से किसी में भी इन सड़कों का नाम नहीं था, इसके लिये उनके बारे में सरकार के सामने कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चित्तरसिंह निरंजन---क्या सरकार बतायेगी कि क्या इस कठिनाई को दूर न करने का कोई कारण है ?

श्री धर्मसिंह---जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, सरकार की नीति यह है कि जो रिकमेंडेशन अन्तरिम जिला परिषद् सड़कों के बारे में भेजती हैं, उन्हीं पर सरकार विचार करती है । आज तक इन सड़कों के बारे में अन्तरिम जिला परिषद् ने कोई रिकमेंडेशन नहीं भेजी इसलिये विचार नहीं हो सकता ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना है कि जिस नालों का जिक्र प्रश्नकर्ता महोदय ने किया है वे पी०डब्लू०डी० की सड़कों से गुजरते हैं ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं, वे पी०डब्लू०डी० की सड़के नहीं हैं ?

अल्मोड़ा तथा कुमायूं में वन विभाग की ओर से लकड़ी व कोयले की सप्लाई

*१७--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट तथा श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---क्या सरकार ने अल्मोड़ा तथा कुमायूं में वन विभाग द्वारा चलाये गये लकड़ी व कोयलों की टालों को बन्द कर उनके स्थान में Food and Civil Supplies विभाग द्वारा लकड़ी व कोयले बेचे जाने की व्यवस्था की है ? अगर हां, तो क्यों, किसकी मांग पर ? क्या सरकार को ज्ञात है कि जनता इस परिवर्तन के पक्ष में नहीं है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---प्रश्न में उल्लिखित लकड़ी व कोयला सप्लाई की व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या सरकार बतायेगी कि इस समय जो लकड़ी और कोयला दिया जा रहा है उसकी व्यवस्था किसकी ओर से की जा रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---लकड़ी और कोयला कुमायूं वृत्त और पश्चिमी वृत्त से अल्मोड़ा रानीखेत, नैनीताल और भुवाली को दिया जाता रहा है । मांग बढ़ती जा रही है । इतनी सप्लाई कोयले की नहीं हो सकती इसलिये ऐसा सोचा गया है कि साफ्ट कोक की सप्लाई के लिये सप्लाई विभाग को कहा जाय कि वह अधिक करे । मैं इस प्रश्न को बहुत महत्व देता हूं क्योंकि खासतौर से जाड़े का मौसम आ रहा है । सरकार इस प्रश्न को शीघ्र ही हल कर देना चाहती है । सरकार उस कमी को साफ्ट कोक की सप्लाई से पूरा करना चाहती है क्योंकि वहां की जो डिमांड है लकड़ी और कोयले की वह वहां के कोयले से पूरी नहीं की जा सकती । दूसरी ओर सरकार वनों का सर्वनाश भी नहीं देख सकती । उस खतरे को वन विभाग नहीं उठाना चाहता ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार स्टार पेपर मिल को लकड़ी इसलिये देती है क्योंकि वह किसी काम नहीं आती, ऐसा सरकार की तरफ से कुछ काल पूर्व कहा गया था। इस पर कई बार बहस भी हो चुकी है लेकिन आज कहा जा रहा है कि लकड़ी की कमी है। तो फिर क्या जस्टीफिकेशन है स्टार पेपर मिल को लकड़ी देने का और दूसरी ओर सप्लाई विभाग से कहा जाय कि वह बाहर से कोयला मंगा कर वहां सप्लाई करे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—श्रीमन्, इंडस्ट्री की कास्ट पर चूल्हे में लकड़ी नहीं जलाई जा सकती जहां साफ्ट कोक से काम चल सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सच है कि फारेस्ट के बारे में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, उसने इस व्यवस्था के विरोध में, जो यह की जा रही है, अपनी सिफारिश की थी और वन विभाग के हाथ में ही इसके प्रबंध करने की जिम्मेदारी सौंपने की संस्तुति की थी ? क्या सरकार उस रिपोर्ट पर दुबारा विचार करेगी ?

श्री अलगूराय शास्त्री—वह सारा प्रश्न विचाराधीन है। किसी चीज़ को भी गैर ज़रूरी नहीं समझा गया है। सारा ही प्रश्न विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि हाल ही में वन विभाग की ओर से जिला अधिकारियों को यह आदेश भेजे गये हैं कि जो पुराना सिस्टम कोयला सप्लाई करने का है उसको बदल दिया जाय। तो फिर विचाराधीन कौन सा प्रश्न रह गया है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—अभी तक सप्लाई विभाग ने इन चीजों को अपने चार्ज में नहीं लिया है। कितने कोयले की ज़रूरत होगी और उसको कैसे सप्लाई किया जायगा, और उसमें सप्लाई विभाग कहां तक मदद कर सकता है, ये सारी चीजें सरकार के विचाराधीन है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—यह देखते हुये कि जाड़ा आ गया है और पहाड़ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते और वे केवल आग ताप कर जाड़ा बिताते हैं, तो माननीय मंत्री जी कितने महीने और लगायेंगे यह तय करने में कि वहां के लोगों को लकड़ी और कोयला आसानी से मिल जाय ? और अगर वे इंडस्ट्रीज को खतरे में नहीं डालना चाहते तो क्या वहां के लोगों को जाड़े में इंडस्ट्रीज को बचाने के नाम पर मार डालना चाहते हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—मैंने पहले ही यह कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाड़ा आ गया है और इस पर सप्लाई विभाग विचार कर रहा है और हम भी विचार कर रहे हैं और कठिनाई को दूर करने की व्यवस्था की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी या सिविल सप्लाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में इस वर्ष क्या व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि जाड़ा तो १५ अक्तूबर से ही नैनीताल में शुरू हो जाता है जबकि अब तो नवम्बर है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—चूंकि लकड़ी का कोयला इतना उपलब्ध नहीं है जिससे लोगों की मांग पूरी हो सके, इसलिये निश्चय किया गया है कि वहां साफ्ट कोट की दूकानें खोली जायें। तीन चार दूकानें तो खुल चुकी हैं और तीन चार दिन पहले एक और दूकान खोलने के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिख दिया गया है कि वे जगह बतलावे कि वे कहां उस दूकान को खोलना चाहते हैं। इसके अलावा जरूरत होने पर कुछ और भी दूकानें खोली जा सकती हैं जिससे वहां के लोगों को कोयला आसानी से मिल सके।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या बन विभाग या सप्लाई विभाग के मंत्री जी को ज्ञात है कि साफ्ट कोक वहां के कोयले से बहुत मंहगा पड़ता है जिससे वहां के लोग उसे खरीदने में असमर्थ

[श्री गोविन्दसिह विष्ट]

होते हैं ? यदि हां, तो इस बात को देखते हुये वन विभाग के मंत्री जी इस बात का प्रबंध करेंगे कि जैसे पुराने तरीके से वहां के लोगों को वहीं की लकड़ी या लकड़ी का कोयला दिया जाता था उसी तरह से वहां की लकड़ी को बाहर न भेज कर पहले वहीं के लोगों को दी जाय ?

श्री अलगूराय शास्त्री—लकड़ी के कोयले की कुल मांग इस समय १,३७,००० मन है तथा चार जगहों में इस समय कुल ८०,००० मन कोयला वन विभाग अपने सोर्स से सप्लाई कर रहा है और वह भी केवल कुमायूं वृत्त से नहीं बल्कि पश्चिमी वृत्त से भी लेना पड़ता है जो बहुत दूर पड़ता है और उसकी वजह से वह कोयला मंहगा पड़ता है। इससे वनों का नाश भी हो रहा है क्योंकि बन विभाग में जो लकड़ी है वह कोयला बनाने के काम आती है। तो इस बारे में यह बिलकुल आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि पुरानी प्रथा जारी रह सकेगी।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि पहले की व्यवस्था में जिस भांव से लकड़ी और लकड़ी का कोयला बेचा जाता था उसमें और आज की वर्तमान व्यवस्था में जो सप्लाई विभाग द्वारा सप्लाई हो रही है, इन दोनों के दामों में क्या अन्तर है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—श्रीमन्, कोयला है ४ रु० ४० नये पैसे प्रति मन, और लकड़ी है एक रु० २५ नये पैसे प्रति मन। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि इसी दर को कायम रखा जाय और हो सके तो सप्लाई विभाग द्वारा और सस्ते भाव पर उसे सप्लाई किया जाय यानी इसका रेट आगे बढ़ाया नहीं जायेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी आज कल या परसों कुमायूं डिवीजन के विधायकों से भी इस सम्बन्ध में कुछ परामर्श लेने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि शायद अभी तक उन्होंने वहां के विधायकों से कोई परामर्श नहीं लिया है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जो बात मुझे कहने को थी वह तो मैंने कह दी। फिर भी यदि सदन इसकी आवश्यकता समझता है तो जैसा आप आदेश देंगे उसका मैं पालन करूंगा।

श्री अध्यक्ष—मैं आदेश क्यों दूंगा, यदि आप जरूरत समझें तो उनका परामर्श ले लें ।

श्री अलगूराय शास्त्री—आप के हवाले से मैंने इसलिये कहा कि आप ही सुन रहे हैं और प्रश्नोत्तर हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—मैं कहता हूं कि मैंने आप को सजेस्ट कर दिया कि आप उनको चाय पर बुला सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, मेरा प्रश्न यह था कि जब पहले वन विभाग से लकड़ी व कोयला बेचने की व्यवस्था थी और उस के बाद सप्लाई विभाग के द्वारा हुई तो पहले के दामों में और अब के दामों में क्या अन्तर है ? उन्होंने केवल एक का ही बताया ।

श्री अध्यक्ष—वह साफ्ट कोक और लकडी के रेट्स का अन्तर जानना चाहते हैं।

श्री अलगू राय शास्त्री—दर है ४ रुपया ४० नया पैसा कोयला और १ रुपया २५ नया पैसा लकड़ी प्रति मन और अब जब सप्लाई विभाग को देंगे तो उन से भी कहेंगे कि वह इसी रेट पर बेंचे ।

हरिजन बस्तियां

*१८--**श्री अमरनाथ**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कहां-कहां हरिजन बस्ती बनायी जा रही हैं ?

*१९--**श्री अमरनाथ**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त हरिजन बस्तियों पर अलग-अलग कितना धन व्यय होगा और उसमें कितना केन्द्रीय सरकार तथा कितना प्रदेशीय सरकार व्यय कर रही है ?

*२०--**श्री अमरनाथ**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हरिजन विभाग को सरकार ने सन् १९६०-६१ ई० में अनुदान के रूप में तथा कर्जे के रूप में कितना-कितना धन दिया और विभाग ने कब अब तक कितना धन व्यय कर दिया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अमरनाथ--अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों को देखने से पता लगेगा कि यह प्रश्न ३०-८-६१ को स्थगित किये गये थे और उसके बाद अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर हो गया लेकिन अभी तक वह सूचना एकत्र नहीं हुई और अब यह सदन भी स्थगित होने जा रहा है, हमें नहीं मालूम कि वह कब तक एकत्र होगी और कब तक हमें सूचना दी जायगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--यह प्रश्न सारी स्टेट से ताल्लुक रखता है और अलग-अलग जगहों से जब तक ठीक सूचना न आ जाय नहीं बताया जा सकता है, कोई सूचना में कमी रह जाती है तो पूछना पड़ता है, कुछ जगहों से सूचना आ गई है और कुछ अभी आना बाकी हैं, इसलिये पूरे तौर पर अभी जवाब नहीं दिया जा सकता, जब सूचना एकत्र हो जायगी तो इस सेशन में नहीं तो दूसरे सेशन में जो लोग होंगे उन को सूचना दे दी जायगी ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या यह सही है कि सरकार की ओर से हरिजन बस्तियां नहीं बनाई गईं और इस को स्पष्ट कर देने से चूंकि उनके चुनाव पर बुरा असर पड़ता है इसलिये उत्तर नहीं दिया जा रहा है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस बात को ध्यान से रखते हुये कि इस प्रश्न का संबंध सारी स्टेट से है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में कितनी हरिजन बस्तियां बनाने का आयोजन है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो नया प्रश्न हो गया । लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि चूंकि यह बात आ गई कि सरकार की तरफ से हरिजन बस्तियां नहीं बनाई गईं या ऐसा इरादा ही नहीं है, इसलिये जितनी सूचना आपके पास आ गई है उतनी ही सूचना यदि आप कल दे दें कि कितनी बनाई जा चुकी हैं, कितनी अधूरी हैं । जो कुछ भी सूचना आ गई है वह कृपया आप कल दे दें और बाकी सूचना जिस वक्त आ जाय उस की प्रतिलिपि उनको भेज दें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--कृपया कानपुर के बारे में वह जरूर सूचना दे दें, क्योंकि वह वहां रहते हैं और रोज हम देखते हैं कि कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से कानपुर वह आते जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष--उसे वह दे देंगे ।

*२१--**श्री सुरथबहादुर शाह** (जिला खीरी) तथा **श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला-खीरी)--[२० नवम्बर, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।[

इटावा में जमुना के राजघाट पर इंजिन बोट चलाने का आयोजन

*२२---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा) तथा **श्री गंगाप्रसाद वर्मा** (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा में जमुना के राजघाट पर इंजिन द्वारा नाव चलाने की योजना काफी समय से जो विचाराधीन है वह किस कारण चा नहीं की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---इस घाट के लिये इंजिन द्वारा नाव चलाने की योजना सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है । नाव का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है । अगली बरसात में नाव चलाई जायगी । नाव के निर्माण में देरी के कारण यह अभी तक चालू नहीं की जा सकी ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अगली बरसात में जो नावें इंजिन स चलाई जायेंगी उनकी कितनी संख्या होगी ?

श्री धर्मसिंह---फिलहाल तो एक ही नाव का किस्सा है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह नावों का जो निर्माण हो रहा है उस निर्माण में कितना समय लगेगा ?

श्री धर्मसिंह---अब तो नाव बनकर तैयार हो गई और ज्यादा समय लगने का क्या प्रश्न है ? अब तो कोई आवश्यकता है नहीं नाव चलाने की, जब बरसात आयेगी तो उस वक्त चलाई जा सकेगी ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये इंजिन कब पहुंचा दिये गये थे, कितना टाइम हो गया और यह नाव कब तैयार हुई ?

श्री धर्मसिंह---वह समय तो मेरे पास नहीं है लेकिन यह सही है कि इसका इंजिन भी खरीद लिया गया और नाव भी बनकर तैयार हो गई और जब उसको इटावा भेज रहे थे तो कुछ मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया । वह ठीक किया जा रहा है । जैसा कि मैंने निवेदन किया, अगली बरसात में चलने लगेगी ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या यह सही है कि फैरी के काम के लिये सरकार ने क्रूसो इंजीनियरिंग कम्पनी से कुछ वर्ष पहले २० टन्ज ४ लाख ८० हजार में लिये थे, जिनमें से ज्यादातर बेकार पड़े रहे, और वह क्यों नहीं चला दिये गये ?

श्री गिरधारीलाल---अध्यक्ष महोदय, उसका तो इससे कोई संबंध नहीं है । वह अलग चीज है और वह यहां पर इस्तेमाल भी नहीं किये जा सकते ।

कुंवर श्रीपालसिंह---मंत्री जी ने कहा कि अगली बरसात में चला देंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी बंधे के टूट जाने से बरसात के पहले ही बाढ़ आ जाय तो उस वक्त उन नावों को चला सकते हैं, उसके लिये मसाला तैयार है ?

(हंसी---जवाब देने के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो इंजिन था इस नाव के लिये वह कब खरीदा गया और टैक्नीकल डिफेक्ट कब हुआ और कब से इसकी मरम्मत हो रही है ?

श्री धर्मसिंह---यह कब खरीदा गया, इसकी तो सूचना नहीं है । लेकिन जैसे ही नाव तैयार करके भेज रहे थे, उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया कोई मैकेनकल डिफेक्ट हुआ, उसकी पूरी सूचना मेरे पास नहीं है---उसको ठीक किया जा रहा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जमुना के राजघाट पर जहां यह इंजिन की नाव चलाई जा रही है, इसके पहले वहां १०-१२ नावें चलती रही हैं जो ५० मल्लाहों की जीविका का एकमात्र साधन थीं, अब वह बेकार हो गये तो कोई दूसरा घाट उन्हें देने जा रहे हैं ताकि उनकी जीविका का प्रश्न हल हो सके ?

श्री गिरधारीलाल---वह अलग सवाल है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन हो रहा है, कहीं बेकारी हो रही है, कहीं एम्प्लायमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लायमेंट का हल भी निकाला जा रहा है। वह तो एक जनरल सवाल है, अपने आप हल होता जायेगा।

श्री भजनलाल---इटावा जिले में पंजाब की ब्यास, रावी, चिनाब की तरह जमुना, चम्बल, पहुज है और जब बरसात म व बढ़ी होती हैं तो एक इंजिन की नाव से काम नहीं चल सकता है। इस बात को देखते हुये क्या मंत्री जी और नाव इंजिन वाली बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---इस पर बाद में विचार कर लिया जायेगा।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो इंजिन द्वारा नाव चलाई जायेगी वह पी०डब्लू० डी० की तरफ से चलाई जायेगी या ठेकेदार के द्वारा ?

श्री धर्मसिंह---अभी यह निश्चय नहीं कर पाये हैं कि किस प्रकार से चलेगी।

इटावा-भिंड सड़क के कुछ भाग पर डामर डालना

*२३---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा तथा श्री गंगाप्रसाद वर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा से भिंड जाने वाली पी०डब्लू० डी० रोड का जमुना और चम्बल नदी के बीच का हिस्सा इस साल डामर का बनाने क लिये सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है ? यदि हां, तो यह रोड कब तक बन कर तैयार हो जावेगी ?

श्री धर्मसिंह---प्रथम भाग---जी हां।

द्वितीय भाग---अक्तूबर १९६२ तक बन जाने की आशा है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चम्बल और जमुना के बीच का जो हिस्सा है वह केवल ५ मील का है और उसका बनाना शुरू हो गया है और अक्तूबर ६२ तक तैयार हो जायेगा, तो इतनी देर से उसके तैयार होने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक इस सड़क की लम्बाई का प्रश्न है, ७ मील ४ फर्लांग ४४६ फीट है जिसमें से २ मील ५ फर्लांग ३७८ फीट का नवीनीकरण हो गया है और जो बाकी काम है, जो खराब हालत सड़क की है, उसके दिसम्बर, १९६१ तक सुधर जाने की आशा है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---मंत्री जी बतायेंगे कि इस पर डामर पड़ना कब से शुरू हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह---इसी वर्ष।

प्रतापगढ़ जिले में सड़क निर्माण कार्य तथा लखनऊ---ऊंचाहार सड़क पक्की करना

*२४---**श्री नन्दराम** (जिला प्रतापगढ़)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कौन-कौन तथा कितने मील लम्बी पक्की सड़क बनी हैं ?

श्री धर्मसिंह---जनपद प्रतापगढ़ में सन् १९४७ से १९५६ ई० तक निम्नलिखित ३९ मील ५ फर्लांग सड़कें बनीं:---

(१) पट्टी-सिंगरामऊ १५ मील ५ फर्लांग ।

(२) इलाहाबाद-उन्नाव २५ मील तथा द्वितीय आयोजनाकाल में जेठवारा-लालगोपालगंज सड़क, १८ मील, का निर्माण आरम्भ हुआ ।

*२५---**श्री नन्दराम**---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में उक्त जनपद की कौन-कौन सड़क पक्की कराने की योजना है तथा उनका क्रम क्या है ?

श्री धर्मसिंह---तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में जनपद प्रतापगढ़ की किसी भी पक्की सड़क का निर्माण सम्मिलित नहीं है ।

*२६---**श्री नन्दराम**---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ---ऊंचाहार सड़क में जगतपुर से ऊंचाहार तक का जो टुकड़ा कच्चा है उसे वे जल्द पक्का कराने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्म सिंह---जगतपुर-ऊंचाहार सड़क का पक्का निर्माण मई १९६१ ई० में स्वीकृत किया जा चुका है ।

श्री नन्दराम---मंत्री जी बतायेंगे कि जेठवारा-लाल गोपालगंज सड़क की क्या हालत है, कितनी पक्की हो चुकी है और इसमें क्या कमी है ?

श्री धर्मसिंह---इलाहाबाद---उन्नाव सड़क जो २५ मील है और सेकेंड फाइव ईयर प्लान में जेठवारालाल---लालगोपालगंज सड़क का १८ मील का निर्माण-कार्य आरम्भ हो चुका है । कितनी-कितनी हो चुकी ह, इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री उग्रसेन---(मंत्री जी के उत्तर से संबंधित) । मंत्री जी बतायेंगे कि ३९ मील ५ फर्लांग सड़क प्रतापगढ़ में द्वितीय योजना में बनी है उसमें कितनी पिच रोड है और कितनी कंकड़ की है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---जब ऊंचाहार ---जगतपुर सड़क अभी ले ली गई है और तृतीय योजना में कोई सड़क बनाने का विचार नहीं है तो जो सड़क ले ली गई है यह किस योजना में बनेगी ?

श्री धर्मसिंह---अब यह तो हमने पक्की सड़क की जो योजना है उसमें ले ली है, रुपये इत्यादि का प्रावीजन रखा गया है । यही सूचना हमारे पास है ।

श्री अध्यक्ष---दूसरी योजना का प्रोजेक्शन तो नहीं है ?

(हंसी)

श्री राजनारायण---प्रश्न यह था, क्या सरकार बतायेगी कि प्रथम और द्वितीय योजना में कौन-कौन तथा कितनी मील लम्बी सड़क पक्की बनी ? और उत्तर दिया जा रहा है कि १९४७-५६ तक । प्रथम योजना शुरू होती है १९५० से । तो क्या यह सही है कि प्रथम योजना में एक भी सड़क नहीं बनी और जो बनी है उसके पूर्व की सड़क जोड़ करके उत्तर दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल--आपने जब प्रथम और द्वितीय योजना के बारे में पूछा है तो प्रथम योजना क पहले जो काम चल रहा है और प्रथम योजना में पूरा हुआ तो उसका उत्तर देना जरूरी था ।

गोरखपुर में राप्ती के पुल में अर्जित भूमि का प्रतिकर

*२७--**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १६ फरवरी, १९६० के विधान सभा क तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के क्रम में क्या ११ अक्तूबर, १९६० तथा ३ दिसम्बर, १९६० को सिटी मजिस्ट्रेट तथा डिप्टी सुपरिंटेंडेंट (कम्पलेंट) गोरखपुर ने ओवरसियर सर्वश्री राधश्याम शर्मा तथा सूर्यपाल गुप्ता के विरुद्ध कोई जांच की थी ? यदि हां, तो उक्त जांच पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी हां ।

द्वितीय भाग--जो आरोप लगा गये थे वे जांच के फलस्वरूप निराधार पाये गये ।

*२८--**श्री अब्दुल रऊफ लारी**--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्राम चकरा अब्बल का अस्थायी भूमि से संबंधित पेड़ों का प्रतिकर किसानों को कब दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--अभी प्रतिकर किसानों को नहीं दिया गया ।

द्वितीय भाग--प्रतिकर के प्रस्तावित अवार्ड पर अभी तक राजस्व परिषद् की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ।

अल्मोड़ा जिले में सरयू नदी पर बेटुली घाट के पुल की आवश्यकता

*२९--**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या अल्मोड़ा जिले में पटटी खरही के पगना गांव के निकट सरयू नदी में बटुली घाट पर पुल बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी नहीं ।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता ।

बेतवा नदी पर नोट घाट के पुल की निर्माण योजना

*३०--**श्री त्रिलोकीसिंह**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी-मऊरानीपुर रोड पर बेतवा नदी पर जो पुल नोट घाट पर बनान के लिये तय किया गया था उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल--कार्य के लिये टेंडर प्राप्त हो गये हैं और विचाराधीन है ।

*३१-३२--**श्री त्रिलोकीसिंह**--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये प्रश्न ६५-६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

डैफ ऐण्ड डम्ब स्कूल तथा ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ को सहायता

*३३--**श्री भोलालाल** (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डैफ एण्ड डम्ब स्कूल और ट्रेनिंग कालेज लखनऊ को वित्तीय वर्ष १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१ में कितनी सरकारी सहायता और किस-किस मद में दी गई ?

नोट--तारांकित प्रश्न २६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--डैफ एण्ड डम्ब स्कूल और ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ को वित्तीय वर्ष १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१, में दी गई सरकारी सहायता का रूप पत्र संलग्न है जिसमें विभिन्न मदों पर सरकारी विभागों से मिलन वाली सहायता का विवरण दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९३४-९३५ पर)

*३४--**श्री भीखालाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्कूल व कालेज के ट्रेंड अध्यापकों को निर्धारित ग्रेड के अनुसार तनख्वाह व मंहगाई भत्ता दिया जाता है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--टीचर्स ट्रेनिंग कालेज फार दि डेफ में शासन द्वारा निर्धारित ग्रेड क अनुसार अध्यापकों को वेतन दिया जाता है परन्तु डफ ऐण्ड डम्ब स्कूल के अध्यापकों के वेतन-क्रम अभी निर्धारित नहीं हुये हैं । मंहगाई भत्ता आर्थिक अभाव क कारण इन दोनों विद्यालयों में अध्यापकों को नहीं दिया जाता है ।

इस विद्यालय तथा अन्य सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन-क्रम तथा महंगाई भत्ता निर्धारित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

प्रोबेशन कार्यालय, लखनऊ की इमारत तथा प्रोबेशन अफसर के दौरे

*३५--**श्री मुनीन्द्रपालसिंह** (जिला पीलीभीत)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला प्रोवेशन कार्यालय, लखनऊ की इमारत की स्थिति कसी है और पिछली बार उसकी मरम्मत कब और कितने रुपये में की गई ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--इस कार्यालय का भवन इस समय अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है । इस भवन की मम्रमत तथा सफाई पुताई अंतिम बार १९५२ में जिला कचेहरी लखनऊ की ओर से अन्य सिटी कचेहरी की इमारतों के साथ हुई थी और चूंकि व्यय का विवरण अलग-अलग नहीं रखा गया था इसलिये प्रोवशन कार्यालय की मरम्मत पर व्यय हुई धनराशि का विवरण नहीं दिया जा सकता ।

*३६--**श्री मुनीन्द्रपालसिंह**--सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि राज्य के मुख्य प्रोबेशन अधिकारी ने १९६०-६१ म किन-किन जिलों का दौरा किया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--राज्य के मुख्य प्रोवेशन अधिकारी ने सन् १९६०-६१ में कानपुर, हरदोई, गोरखपुर, फर्रुखाबाद और बरेली जिलों का दौरा किया था ।

*३७-३८--**श्री शिवराम** (जिला बिजनौर)--[१६ नवम्बर, १९६१ के लिये प्रश्न १४५-१४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

राप्ती ब्रिज, गोरखपुर के निर्माण का सुपरवीजन

*३९--**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) तथा **श्री अब्दुल रऊफ लारी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राप्ती ब्रिज, गोरखपुर प्रारम्भ से अब तक किस इंजीनियर तथा ओवरसियरों की देख-रेख में बना था ?

श्री गिरधारीलाल--वांछित सूचना संलग्न सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९३६ पर)

*४०--**श्री भूपकिशोर**--[छठे बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

द्वितीय वेतन एवं सेवा आयोग नियुक्त करने की प्रार्थना

*४१--श्री राजनारायण--क्या सरकार राज्य सरकार के निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन दर, भत्ते तथा दूसरी सहूलियतों व सेवा के नियम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य कर्मचारियों के हेतु द्वितीय वेतन एवं सेवा आयोग स्थापित करने का राज्य सरकार का विचार है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--ऐसा कोई प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है । सरकार का द्वितीय वेतन एवं सेवा आयोग स्थापित करने का भी कोई विचार नहीं है ।

*४२--श्री सईद अहमद अंसारी (जिला सहारनपुर)--[पांचवें बृहस्पतिवार के लिय प्रश्न ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गोरखपुर क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि न मिलना

*४३--श्री मदन पांडेय--क्या यह सही है कि पी० डब्लू० डी० के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को १ अप्रैल सन् १९६० से जो तनख्वाह में ५।। रु० प्रति माह की वृद्धि दी गई थी वह वृद्धि गोरखपुर सर्किल के कर्मचारियों को नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

*४४--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त वृद्धि प्रदेश में पी० डब्लू० डी० के किन-किन सर्किलों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दे दी गई है ?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्र की जा रही है ।

*४५--श्री शिवप्रसाद नागर--[हटा दिया गया ।]

*४६--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४७--श्री मुनीन्द्रपालसिंह--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

निकासी मुहर्रिर को महंगाई देने की जानकारी

*४८--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में तीसरे व चौथे श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन व मंहगाई भत्ते में जो बढ़ोत्तरी हुई है वह मोहर्रिर, निकासी मोहर्रिर को दी जाती है कि नहीं ?

श्री अलगूराय शास्त्री--चालू वित्तीय वर्ष (१९६१-६२) में किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन व मंहगाई भत्ते में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई इस कारण यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

जंगल की सड़कों को सार्वजनिक प्रयोग के लिये खोलने का सुझाव

*४९--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि जिन क्षेत्रों में सड़कों का अभाव है वहां जंगल की सड़कों को ही पक्की करा कर सब के लिये खोल दिया जाय ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अलगूराय शास्त्री--जी नहीं ।

*५०-५२--श्री सईद अहमद अंसारी--[चौथे गुरुवार के लिये प्रश्न ११२-११४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५३--श्री मुरलीधर कुरील (जिला आजमगढ़)--[छठें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५४-५६--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--[छठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५७--श्री गरीबदास (जिला जालौन)--[छठें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५८--श्री मुनीन्द्रपालसिंह--[२० नवम्बर, १९६१ के लिये प्रश्न २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५९--श्री मोतीलाल अवस्थी--[छठें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*६०-६१--राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--[छठें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

पहूज नदी पर नदी गांव के पुल की आवश्यकता

*६२--श्री गरीबदास--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थान नदी गांव, जिला जालौन में पहूज नदी पर पक्का पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल--इस पुल के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है ।

मिर्जापुर की हाथ से बनी वस्तुओं को बिक्री-कर से मुक्त करने की प्रार्थना

*६३--श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर नगर की भरकम पंचायत मिर्जापुर ने एक स्मृति-पत्र माह जुलाई अथवा अगस्त, के प्रथम सप्ताह १९६१ में माननीय मुख्य मंत्री को देकर इस बात की मांग की है कि मिर्जापुर नगर के हाथ से बनने वाले वर्तन जैसे बटुआ, परागी, लोटा, कलछल आदि पर बिक्रीकर की छूट दी जाय ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां । सरकार ने पंचायत की मांग पर विचार किया परन्तु उसको स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत हुआ ।

*६४--श्री रामकृष्ण जैसवार--क्या सरकार ऐसी सूची जिसमें हाथ से बनी वस्तुओं पर सरकार द्वारा बिक्रीकर की छट दी गई ह, जानकारी के हेतु सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--हाथ से ऐसे बनी वस्तुओं की सूची, जो बिक्रीकर से मुक्त हैं, संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९३७ पर)

*६५-६६--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--[छठें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

बरेली जिले में सीमेंट का वितरण

*६७--श्री बाबूराम (जिला बरेली) तथा श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में १ जनवरी, १९६१ से २८ अगस्त, १९६१ तक कितना सीमेंट जिला सप्लाई कार्यालय से और कितना विकास क्षेत्रों या तहसीलों से बांटा गया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--बरेली जिले में १ जनवरी, १९६१ से ८ अगस्त, १९६१ तक जिला सप्लाई कार्यालय से ३५,३३३ बोरे, विकास क्षेत्रों से ५,९७७ बोरे तथा तहसीलों से ७,४९७ बोरे सीमेंट का वितरण किया गया ।

चचरापुर, जिला हरदोई में वन विभाग की कथित भूमि

*६८--**श्री चन्द्रहांस मिश्र** (जिला हरदोई)--क्या वन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि चचरापुर, जिला हरदोई में हाल में वन विभाग ने वन लगाने के लिये जमीन ली है ? यदि हां, तो कितने एकड़ ?

श्री अलगूराय शास्त्री--जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*६९--**श्री मुनीन्द्रपालसिह**--[हटा दिया गया ।]

सुजानगंज--महाराजगंज सड़क का सर्वेक्षण

*७०--**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके द्वारा हाल में ही सुजानगंज-महाराजगंज रोड का जौनपुर जिले में सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी हां ।

द्वितीय भाग--इस मार्ग के नवनिर्माण के लिये इसका आगणन तैयार किया गया है ।

तृतीय भाग--इस सड़क के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है ।

कच्चे मकानों की सुरक्षा के लिये लेप

*७१--**श्री राजेन्द्रसिह** (जिला हरदोई)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग ने किसी ऐसे लेप का अन्वेषण किया है जो कच्चे भवनों को पानी से रक्षा कर सकता है ? यदि हां, तो शासन न इस लेप को जनता के लिये सुलभ बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां । इस लेप का गांव वालों को मुफ्त वितरण होता है ।

बाट तथा माप निरीक्षकों की कथित मांग

*७२--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार के पास हाल में बाट तथा माप निरीक्षकों की कोई मांग आई है कि उन्हें सरकार के अन्य विभाग के निरीक्षकों के समकक्ष वेतन-क्रम में कर दिया जाय ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगमोहनसिह नेगी--जी नहीं । भाग (२) का प्रश्न नहीं उठता ।

*७३--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--[छठें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*७४-७६--**श्री केशव पांडेय** (जिला गोरखपुर)--[छठें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*७७--**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)--[चौथे बृहस्पतिवार के लिये प्रश्न ९६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७८-७९--**श्री रामजीसहाय** (जिला देवरिया)--[छठें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

लखनऊ जिले में सस्ते अनाज की दुकानों पर आटे की बिक्री

*८०--**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)--क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अगस्त, १९६१ में लखनऊ के शहर व देहात में सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानों पर औसतन प्रति सप्ताह कितने मन आटा व गल्ला बिका ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९३८ पर)

खीरी जिले के सप्लाई विभाग को टीन का कोटा

*८१---**श्री शिव प्रसाद नागर**---क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खीरी जिले के सप्लाई विभाग को टीन का कोटा कब से नहीं दिया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---खीरी जिले के सप्लाई विभाग में टीन का कोटा आखिरी बार १८-९-१९६१ को आया था ।

*८२---**श्री गरीब दास**---[छठें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*८३-८५---**श्री परमेश्वरी दीन वर्मा** (जिला उन्नाव)---[चौथे बृहस्पतिवार के लिये प्रश्न ९३-९५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*८६---**श्री इन्दुभूषण गुप्त**---[छठें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*८७---**श्री जंगबहादुर वर्मा**---[छठें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

श्री जगपतिसिंह के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को एक दुःखद समाचार देना है । माननीय जगपतिसिंह, जो बांदा के निवासी थे और वहीं से इस सदन में प्रतिनिधि थे, उनका कल स्वर्गवास हो गया । वे सदन में उपस्थित होने के लिये आ रहे थे । रिक्शे से गिर गये और गिर जाने के थोड़ी ही देर बाद वह दुनिया से चले गये । माननीय जगपतिसिंह हमारे सदन के उन सदस्यों में से थे जो खामोश रहते थे परन्तु अपने क्षेत्र की सेवा जिस तरह से किसी प्रतिनिधि को करनी चाहिये उसी उमंग और उत्साह के साथ करते थे । वह हमारे उन सदस्यों में से थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से मोर्चा लिया था और दो मर्तबा वह उस आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के सिलसिले में जेल भी गये थे । वह वहां की सारी संस्थाओं से सम्बन्ध रखते थे और ऐसे क्षेत्र के प्रतिनिधि थे जहां, जैसा कि हम सबको विदित है, पीने के पानी को प्राप्त करने की जो सुविधा प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिये वह उपलब्ध नहीं है । कई वर्षों से वह इस सदन के सदस्य थे और इस प्रश्न को सदा हल करने के लिये वे सरकार के पास आते रहते थे और सदन में भी जब अपने विचार प्रकट करते थे तो उस प्रश्न का निराकरण करने तथा हल करने के सिलसिले में हमेशा वह अपनी आवाज उठाते थे । पिछड़े क्षेत्र को विकसित करने तथा उसे प्रगति की ओर ले जाने की उनकी सदा अभिलाषा रहती थी और उस ओर वे सदा सचेष्ट रहे हैं । ऐसा कर्मठ कार्यकर्ता हमारे बीच में से अचानक ही उठ गया, यह शोक का विषय है और इस समाचार ने हम सब को दुखित कर दिया है । मैं अपनी ओर से, इस सदन की ओर से उनके दुखी परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करना चाहता हूं और आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, उस परिवार के पास इस समवेदना को भिजवाना चाहता हूं । मुझे विश्वास है कि आप सदन की ओर से इस समवेदना को भिजवाने की कृपा करेंगे ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख का विषय है कि आये दिन किसी न किसी व्यक्ति के प्रति, जिसका इस सदन से सम्बन्ध है, उसके न रहने पर हमें शोक प्रकट करना पड़ता है । मुझे इसी क्षण मालूम हुआ कि स्वर्गीय जगपतिसिंह जी नहीं रहे । जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई वह असामयिक होने के साथ-साथ एक स्वयं दुःख का विषय है । मुझे उनके सम्पर्क में आने का कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ किन्तु जैसा माननीय

नेता सदन ने कहा है वह एक खामोश किस्म के व्यक्ति थे, किन्तु प्रतिभाशाली थे और जिस कार्य को करना चाहते थे उसको पूरा करके ही छोड़ते, यह उनकी एक विशेष खूबी थी। उनके न रहने से बांदा जिले का नुकसान हुआ, साथ ही हमारे प्रदेश का एक उच्चकोटि का सामाजिक व्यक्ति उठ गया। उनके सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन ने प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और मान्यवर से यह प्रार्थना करता हूं कि स्वर्गीय जगपतिसिंह जी के दुःखी परिवार को उनके न रहने पर मेरी ओर से और इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों की ओर से हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, दुःख की बात है कि हमारे बीच के माननीय ठाकुर जगपतिसिंह जी आज हम लोगों को बीच में नहीं हैं। वह सदन के सदस्य थे और बहुत ही सरल विचार और सरल स्वभाव के आदमी थे। इतनी सीधी-सादी बात कहने के वह आदी थे और जिस सरल स्वभाव के थे, उस सबके आसपास इस प्रकार का वातावरण बन गया था कि जो साधारणतया यहां पैदा होना मुश्किल है। वैसे कभी कोई अवसर तो नहीं पड़ा मुझे उनसे मिलने का लेकिन फिर भी उनके विषय में जो जानकारी समय-समय पर हुई उससे यह मालूम हुआ कि यह काफ़ी बड़ी क्षति हुई है और जो भावनायें नेता सदन और नेता विरोधी दल ने व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को संबद्ध करते हुये अपनी और अपने दल की ओर से उनके दुःखी परिवार के पास समवेदना भेजने की प्रार्थना करता हूं।

***राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दुःखद समाचार स्वर्गीय जगपतिसिंह जी का अभी मालूम हुआ उससे बुन्देलखंड को बड़ी भारी क्षति पहुंची है। ये बुन्देलखंड के देहाती क्षेत्र के बड़े पुराने और कर्मठ सदस्य थे। मैं इनको सन् ४६ से जानता हूं जब से वह इस विधान सभा के मेम्बर हुये और हमेशा कांग्रेस की तरफ से यहां पर चुन कर आते थे। बुन्देलखंड को उनके न रहने से जो क्षति हुई है उसको पूरा करना भी बड़ा कठिन है। मैं अपने को, जो नेता सदन ने तथा अन्य विरोधी दलों के नेताओं ने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे सम्बद्ध करता हूं और आप के द्वारा उनके दुःखी परिवार को मेरी और मेरे दल की ओर से समवेदना पहुंचाने की प्रार्थना करता हूं।

***कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय जगपतिसिंह जी से परिचय करने का अवसर मुझे इस सदन में आने के बाद ही मिला। उनसे मिलने से मेरे हृदय पर जो छाप पड़ी वह यह पड़ी कि अगर किसी को सांगोपांग भला आदमी कहा जा सकता है तो वे उसकी जीवित मूर्ति थे। वे इतने सरल व्यक्ति थे कि सरलता, मालूम पड़ता था कि उनका रूप पकड़ कर आयी है। ऐसे आदमी के निधन से हम लोगों को हार्दिक शोक हुआ। माननीय नेता सदन व अन्य विरोधी दलों के नेताओं के विचारों से मैं अपने को और भारतीय जनसंघ को सम्बद्ध करते हुये आप से प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनसंघ तथा मेरी ओर से उनके परिवार को समवेदना भेजने की कृपा करें।

***श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जगपतिसिंह जी की आकस्मिक और अप्रत्याशित मृत्यु का समाचार पाकर हम सभी लोग दुःखी हैं। माननीय जगपतिसिंह जी से इस सदन में आने के बाद मुझे कई बार बातचीत करने का और मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वह यद्यपि सदन के दाव-विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे लेकिन अनवरत इस बात के लिये प्रयत्नशील रहते थे कि उनके क्षेत्र और उनके जिले की जो समस्यायें हैं, उनका निराकरण हो जाय। वे जितनी सेवा अपने जिले की, जनता की कर सकते थे उसे करने के लिये वह बराबर प्रयास किया करते थे। वह एक मौन सेवी के रूप में रचनात्मक कार्य करते थे और मैं समझता हूं कि इस युग में ऐसे रचनात्मक कार्यकर्ता एक बहुत बड़ी देन है। ऐसे व्यक्ति के निधन से निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को दुःख है और मैं अपनी ओर से तथा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

अपने दल की ओर से आप से इस बात की प्रार्थना करता हूं कि हमारी इन भावनाओं को आप उनके संतप्त परिवार तक पहुंचा दें ताकि उनके इस कष्ट के समय में उन्हें कुछ साहस और बल प्राप्त हो ।

श्री अध्यक्ष—श्री जगपतिसिंह जी की आकस्मिक मृत्यु से हम सभी को बड़ा धक्का लगा और बड़ा दुःख हुआ है। कल शाम अकस्मात मेरे पास इस किस्म का तार आया। मैं समझता था उनकी यह इच्छा थी कि अब जो समय परमात्मा ने उनको दिया है उस समय में कुछ सामाजिक और धार्मिक कार्य ही करें। राजनीतिक क्षेत्र से वे हटना चाहते थे। पिछले वर्ष और इस वर्ष भी वे काफी बीमार रहे। वे एक ऐसे सच्चे जनसेवी थे कि कभी मैंने उनको अपनी प्रशंसा या अपने कार्य की प्रशंसा करते हुये नहीं देखा, सेवा ही करते हुये देखा। बड़े नम्र भाव से वे सामाजिक सेवा करते थे और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक कालेज की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य के नाते उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। स्वतंत्रता के आन्दोलनों में वह दो दफ़ा जेल जा चुके थे और बराबर शान्ति के साथ काम करके वह लोकप्रिय बन गये थे। अगर वह कभी भी कहीं से खड़े होते तो उनकी जीत निश्चित होते हुये भी वह चाहते थे कि वह राजनीतिक क्षेत्र से रिटायर हो जाएं और कुछ धार्मिक कार्य, कुछ सांस्कृतिक कार्य और कुछ शिक्षा का कार्य करें। मुझे आशा थी कि बुन्देलखंड के लिये यह एक अच्छी चीज होगी कि वह सन्यास व्रत लेकर सार्वजनिक सेवा करते रहेंगे। लेकिन अचानक काल ने हमला किया और वह चले गये। इससे हमें बहुत दुःख हुआ है, बुन्देलखंड के लिये तो बड़े दुख की बात हुई ही और प्रदेश के लिये भी दुःख की बात है और उसकी अभिव्यक्ति आप सब लोगों ने यहां पर की है। मैं आप की सब भावनाओं के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं और इस सदन के दुःख और समवेदना को उनके संतप्त परिवार के पास तक पहुंचा दूंगा। अब हम ईश्वर से दो मिनट के लिये प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शान्ति प्राप्त हो।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये।)

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार जो विषय उपस्थित किये गये हैं और संबंधित मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया गया है उनमें से मैंने एक राजा वीरेन्द्रशाह का विषय ले लिया है और वह यह है कि—

"जिला जालौन का उत्तर-पश्चिमी भाग जो मध्य प्रदेश तथा इटावा जिले की सीमा से लगा हुआ है आज फिर से डाकुओं के आतंक से पीड़ित है, यही हालत माह मार्च, १९६१ में थी, जब हमने सरकार का ध्यान दिलाया था और पुलिस विभाग ने उचित प्रबन्ध पी० ए० सी० को लगा कर प्रशंसनीय कार्य किया पर जब से बरसात में यह पी० ए० सी० हटा ली गई है तब से फिर से डाकुओं का आतंक बढ़ गया है और जनता बहुत ही भयभीत है। दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६१ को ग्राम मिल्लीला, थाना रेढ़र में दिन के ४ बजे डकैती पड़ी, जिसमें ५८ डाकुओं ने जिन पर सब पर बन्दूकें थीं २० घरों को लूटा, हजारों की सम्पत्ति लूट ले गये। इस ग्राम की आबादी २००० की है, जनता अब बहुत ही भयभीत है कि गांव में अब रहना कठिन है, फिर गांव की हिफाजत को बन्दूकों के लाइसेंस दिये गये। उन पर ग्राम अंतियल-का-पुरवा, थाना रेढ़र में श्री जुड़ाउनसिंह यादव व उनके भाई तथा ५ और को डाकू मोगाल ने पकड़कर दिन में बैठाल कर गोली मार दी, इससे जनता भयभीत है, अपने को असुरक्षित समझती है। दिनांक ७ नवम्बर को ग्राम ब्यवहरा-हिंगटा, थाना रामपुरा में डाका पड़ा। यह डाकुओं का गिरोह, जो तीन गिरोह मिल गये हैं, अभी तक क्षेत्र में घूम रहा है। इसलिये सरकार का ध्यान फिर से विशेष पुलिस भेजने तथा जगह-जगह पर पुलिस चौकियां स्थायी रूप से रखने को दिलाना चाहता हूं।"

माननीय गृह मंत्री इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य कब देंगे ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)---कल देने की कोशिश करूंगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---एक निवेदन करना चाहता हूं कि नियम ५२ में मैंने एक सूचना दी थी। गीता प्रेस के ८१ मजदूर समझौता तोड़कर निकाल दिये गये हैं। कल आपने कमरे में कहा था कि हम इसको खारिज नहीं कर सकते। तो उसका समय लगा दीजिये। मंत्री जी के पास चला जाय तो हमारा काम बन जाय।

श्री अध्यक्ष---मुझे समझा दीजिये। कमरे में मैं आप से बात कर लूंगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--- श्रीमन्, एक गन्ने वाला है। पांच-छः लाख रुपये का नुक्सान हो जायगा कल अगर नहीं लिया जायगा। जेलों के फार्मों का गन्ना १ रु० १० आने के बजाय दस आने मन बिकने वाला है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---आप अन्त में आज्ञा देते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। होना यह चाहिए कि खड़े होकर आदर या समवेदना प्रदर्शित करें।

श्री अध्यक्ष---जिनको ईश्वर के नाम पर आपत्ति हो वह मुझे लिख कर भेज दें। कोई कहे तो कि उसको आपत्ति है। आप को तो ईश्वर में विश्वास है मैं जानता हूं। तो आप तो आपत्ति कर नहीं सकते।

श्री राजनारायण---मैं तो इंसान को ईश्वर मानता हूं।

श्री अध्यक्ष---तो उससे आप प्रार्थना कर लें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---अध्यक्ष महोदय, जब कोई सिटिंग एम० एल० ए० हो और वह मर जाय तो मुझे ऐसा खयाल है कि पहले सदन बन्द हो जाया करता था पुराने एम० एल० एज० की मृत्यु पर।

श्री अध्यक्ष---वह तभी होता था जब उसकी मृत्यु लखनऊ स्थान में ही हो। अगर वह लखनऊ में होते और उनकी मृत्यु हो गई होती तो हम लोग उनकी अर्थी के साथ जाते इसलिये छुट्टी दी जाती।

मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---मेरे पास मंत्रिमण्डल में अविश्वास प्रकट करने का एक प्रस्ताव श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने भेजा है। अभी दो-तीन महीने पहले अगस्त में इस तरह का अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव आ चुका था और उस पर चर्चा होकर उसको सदन अस्वीकृत कर चुका था। साधारण नियम यह है सब प्रस्तावों के बारे में कि जो प्रस्ताव अस्वीकृत हो जायं, अगर करीब-करीब वैसा ही प्रस्ताव है और वही विषय उसमें लिया जाता है, तो ६ महीने के अन्दर नहीं उठाया जा सकता। यह स्वस्थ परम्परा नियम के अनुसार होती है। मैं रामस्वरूप जी से जानना चाहता हूं कि इसमें कौन-सा ऐसा विषय है, जिसके कारण वह तीन महीने के अन्दर ही, एक सेशन के अन्दर ही वह प्रस्ताव लाना चाहते हैं क्योंकि नियम ११४ के अनुसार जो प्रस्ताव अस्वीकृत हो चुका है एक ही सेशन के अन्दर दोबारा नहीं आता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने नियम ११४ का जिक्र किया उसके पूर्व अगर आप नियम १०८ देखें, तो उसके उपखंड (५) में देखेंगे कि कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सकेगा इसके लिए वह निम्न शर्तें पूरी करेगा। अर्थात् उसमें ऐसे विषय पर फिर से चर्चा नहीं उठायी जायगी जिस पर उसी सत्र में अथवा पिछले ६ मास के भीतर, जो भी समय पहले पड़ता हो, चर्चा हो चुकी हो। तो अब हमारा निवेदन यह है कि जो विषय हमने रखे हैं, आप देखें कि प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे जो अलीगढ़ से शुरू हुए और

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

दुर्भाग्य की बात है कि महात्मा गान्धी के जन्म दिवस से शुरू हुए, तीन चार दर्जन आदमी उसमें मारे गए, इसके ऊपर बहस पहले नहीं हुई। तो जब इतना बड़ा कम्यूनल टेंशन हो गया हो और सरकार उसमें अपना कर्तव्यपालन करने में असमर्थ रही हो तो यह नया बिषय तो है ही। वह बिषय जो पिछले अविश्वास के प्रस्ताव में आये थे वह इसमें नहीं हैं। प्रस्तावों के बारे में आप मुझे थोड़ा कहने की इजाजत दें। तीन किस्म के प्रस्ताव आते हैं। एक प्रस्ताव यह भी है कि जो अपोजीशन की तरफ से सदन का बिजनेस रोकने के लिये आते हैं। तो अगर इस चीज को मान लिया जाय तो जो ऐडजर्नमेंट मोशंस आते हैं वह एक बार अस्वीकार हो जाने के बाद दुबारा फिर ६ महीने तक नहीं आ सकते।

श्री अध्यक्ष—यह आप का कहना ठीक है। मैं तो मानता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—तो अब दूसरा हमारा निवेदन है कि जो विषय उस प्रस्ताव में उठाए गए हैं जैसे साम्प्रदायिक दंगों का विषय जो तमाम प्रदेश में हुए उससे बड़ा असन्तोष है और इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई क्योंकि यह २ अक्तूबर को पहली बार घटना घटी। तो पहली बात तो यह कि जो विषय उसमें उठाये गए हैं वह नये हैं, इसी तरह जो दस करोड़ मन गन्ना रह जायगा वगैरह वगैरह, यह भी सब नये विषय हैं। इन साम्प्रदायिक दंगों की वजह से अगले चुनाव निष्पक्ष हो सकेंगे, इसमें पूर्ण सन्देह है इसलिए सदन का सरकार के प्रति अविश्वास होना स्वाभाविक ही है।

दूसरी बात—यह एक किताब है—'ऐन इंट्रोडक्शन टु दी प्रोसीजर आफ दी हाउस आफ कामन्स बाई लार्ड चैम्पियन जी० सी० बी०' इसके पेज ११७ पर आप देखें—

श्री अध्यक्ष—उसका उच्चारण कैम्पियन करते हैं, चैम्पियन नहीं करते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—ठीक है। उसके पेज ११७ पर आप देखें—

"The Challenge of a vote of censure is always accepted by the Government. Obviously many kinds of Opposition motions are possible which fall short of explicit censure, but yet in directly reflect on the Government or advocate measures incompatible with its policy."

यानी कभी-कभी यह भी हो सकता है कि इतने महत्वपूर्ण विषय न हों तब भी वह ले लिये जाते हैं। तो साम्प्रदायिक दंगे तो महत्वपूर्ण हैं ही। इनका तो इतना महत्व है कि सरकार के ऊपर अविश्वास बिलकुल स्पष्ट ही है। इनका कहना यह है कि कभी इतने एक्सप्लिसिट न हों फिर भी गवर्नमेन्ट को इन्डाइरेक्टली जिम्मेदार बनाते हों तो ऐसे मोशन्स को भी गवर्नमेन्ट हमेशा स्वीकार करती है। तो यह मोशन अगर आयेगा और सदन उस पर विचार करेगा तो सरकार के लिए अच्छी बात होगी। कल इसी आदरणीय सदन में सरकारी पक्ष के ही एक सदस्य श्री नेकराम शर्मा की बातों से मालूम होता था कि वह सरकार के खिलाफ हैं .....

श्री अध्यक्ष—आप उसकी मेरिट्स में न जायं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मेज़ पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस आप देखें। इसके पृष्ठ ३०५ पर यह दिया हुआ है —वोट्स आफ सेंसर —

"By established convention the Goverrment never fail to accede to a demand from the Leader of the Opposition to allot a day for the discussion of a motion expressing lack of confidence in the Goverrment, a "vote of censure" as it is called. In allotting a day for this purpose the Goverrment are entitled to have regard to the exigencies of their own business, but a reasonably early day is invariably found....."

(व्यवधान) एक मिनट। मैं यह पूरा पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। मैं तो सिर्फ बीच में टोकता ही हूं। आप अपने को लीडर आफ दी अपोजीशन समझ रहे हैं क्या ?

श्री रामस्वरूप वर्मा---आगे इसमें दिया है---

"This convention is due to the recognized and responsible position of the leaders of the Opposition as a potential alternative Government—a position which guarantees the legitimacy of such an interruption of the normal course of business."

तो कोई जरूरत नहीं है कि लीडर आफ दी अपोजीशन ही पेश करे। जो भी अपोजीशन पार्टी का लीडर है वह दे सकता है।

श्री अध्यक्ष---यानी सिंगुलर इन्क्ल्यूड्स प्ल्यूरल ऐंड प्ल्यूरल इन्क्ल्यूड्स सिंगुलर इस तरह से आप समझते हैं कि वह भी उसमें आ गए।

श्री रामस्वरूप वर्मा---जी हां। उसमें दोनों आ जाते हैं। परन्तु अब स्थिति ऐसी है कि जिसके लिये यह प्रस्ताव उचित है। आप प्रस्ताव में देखेंगे कि साम्प्रदायिक झगड़े, गन्ने का सवाल और अध्यादेश इस बीच में हुये। इन तमाम बातों को लेकर तमाम प्रदेश में असन्तोष फैला हुआ है। इस सरकार को अब यहां पर नहीं रहना चाहिये....

श्री अध्यक्ष---आप प्रस्ताव के मेरिट्स पर जा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---एक व्यवस्था यह भी रही कि यह जो अविश्वास का प्रस्ताव है इसके सम्बन्ध में नियम २७४ में यह कहा गया है कि---

मंत्रियों में अविश्वास का प्रस्ताव---मंत्रि परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से निम्नलिखित निर्बन्धनों के साथ किया जा सकेगा।" इसके आगे भी आप पढ़ लें कि प्रस्ताव को रोका नहीं जा सकता है। जो हमने यहां पर तर्क उपस्थित किये उनको देखते हुये सचमुच यह बात उचित है कि इस सरकार को यहां पर एक मिनट भी नहीं रहना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि आज इस प्रकार की परिस्थिति बन गई है जिस पर विरोधी दल अपना विश्वास सरकार में प्रकट नहीं कर सकता है। ऐसे अवसर पर अविश्वास के अभाव की अभिव्यंजना नहीं रोकी जानी चाहिये। यदि इस प्रकार की परिस्थिति हो जाती है जैसे कि अभी २, ३ प्रश्न पैदा हो गये हैं तो उन कारणों से अविश्वास का प्रस्ताव सरकार पर आ सकता है। उसमें ६ महीने की बात नहीं चलनी चाहिये। यह भी हो सकता है कि कोई सरकार यह समझ सकती है कि अब ६ महीने तक अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता है तो जिस तरह से चाहो करो। तो इस वजह से भी यह ६ महीने की बात नहीं रहनी चाहिये और यह अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं आप भी सहमत होंगे कि ६ महीने वाली बात को न लिया जाय बल्कि जो इस प्रस्ताव की मेरिट है उसको लेना चाहिये कि उसमें ऐसी बातें हैं या नहीं।

"**मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)**---अध्यक्ष महोदय, मुझे यह देखकर अचम्भा हुआ कि इस प्रकार का प्रस्ताव इस सदन में इस अवसर पर लाया जा रहा है। अभी आज ही हम सप्लीमेंटरी बजट को यहां पर पेश करेंगे और यदि सदन के किसी दल का ऐसा विचार है या सदन का कोई दल ऐसा समझता है कि इस मंत्रिमंडल को हटाना चाहिये और इसमें अविश्वास है तो वह एक अवसर होगा जब कि सप्लीमेंटरी बजट को या उसके किसी हिस्से को वह हरवा दें और इस प्रकार का अविश्वास का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में प्रकट कर दें। यदि ऐसी व्यवस्था होगी तो अवश्य वह एक अविश्वास का प्रस्ताव माना जायगा। मैं ऐसा समझता हूं कि यह जो

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

सदन का अधिकार है उस अधिकार का यह दुरुपयोग है यदि २ महीने या २।। महीने पहले सदन में फिर से ऐसा प्रस्ताव आवे जिसको कि वह सदन अस्वीकार कर चुका है । जो सदन के नियम हैं उनमें यदि १०८ की उपधारा ५ को देखा जाय जिसका जिक्र वर्मा जी ने किया है वह तो उस पक्ष को सिद्ध करता है जिस पक्ष के द्वारा यह बात कही जाय कि ६ महीने के अन्दर उस विषय को फिर से दोबारा नहीं उठाया जा सकता जिस पर उसी सेशन में पिछले ६ महीनों के भीतर चर्चा हो चुकी है । अविश्वास के प्रस्ताव के ऊपर इस सदन ने विचार कर लिया और विचार करने के बाद सदन ने एक निर्णय ले लिया । मेरा नम्र निवेदन है कि इस हालत में इसी १०८ की उपधारा ५ के अन्तर्गत इस विषय पर इस समय चर्चा नहीं हो सकती और न करनी चाहिये क्योंकि इस सदन को अपनी परम्परायें भी तो बनानी हैं और हर समय कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिये जो कि उन नई परम्पराओं की जड़ को सहायता देने वाली न हो । हम तीन महीने के अन्दर आम चुनाव लड़ने जा रहे हैं । आम चुनाव में प्रत्येक दल के प्रतिनिधिगण को विभिन्न क्षेत्रों में घूमने का अवसर होगा जो जनता को शिक्षित करेंगे । जनता को अपनी नीति की शिक्षा देने तथा अपने मत का प्रचार करने का अवसर होगा । इसलिये मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा अवसर होगा कि जब प्रदेश की जनता इस बात का उत्तर अपने मतों के द्वारा दे देगी कि आया . . .

श्री अध्यक्ष—आप प्रस्ताव के मेरिट्स पर चले गये । आप टेक्निकल बात कहिये ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तो मैं ऐसा समझता हूं कि नियम १०८ के उपनियम ५ के अन्तर्गत यह प्रस्ताव फिर से अभी ६ महीने के अन्दर नहीं लाया जा सकता । मैं यहां यह भी निवेदन कर दूं कि मैं या सरकार इस प्रकार के अविश्वास के प्रस्ताव से घबराती नहीं है । हरदम और हर समय इस सदन को ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने का अवसर देने के लिये हम उद्यत हैं, परन्तु ऐसी कोई बात यह सरकार नहीं करना चाहती कि जो परम्पराओं के विरुद्ध हो और जिसमें मर्यादाओं के बनाने में अड़चन पड़ती हो ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—एक निवेदन मेरा सुन लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं । अब मेरा फैसला सुन लीजिये । आप इसे वापस नहीं ले रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष—परम्परायें कायम करना मेरा काम है और क्या स्वस्थ परम्परा हो इस विषय में मैं अपना मत भी दे देता हूं और उसके साथ-साथ निर्णय इस पर बाद में दूंगा । आज ही दे दूंगा ।

मैं समझता हूं कि जैसे मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में यह दिया हुआ है कि ब्रिटेन में दो पार्टी सिस्टम है यानी द्विदल पद्धति वहां पर चलती है और इसलिये नेता विरोधी दल काफी बड़ी तादाद में विरोधी दल को रिप्रेजेंट करता है । बहुत थोड़े से लोग ही ऐसे रह जाते होंगे अन्य दलों के जो उसके द्वारा रिप्रेजेंट न होते हों । इसलिये नेता विरोधी दल का वहां महत्व और प्रतिष्ठा काफी रहती है और उसका अल्पसंख्यक दलों पर काफी असर रहता है वहां द्विदल पद्धति के अनुसार यह तरीका है कि नेता विरोधी दल अगर ऐसा सेन्श्योर मोशन लाये तो गवर्नमेंट को समय देना चाहिये और कोई न कोई समय, एक दिन का कम से कम, वहां वह दे देते हैं और हमको यह चाहिये कि जहांतक हो, सैकड़ों हजारों वर्षों से जिन लोगों ने पार्लियामेंटरी पद्धति चलायी है, उनका ही अनुसरण करें । लेकिन यहां अभी सदन में द्विदल पद्धति स्थापित नहीं हुई है । यहां कई पार्टियां हैं । इसलिये मैंने दूसरा रास्ता पहले सुझाया था कि अगर ऐसा प्रस्ताव लाना है और सब पार्टियों की तरफ से और विरोधी दल के नेता से मिल कर, बैठकर, कभी किसी विषय पर विरोध उत्पन्न हो जाय मैं ६ महीने और ३ महीने को अधिक महत्व नहीं

देता तथा एक सेशन को भी उतना महत्व नहीं देता जितना कि महत्व इस विषय को देता हूं, और सरकार की ओर से कोई ऐसा काम हो जाय कि जिस की वजह से विरोधी दलों में अविश्वास उत्पन्न हो जाय सरकार के प्रति तो उस समय भी सरकार को कोई न कोई समय देना चाहिये उस पर बहस करने के लिये और उसे इसके लिये हरदम और हर समय तैयार रहना चाहिये, जैसा कि अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा भी । लेकिन यह प्रथा मैं समझता हूं कि चल नहीं पा रही है और समय भी इस वक्त ऐसा कम है, एक तो तीन महीने बाद ही यह प्रस्ताव आ रहा है, इसके अतिरिक्त इस समय हम तारीख १७ तक ही बैठेंगे और इस बीच में हमने यह भी तय कर लिया है कि हम १७ को शक्कर पर बहस करेंगे । तो ऐसी सूरत में समय कम होने के कारण अगर ऐसा प्रस्ताव न आता तो उचित होता । खैर, चूंकि यह आ गया है, और जब तक कोई प्रथा कायम न हो तब तक मैं कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहता हूं कि जिसमें सदन के स्वतंत्र मत प्रकट करने के बारे में कोई ऐसी बंधन पैदा हो जाय । अब अगर सदन इस पर बहस करना चाहता है तो उसके लिये नियम बना हुआ है और उसके लिये सदन के पंचमांश सदस्य अपनी अनुमति देते हैं, उसमें कोई बहुमत का प्रश्न भी नहीं है । अगर सदन यह चाहता है कि इतनी जल्दी प्रस्ताव लाने की प्रथा कायम न हो तो वह अनुमति न दे । तो मैं इसको रोकता नहीं हूं । मैं इस पर सदन की अनुमति ले लेना ही उचित समझता हूं ।

(प्रस्ताव के पक्ष में २४ सदस्य खड़े हुये)

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, वोट लेने से पहले हमारे प्रस्ताव को पढ़ दिया जाता ।

श्री अध्यक्ष---यह आपको मत लेने से पहले कहना चाहिये था । यह स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव के लिये सदन की अनुमति नहीं है क्योंकि २४ सदस्य खड़े हुये जबकि इसकी अनुमति के लिये संख्या ८६ होनी चाहिये थी । इसलिये सदन की अनुमति नहीं है ।

श्री राजनारायण---प्रस्ताव को पढ़ तो दिया जाय श्रीमन्....

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं पढ़ दूं, लेकिन उसके बाद फिर से वोट नहीं लिया जायेगा । वैसे यह छप जायगा, इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं....

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---आप उसको पहले पढ़ लें या बाद को, मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि आज एक नयी प्रथा इस आदरणीय सदन में कायम की गयी है अर्थात् इस व्यवस्था द्वारा जब भी कोई चाहे, हर दिन एक अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है ।

श्री अध्यक्ष---मैंने यह नहीं कहा है कि आ सकता है ।

श्री त्रिलोकीसिंह---इसके अर्थ यही हैं क्योंकि आपने जो व्यवस्था दी है वह केवल आपकी ही नहीं है बल्कि इस आदरणीय सदन की है और आज ही नहीं जब तक कि सदन अपने किसी नियम या प्रस्ताव द्वारा उसको रद्द न करे तब तक के लिये यह एक मिसाल बन गयी जो नियमों से परे है । मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है । मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप इस सिलसिले में यह उचित समझेंगे कि इस संबंध में किसी माननीय सदस्य की जो राय हो उसको आज या उसके बाद, जब भी आप अवसर प्रदान करें उसे आप से कह दे अथवा इस सदन में ऐसा करने की आप इजाजत देंगे ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि सदन में इसको न करें । मैं यह उचित समझूंगा कि मैं जो सदन के दलों के नेता हैं उनको अपने यहां चाय पर बुलाऊं और उनसे बातचीत करूं । यह ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री त्रिलोकीसिंह---प्रथा तो आपने आज कायम कर दी । वह कायम हो गयी....

श्री अध्यक्ष—प्रथा कायम नहीं हुई है। वह तो धीरे-धीरे कायम होती है। मैंने यह कह दिया स्पष्ट कि आप कौन सी प्रथा कायम करना चाहते हैं, निश्चय कर लें। मैंने बता दिया कि अपोजीशन के जो लीडर हैं उनकी तरफ से ऐसा प्रस्ताव आना उचित होगा दूसरा तरीका यह भी बताया कि सब विरोधी पार्टी के नेता लोग मिल कर उसे रख दें ..... (व्यवधान) नियम यह है कि जब अध्यक्ष बोल रहे हों तो दूसरे सदस्य को खड़े नहीं होना चाहिये।

तो मैंने कहा कि यह कोई प्रथा कायम नहीं कर रहा हूं मैं। मैं प्रथा को कायम करने का प्रयत्न करूंगा। फिलहाल, सदन क्या चाहता है? मैंने सदन की राय लेकर यह अन्दाजा लगा लिया कि ऐसे शीघ्र एक पार्टी द्वारा प्रस्ताव आना सदन नहीं चाहता है। अब क्या प्रथा हो उसके लिये मैं लोगों को बुलाऊंगा और बात-चीत करूंगा। लेकिन एक बार मैं जान लेना चाहता था कि सदन क्या चाहता है और उसकी जानकारी मैंने हासिल कर ली। अनौपचारिक तरीके से इसके बाद हम किसी दिन बैठकर विचार कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई बात तय हो जाय तो मैं वही प्रथा स्थापित आगे के लिये कर दूंगा। लेकिन अगर आवश्यकता न पड़ी तो दूसरी बात है। अब मैं और ज्यादा चर्चा इस पर नहीं अलाऊ करूंगा।

श्री राजनारायण—मैं सब माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि सदन में कुछ परम्परायें या मर्यादायें कायम कर ली गयी हैं और बार-बार हमको पार्लियामेंटरी पद्धति की हाई दी जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि १४४ अपोजीशन में मेम्बर आये, किसी भी पार्टी में आधे से ज्यादा सदस्य नहीं थे। आप यहां पर विराजमान हैं .....

श्री अध्यक्ष—आप बहस करने लगे ....

श्री राजनारायण—मोहनलाल गौतम ने प्रस्ताव किया था कि पार्लियामेंट में ५० को या कोरम के बराबर विरोधी दल को मान्यता प्राप्त करने के लिये मान लिया है, लेकिन आपने उस प्रथा को यहां लागू नहीं किया है....

श्री अध्यक्ष—कमरे में बात-चीत होगी, आपको मौका दूंगा।

श्री राजनारायण—परम्परा के बारे में श्री त्रिलोकी सिंह को समझा दीजिये कि परम्परा कौन-सी चलेगी।

श्री त्रिलोकी सिंह—श्रीमन्, न आपको मुझे समझाने की जरूरत है और न समाजवादी दल के नेता जो बनारस जिले के हैं उनको समझाने की जरूरत है। जब इस सदन में सेवा करने के लिये मैं आया तो कुछ समझदारी भी अपने साथ लाया हूं लेकिन इसके साथ जो मैंने प्रश्न उठाया था....

श्री राजनारायण—उसी समझदारी के बिना पर तो कल आपने वाक आउट किया था।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके शांत रहें।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं हमेशा बनारस के उस महापुरुष की कहावत "तुलसी बुरा न मानिये...." का ध्यान रखता हूं जब बनारस के सदस्य बोलते हैं, लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा था कि ..... अंग्रेजी में बताये देता हूं जिससे उनको तकलीफ तो होगी, लेकिन आपसे प्रार्थना करूंगा

Speaker's rulings form precedent of the House and they are relied upon unless changed or modified by a resolution of the House."

तो रूलिंग आपकी हो गयी, प्रथा क्या कायम होगी यह अलग है। आपकी रूलिंग हो गयी जो नजीर हो गई, बाद वाले अध्यक्ष को मान्य होगी।

They have to be guided by your ruling unless the House decides otherwise by an express resolution.

श्री अध्यक्ष—यह आपका कहना बिलकुल वाजिब है....

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मैं एक निवेदन करता हूं....

श्री अध्यक्ष---करिये। क्या कहते हैं ?

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमान् जी, जो कहा करते थे "मिली जुली कुश्ती" वह आज चरितार्थ हो गयी। मुझे तो आप निकाल देते हैं, कभी कुछ करते हैं, इस शेर से तो आप नाराज ही रहते हैं।

श्री अध्यक्ष---अच्छा ठीक है। तो त्रिलोकी सिंह जी ने ठीक कहा कि जबतक यह बदली नहीं जायगी प्रथा तबतक यही चलेगी, यह तो ठीक है, लेकिन जब मैंने सदन से अर्ज किया कि मैं ऐसी प्रथा चाहता हूं तो जो बदलने का तरीका है उसको भी तो अपनाऊंगा मैं। यानी बात-चीत करके यह होगा और प्रस्ताव आयेगा, सदन का रेजोल्यूशन हो जायगा कि यह प्रथा हम कायम करेंगे। तरीका बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो तरीका सही होगा वही हम अख्तियार करेंगे, लेकिन सदन की सच्ची राय तो मालूम ही जाय।

अब मैं इसे पढ़ता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---इसके पहले कि आप पढ़ें, मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने कहा कि नेता विरोधी दल को प्रमुखता होनी चाहिये। इसके पहले कुछ और था, अब और हुआ। खैर, मैं यह कहना चाहता हूं कि विषय पढ़ने के बाद स्वयं आप व्यवस्था देंगे। आपने विषय पढ़ा नहीं, हमने अपनी राय दे दी। हो सकता है कि आपकी राय सुनने के बाद हम कोई और राय कायम करें, तो इसके सिलसिले में भी कोई प्रथा डालनी पड़ेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---आपका कहना सही है। अगर सदन चाहता है कि पढ़ने के बाद फिर से राय ले लूं तो मैं राय ले लूंगा। रूल्स में भी है कि पहले पढ़ना चाहिये।

प्रस्ताव इस प्रकार से है---

"यह सदन वर्तमान मंत्रिपरिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है क्योंकि---

१---वह प्रदेश की शांति व्यवस्था कायम रखने और साम्प्रदायिक तत्वों के अत्याचार से समाज की रक्षा करने में असमर्थ रही है।

२---प्रदेश में अविवेकपूर्ण नियोजन के द्वारा जल निकास के स्वाभाविक मार्गों को अवरुद्ध कर, नैपाल बांध जैसे आवश्यक बांधों को न बांध कर और अवैज्ञानिक और गलत ढंग से बांध बांध कर निरन्तर कटाव व बाढ़ के कारण जन जीवन दूभर कर दिया है। और गत अक्तूबर की प्रदेश व्यापी बाढ़ में आवश्यक और तत्काल सहायता न पहुंचाकर लाखों बेघरबार व्यक्तियों को भूखों मरने के लिये छोड़ दिया है।

३---उच्चतम सीमा आरोपण अधिनियम को लागू करने में अनावश्यक अधिकतम विलम्ब करके लाखों एकड़ भूमि जो भूमिहीनों में बांटने के लिये उपलब्ध हो सकती थी, उपलब्ध नहीं होने दी।

४---माध्यमिक शिक्षा में मौलिक परिवर्तन करने संबंधी अपनी घोषणा को कार्यान्वित करने में असमर्थ रही है।

५---क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम के अनुसार भी जिला परिषदों का तत्काल चुनाव न कराकर जनभावनाओं के अनुरूप जिला परिषदों को संघटित करने में असमर्थ रही है।

६---प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन आदि में वृद्धि की घोषणा करने के बावजूद प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन भत्ते आदि में वृद्धि करने से इंकार कर भावीराष्ट्र के निर्माता अध्यापकों एवं प्रदेश के जनमानस को क्षोभ एवं असंतोष से भर दिया है।

[श्री अध्यक्ष]

७--प्रदेश के लाखों किसानों के गन्ने का बकाया समय पर वसूल न कराकर चीनी मिल मालिकों की हिमायत कर प्रदेश के लाखों किसानों को त्रस्त पीड़ित एवं सरकार की तथाकथित किसान हितकारिणी नीति के प्रति शंकाकुल बना दिया है ।

८--यह जानते हुये कि चीनी का स्टाक हो सकता है किन्तु गन्ने का नहीं एक ओर किसानों को गन्ना अधिक उत्पन्न करने का प्रोत्साहन देकर दूसरी ओर गतवर्ष की अपेक्षा एक माह पीछे चीनी मिलों में गन्ना पिराई प्रारम्भ करने की मारक नीति अपना कर दस करोड़ मन से अधिक गन्ने को ही बिना पेरे रखने को मजबूर नहीं किया है वरन् गुड़ और खांडसारी पर जो शक्कर उद्योग की सुरक्षा मित्ति थे लगातार लाइसेंस व सेस की मार कर उसे पंगु बना दिया है जिससे अब प्रदेश के किसान उक्त बकाया गन्ने को पेरने में असमर्थ हैं।

९--बिना हदबन्दी किये वर्तमान तरीके की चकबन्दी को लगातार क्षेत्रों में जारी कर भ्रष्टाचार व अनाचार को बढ़ावा दिया है ।

१०--प्रदेश में अदालत पंचायतों का समय बीत जाने के बावजूद नये क्षेत्रों द्वारा अदालत पंचायतों का गठन रोक कर जनमत को गहरी ठेस पहुंचाई है ।"

(प्रस्ताव के पक्ष में २८ सदस्य खड़े हुये)

श्री अध्यक्ष---इस प्रस्ताव के पक्ष में ८६ की संख्या होनी चाहिये थी जबकि केवल २८ की संख्या है अतः इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति नहीं मिली ।

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ पर अननुमोदन का प्रस्ताव

***श्री टम्बरेश्वर प्रसाद** (जिला सीतापुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ का अननुमोदन करता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अननुमोदन का प्रस्ताव मैंने सब से प्रथम रक्खा था । इस संबंध में मैं आपके सामने लिखित शिकायत भी पेश करूंगा । लेकिन मेरा प्रस्ताव पहले नहीं लिया गया, दूसरे का लिया गया आप इसकी इंक्वायरी करा सकते हैं . . .

श्री अध्यक्ष--मेरे पास तो यह सूचना है कि ११.२५ मिनट पर उनका आया और ११.२६ पर आपका आया . . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी--जी नहीं, उसी सेकेंड उग्रसेन जी ने मेज पर रखा, लेकिन रिसीव करने वाले ने देर कर दी ।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रध्यादेश है उसमें केवल परिवर्तन कुछ नये पैसों का है, बाटों का है लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह परिवर्तन बहुत पहले हो चुका था। यह अध्यादेश इस बात का द्योतक है कि सरकार मामूली कार्यों को भी अध्यादेश द्वारा करना चाहती है और मैं प्रमुखतः इस अध्यादेश का अननुमोदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की गन्ने की ओर से सदा से ही लापरवाही रही है तथा उससे कृषकों को बहुत ही क्षति उठानी पड़ी है । इस संबंध में इस विभाग की लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत यह है कि मुझे गन्ने के संबंध में कुछ सूचना की आवश्यकता थी और मैंने विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ही नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी इस विषय में बातें कीं कि मुझको यह सूचना चाहिये लेकिन वह सूचना मुझे न मिल सकी। माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं, मैंने उनसे सूचना मांगी लेकिन उससे वंचित रहा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—श्रीमन्, मुझसे कोई सूचना नहीं मांगी गयी । मेरे पी० ए० के कमरे में आप मिले थे और कहा था कि अध्यादेश की कापी हमें दिलवा दीजिये, मैंने कह दिया था कि विभाग से उनको वह कापी दिलवा दी जाय ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—श्रीमन्, अध्यादेश का तो प्रश्न ही नहीं था वह तो था ही । मैंने तो उनको लिखकर दिया था, वह उनके पास होगा । वह उसको देख लें । अगर वह कुछ और हो मुख्य मंत्री जी अपने को करेक्ट कर लें ।

अध्यक्ष महोदय, आपने गन्ने के संबंध में २ दिन के विवाद की आज्ञा दी है ।

श्री अध्यक्ष—दो दिन नहीं । विधेयक के बाद दी है ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, गन्ना कृषकों की सरकारी आज्ञा के द्वारा मुसीबतें और बढ़ गयी हैं । पिछले वर्ष की भांति पिराई का कोई प्रबन्ध नहीं है । इसलिये इस प्रस्ताव के द्वारा हम लोग सरकार की इस लापरवाही का ही विरोध कर रहे हैं क्योंकि उससे इस प्रदेश के करोड़ों गन्ना किसानों का अहित होने वाला है । केवल मात्र इसीलिये मैं इस अध्यादेश का अननुमोदन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—(श्री ब्रज नारायण तिवारी से) आप संक्षेप में ही बोलें क्योंकि अननुमोदन पर संक्षेप में ही भाषण होते हैं ।

***श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री टम्बरेश्वर प्रसाद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो उन्होंने इस अध्यादेश के सिलसिले में रखा है । मैं इस अध्यादेश को ऐसा मानता हूं, जिस प्रकार रूस का ५० मेघाटन का बम संसार के विनाश के लिये छोड़ा गया है उसी प्रकार से यह अध्यादेश गन्ना बोने वाले किसानों के लिये बम का काम करने वाला है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार के सामने वह अध्यादेश नहीं था जो दिल्ली की सरकार ने जारी किया है । पारसाल इसी सरकार की ओर से मिल मालिकों को छूट दी गयी थी और समय से पहले चलाने और अन्त में चलाने के लिये एक्साइज ड्यूटी छोड़ी गयी थी ताकि सब का सब गन्ना पेरा जाय । इस अध्यादेश के द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है कि इस वर्ष १० प्रतिशत चीनी कम बने । इससे मालूम हो जाता है कि इस सरकार की नीयत क्या है ? इसके पहले भी सरकार ने गन्ना क्रय कर ऐक्ट के द्वारा राब, गुड़ और खांडसारी पर टैक्स लगाया था । यह अध्यादेश देखने में बहुत छोटा सा है लेकिन यह गन्ना पैदा करने वाले किसानों के ऊपर तलवार का काम करेगा, एक प्रकार से बम का काम करने वाला है ।

श्री अध्यक्ष—अध्यादेश के अननुमोदन में यह बात नहीं है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—इसका सम्बन्ध उससे आता है । इसमें लिखा हुआ है—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ और उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, इन दोनों की नियमावली में जो फर्क पड़ गया है उसको ठीक करना है क्योंकि अब दोनों का एक रूप हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में मोटे तौर पर आप कुछ कह दें ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—जब दो महीने के बाद सेशन चलने वाला है तो ऐसी कौन-सी परिस्थिति आ गयी थी कि इस अध्यादेश को लाने की जरूरत पड़ी । कोई आसमान तो टूट नहीं पड़ता जिसके कारण इस सरकार को या गवर्नर महोदय को यह अध्यादेश निकालने की जरूरत पड़ी ? अगर गवर्नर महोदय अध्यादेश निकालना जरूरी समझते थे तो उनको इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

बात का अध्यादेश निकालना चाहिये था कि जहां पुराने ऐक्ट के आधार पर गवर्नर महोदय को यह विश्वास हो जाय कि किसी मिल जोन को किसी फैक्टरी को गन्ना पूरे तरीके से नहीं मिलेगा तो वहां गुड़, राब या खांडसारी नहीं बन सकेगी या टैक्स बाकी हो तो उनका सामान उठ सकता है। सबसे पहले जरूरी यह था कि गवर्नर महोदय इस प्रकार का अध्यादेश जारी करते जिससे गन्ना बोने वाले किसानों का नुकसान नहीं होता।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप सुझाव दे रहे हैं।

***श्री ब्रजनारायण तिवारी**---मैं समझता हूं कि कोई जरूरत नहीं है इस प्रकार के अध्यादेश की इसलिये सरकार को इसे वापस लेना चाहिये या सदन को इसे रद्द कर देना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन को याद दिलाऊं कि पिछले अधिवेशन में सरकार की ओर से कई अध्यादेश जारी किये गये और उन सभी के अननुमोदन का प्रस्ताव आया था और उस पर बहुत लम्बी बहस चली थी। माननीय मुख्य मंत्री ने एक प्रकार से इस तरह का आश्वासन दिया था कि वे इस तरह अध्यादेशों के जारी करने के आदी नहीं हैं और यथाशक्ति हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हम विधेयक को पारित कराने के बाद ही कोई नया कानून बनावें। लेकिन फिर भी पहली नवम्बर को ही अध्यादेश जारी कर दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने आश्वासन दिया था और ३० अगस्त को सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया और वह भी अचानक तो उस समय सरकार कहां थी? श्रीमन्, आपको स्मरण होगा कि पिछले अधिवेशन में हमारे सामने जो कार्यक्रम दिया गया था वह काफी लम्बा था और अभी १०-१२ दिन तक चलने वाला था लेकिन सरकार ने अनावश्यक रूप में अचानक उसे स्थगित कर दिया अनिश्चित काल के लिये और आज सरकार फिर अपनी गलती को मानती है कि एक बहुत ही आवश्यक कार्य करने से छूट गया। और वह अपनी उस गलती को दुरुस्त करने के लिये अध्यादेश जारी करने का प्रयास करके और भी गलती पर गलती दोहराती जा रही है। एक बड़ी गलती तो सरकार ने यह की कि उसने बिना पूर्व सूचना के सभी नियमों में परिवर्तन कर दिया जब कि उसे चाहिये था कि वह सदन के सामने इस प्रकार का विधेयक लाती और उसे यहां पारित कराने का प्रयत्न करती।

मैं समझता हूं कि सरकार का इस प्रकार से अध्यादेश लाना किसी प्रकार से समुचित और सन्तोषप्रद नहीं है। इससे साबित होता है कि सरकार अपने कर्त्तव्यों के प्रति सचेत न रहने की वजह से ही गलती पर गलती करती जाती है और उसका कोई स्पष्टीकरण भी सदन के सामने नहीं पेश करती। सरकार जब चाहती है सदन को बुलाती है और जब चाहती है उसे अनिश्चित काल के लिये अचानक स्थगित कर देती है। पिछले ५ साल का इतिहास यही बतलाता है कि जो तारीख पहले निश्चित की जाती है उसको बाद में बदल दिया जाता है और जो तारीख सदन के स्थगित करने की होती है उससे पहले ही उसे स्थगित कर दिया जाता है। इसका स्पष्ट प्रमाण हमारे सामने श्रीमन्, यही है कि अभी २१ तारीख तक का प्रोग्राम हम लोगों को दिया गया था लेकिन अब सदन १७ तारीख को ही स्थगित हो जायगा। सदन के बुलाने और उसे स्थगित करने में सरकार की तरफ से यह अनिश्चितता हमेशा बनी रही। तो मैं यह समझता हूं कि सरकार कभी भी अपने कार्यक्रम को पूरे तौर पर नहीं सोच पाती है, यह एक अवैधानिक तरीका मेरी समझ में है। इस में कोई नये नियम बनाने की बात नहीं है केवल कुछ मापों और बांटों को लागू करने की बात थी और यह बात सरकार को अपने अधिकारियों द्वारा पहले ही मालूम हो जाना चाहिये थी, इस में या तो अधिकारियों की लापरवाही थी या सरकार को जानकारी नहीं थी और यदि थी तो जानकारी रहते हुये भी सरकार सोचती नहीं कि क्या बात है, क्या उस को करना है। अगर सरकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर्मचारियों का अपराध है तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की और उनसे क्या इसके लिये कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है। मैं इस तरह से अध्यादेश लाने के तरीके को नापसन्द करता हूं और इसीलिये हम इसका अननुमोदन करते हैं और मैं चाहता हूं कि सदन भी इसको स्वीकार न करे। मैं सरकार की इस प्रकार की नीति का विरोध करता हूं और आशा करता हूं सदन इस का अनुनमोदन करेगा ।

*श्री चन्द्रजीत यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पिछले कई वर्षों से इस बात की चर्चा थी कि अन्तर्राष्ट्रीय एकता लाने के लिये माप तोल के पैमाने और बाटों में व सिक्कों में दशमलव व मैट्रिक प्रणालियों को अपनाया जाय। आज इसमें किसी को एतराज नहीं है क्योंकि यह प्रणाली अधिक सुविधाजनक है इसलिये यह अपनायी जा सकती है और अपनाना चाहिये लेकिन जिस तरह से और जिस मौके से यह आर्डिनेंस आया है उसका मैं विरोध करता हूं। पिछले दिनों सदन में बराबर इस तरह से आर्डिनेंस लाने का हमने विरोध किया है। संसदीय प्रणाली यह है कि यदि बिलकुल नामुमकिन हो और सदन के बठने की बिलकुल उम्मीद ही न हो और किसी तरह से भी काम न चलता हो और बहुत ही अनिवार्य हो जाय केवल उस दशा में ही अध्यादेश लाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि सरकार भी इससे सहमत होगी।

जब १७ अगस्त तक पिछली बार सदन बैठा और सरकार की यह मन्शा थी कि आने वाले गन्ने के मौसम में हम मैट्रिक प्रणाली के बाटों को अपनायेंगे तो उसी वक्त सरकार ने उसके लिये क्यों एक बिल उपस्थित नहीं किया ? हमारा तजुर्बा है कि पिछले सीजनों में किसानों का गन्ना समय से नहीं पेरा गया है और आज किसानों की मांग है कि इस बार सीजन पहले से शुरू किया जाय ताकि उनका गन्ना बरबाद न हो। सरकार भी निश्चित रूप से इस बात को समझती है कि इस साल पेराई एक मास पूर्व शुरु होनी चाहिये। यह आर्डिनेंस पिछले दिनों निकाला गया और आज यह बिल के रूप में आया है, सीजन प्रारम्भ होने का समय आ गया है अगर किसान के सामने तौल के वक्त यह नये बांट आयेंगे तो उसमें वह उन बाटों का आदी नहीं है, उसके साथ बेजा फायदे की सम्भावना पैदा होगी। किसान को इन तौलों को समझने के लिये समय मिलना चाहिये था। अगर २–३–४ मास का मौका मिलता तो वह अपने को इनके सम्बन्ध में शिक्षित करता और जानता तो उसको सहूलियत हो सकती थी। अब जब उसके सामने प्रेक्टिकल रूप में वह बांट आयेंगे तो वह अनभिज्ञ होगा। अच्छा होता कि पहले से उसको अपने को शिक्षित करने का अवसर दिया जाता और उसके बाद यह माप लागू होते। मैं चाहता हूं कि मौका होते हुये भी बिल न लाकर जो आर्डिनेंस लाने की सरकार की आदत बन गई वह गलत है और इस आदत का मैं विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं और कि सरकार आज इस बात की गारन्टी दे कि इस तरह के अध्यादेशों द्वारा संसदीय प्रणाली और प्रथा को भंग न करे।

सदन की बैठक ४ बजे सायंकाल स्थगित होने की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। इस सदन के उठने के पहले एक सोशल फंक्शन जरूर होता है हर बार, जबकि एसेम्बली आखीर में उठती है। मुख्य मंत्री जी ने आज शाम को ऐट होम के लिये सबको निमंत्रण दिया है और उसमें यह भी इच्छा है कि सबका फोटो भी खींचा जाय और रोशनी करीब करीब ५ बजे खत्म हो जाती है। तो अगर सदन को आपत्ति न हो तो आज ४ बजे यहां से उठ जायं और सवा चार बजे सबका फोटो हो जाय। परसों तो आप ज्यादा बैठ सकते हैं। परसों अध्यक्ष की ओर से सिर्फ चाय पार्टी ही है, लेकिन आज फोटो भी है, इसलिये आज प्रकाश का भी प्रश्न आता है। तो किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---आपत्ति तो नहीं है, लेकिन एक सूचना मैं चाहूंगा। अखबारों में पढ़ा है कि स्थान की तलाश हो रही है, किसी स्थान . . . . . .

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अखबारों को भी मजाक करने का अधिकार है, वह उन्होंने किया ।

श्री चन्द्रजीत यादव---स्थान कौन सा चुना गया ?

श्री अध्यक्ष---आपके पास नोटिस नहीं पहुंची ? जहां सम्पूर्णानन्द जी पहले रहते थे उसको अतिथि गृह बना दिया गया है। उसी जगह पर होगा। तो मैं समझता हूं कि ४ बजे हम उठेंगे ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---हम लोग नये मुख्य मंत्री का आवास बिना देखे ही चले जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह चैलेंज है । (हंसी)

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ के अननुमोदनार्थ प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अब संक्षेप में सदस्यों को अपनी बात कहनी चाहिये ताकि काफी अच्छी तरह से बहस हो सके ।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का, जो श्री टम्बरेश्वर प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है, इस आशय के साथ समर्थन करता हूं कि जहां तक संभव हो इतने बड़े बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों को अध्यादेश के द्वारा नहीं किया जाना चाहिये और विधान सभा में कानून पास करके ही उन कामों का सम्पादन किया जाना अच्छा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अध्यादेश के द्वारा यह प्रतीत होता है कि किसानों का गन्ना, जब वह बचने आयेंगे तो जो नये बांट हैं उन्हीं के द्वारा लिया जायगा। इससे किसानों को बड़ी भारी परेशानी हो सकती है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे नये पैसे चालू हुये तो उसके साथ साथ पुराने भी रहे, इसी प्रकार यदि नये और पुराने दोनों बांट साथ-साथ चलते रहें तो लेने वाले और देने वाले दोनों को आसानी हो सकती है।

इन दो संशोधनों के साथ मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, इस अध्यादेश के अननुमोदन का जो प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं और समर्थन इसलिये करना चाहता हूं कि असल में सरकार को राज्यपाल से कुछ और काम कराने की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार वस्तुस्थिति से कुछ दूसरी जगह रही और जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने इस प्रकार का अध्यादेश जारी करवाया ।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुये ।)

परिस्थिति बिलकुल भिन्न है इस वर्ष। जिस जमाने में खांडसारी की इकाइयों पर या गुड़, राब बनाने वाली इकाइयों पर टैक्स लगाया गया था उस समय की परिस्थिति बिलकुल भिन्न थी। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं सरकार को यह अधिकार तो है ही कि किसी ऐक्ट को रिपील भी करा सके। आवश्यकता इस बात की थी कि खांडसारी इकाइयों या गुड़, राब बनाने वाली इकाइयों के बारे में पिछले वर्ष जो कानून बनाया गया था वह रिपील कर दिया जाता। इसमें गवर्नर महोदय की शक्ति का अगर उपयोग किया गया होता तो मैं समझता हूं कि यह उत्तम कार्य होता और सचमुच प्रदेश के भविष्य के लिये, किसानों के लिये छोटे-छोटे धंधों के लिये बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अच्छी बात होती। लेकिन उल्टी बात हुई। मेरा भय यह है कि अब भी सरकार उस खतरे से अवगत नहीं है। जो किसान पर आपत्ति आने वाली है उससे अगर सरकार अवगत हुई होती तो इस अध्यादेश में अपनी शक्ति का उपयोग न करती बल्कि दूसरी तरफ शक्ति लगाती और गन्ने को किस तरह से अधिक से अधिक खपाया जाय, किस प्रकार लोगों को सुविधा दी जाय कि गन्ना फैक्ट्री से विगत जा करके भी खड़ा न रह जाय, यह विचारणीय बात थी। इस पर विचार नहीं किया गया। बल्कि अपनी पुरानी नीति बड़े-बड़े कारखानों को जो गन्ना दिलाने के लिये अपनायी थी उसी को दोहराया गया है, और यही गलती की गई है। मैं समझता हूं इस अध्यादेश का इसी दृष्टिकोण से विरोध करना उचित होगा, और विरोध करता हूं। आशा करता हूं सरकार सचमुच जो स्थिति है उस तरफ जाय और अध्ययन करके किसानों पर आफत न आ सके ऐसा कुछ विचार करे अन्यथा कामों में अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे। इसलिये मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--श्रीमन्, मैं अनुगृहीत हूं उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इसका समर्थन किया। मेरे विचार से अब इसमें कोई विवाद नहीं रह गया कि सरकार को इस प्रकार का अध्यादेश लाना नहीं चाहिये और इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिये, जो खुद मानती है कि नहीं करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं सदन से चाहूंगा कि वह मेरे प्रस्ताव का समर्थन करे या सरकार अपने अध्यादेश को वापस ले ले।

***सूचना राज्य मंत्री (श्री रऊफ़ जाफ़री)**--श्रीमन्, जो आर्डिनेंस जारी किया गया वह एक खास काम के लिये और खास मौके के लिये हुआ। पिछली दफा, जैसा सदस्यों को मालूम होगा, सदन और बाद तक बैठने वाला था लेकिन बाढ़ और दूसरी बातों की वजह से जल्दी उठ गया जिससे बहुत से काम जो तब लिए जाते, नहीं लिये जा सके। सदन खत्म हो गया। अब यह आर्डिनेंस जारी न किया जाता पहली नवम्बर से, शुगर फैक्टरीज़ में मैट्रिक सिस्टम लागू हो रहा था .....

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--मंत्री जी बतायेंगे बाट और माप कब से चल रहे हैं और सदन कब से उठा था ?

श्री रऊफ़ जाफ़री---यह तो आपको मालूम है। बहरहाल, सदन उठ गया और पहली नवम्बर से मैट्रिक सिस्टम चालू हो गया, उसी हिसाब से जो टैक्स वसूल करना है, किया जायगा, पहली नवम्बर से वह लागू हो गया। १२ तारीख से एक मिल चालू हो गई और १४ से दूसरी चलेगी। अगर यह आर्डिनेंस न जारी किया जाता तो जो गन्ना वहां जाता था उसकी कीमत का हिसाब ठीक न पड़ता था इसलिये यह जारी किया, उसमें कोई तबदीली नहीं है।

गेंदासिंह जी ने कहा आर्डिनेंस के जरिये से ऐक्ट का संशोधन कर दिया होता। तब तो वाकई एतराज़ की बात होती। मैं ज्यादा बहस में नहीं जाता लेकिन आर्डिनेंस के जरिये से चन्द महीने पहले हाउस ने जो कानून बनाया था उसमें अगर तबदीली कर देते तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन वह सब कुछ नहीं किया गया। सिर्फ इतना ही हुआ है कि मन की जगह अब जिस हिसाब से वजन किया जायगा ...

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--मंत्री जी को ज्ञात है कि इससे सरकार का कुछ रेवेन्यू बढ़ जायगा।

श्री रऊफ जाफरी--रेवेन्यू तो सरकार हमेशा बढ़ाना चाहती है। वह तो अलग बात रही। जो तबदीली हुई वह वजन के सिलसिले में हुई और उस वजन के हिसाब से जो कलेक्शन किया गया उसी हिसाब से नये पैसे में उसको ला दिया गया यह जो आप कह रहे हैं तो मुमकिन है कि उससे कोई फ्रेक्शन पैसे का पड़ता हो लेकिन उसको न करते तो वह घट भी जाती। बीच में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रऊफ़ जाफ़री]

कोई सिक्का नहीं है जिसको करके बिलकुल उस पर पूरा-पूरा ठीक उतारते। इस तरह से वह मजबूरी थी। वर्ना ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर एतराज किया जा सके। इसीलिये दूसरा बिल पेश हो सका। उस पर बहस करने तथा सुझाव देने का आपको हक है। मुझे इतना ही अर्ज करना था।

श्री गेंदासिंह---मुझे एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना था। मैंने यह नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि आर्डिनेंस इस बात के लिये निकाला जाता कि जो पुराना बिल है खांडसारी यूनिटों पर टैक्स लगाने का गुड़ तथा राब पर, उस पर से अगर टैक्स हटाने का आर्डिनेंस आता तो हम उसका स्वागत करते।

श्री अधिष्ठाता---अब इस को मैं दो बजे तक के लिये स्थगित करता हूं क्योंकि परम्परा यह है कि १ और २ के बीच में मत नहीं लिया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१†

सूचना राज्य मंत्री (श्री रऊफ़ जाफ़री)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक १९६१ [The U. P. Sugarcane Laws (Amendment) Bill, 1961] पर विचार किया जाय।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं कि "यह सदन उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१ को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर देने का निश्चय करता है। यह समिति अपना प्रतिवेदन १५ दिन में प्रस्तुत कर दे।"

श्रीमन्, इस संशोधन के रखने का केवल तात्पर्य यह है कि आज हमारे सामने किस गतिविधि से इस संशोधन विधेयक को पारित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले हमें इसे अध्यादेश के रूप में लाना और फिर अधिवेशन में इसे पुनः पूर्व सूचना के बिना किसी कार्यक्रम की सूचना दिये हुये इसे लाया गया है। इस अधिवेशन में इसकी पूर्व सूचना नहीं मिली थी। सारा कार्यक्रम हमको यहां आ कर मिला है। अब यह जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में हम लोगों के विचार आपस में नहीं हो पाये हैं। देखने में तो इसमें केवल यह मालूम होता है कि केवल माप सम्बन्धी हेर-फेर इसमें किया गया है लेकिन मैं चाहूंगा कि सदन को इस पर पूर्ण रूपेण विचार करने का मौका मिले। इस गन्ना विधि संशोधन (विधेयक) के सम्बन्ध में जो फिलहाल अभी दो तीन महीने के अन्दर प्रदेश में प्रतिक्रिया हुई है और जो स्थिति पैदा हो गयी है उस सब को देखते हुये क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम इस विधेयक पर ठंडे दिल से विचार करें। इसलिये मेरा यह संशोधन है कि इसे एक संयुक्त प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय क्योंकि दूसरा सदन भी इस पर विचार करेगा और वहां जा कर गन्ने के सम्बन्ध में जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिसके बारे में हमारे सदन के बहुत से सदस्यों ने प्रक्रिया नियमावली की दफा ५३ के अन्तर्गत विवाद भी किया है पिछले सदन में भी २ घंटे का विवाद हुआ और एक दिन भर विवाद हुआ और आज भी प्रक्रिया नियमावली के नियम ५३ के अन्तर्गत विवाद होने का समय ले रहे हैं उस पर हमें ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा।

आज सरकार केवल यह कह दे कि सिर्फ एक परिस्थिति है कि हम मनों की जगह पर क्विंटल रख दें या पैसों की जगह पर कुछ नये पैसों का हेर-फेर कर दें, तो यह बात सही नहीं है बल्कि स्थिति दूसरे प्रकार की है और वह यह कि गन्ना, जो किसानों का पैदा किया हुआ है उसका मूल्य उसे पूरे रूप नहीं मिल रहा है और यह सारा शकर उद्योग ही उल्टे ढंग से चल रहा है

---

†१३ नवम्बर, १९६१ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिससे गन्ना उत्पादकों को वह लाभप्रद नहीं हो रहा है । इसके अलावा गन्ना उत्पादकों के सामने यह एक जीवन मरण का प्रश्न बन गया है । तो क्या जब हम गन्ने के संबंध में अपने प्रदेश में ऐसी स्थिति पायें यह उचित नहीं है कि उस संबंध में जो कानून हमारे सामने हो उस पर हम इस तरह से विचार कर सकें कि वर्तमान परिस्थिति को कुछ सुलझाने का प्रयास कर सकें । आज हमारे सामने सरकार ने इस विषय को स्वतः रख दिया है और सरकार द्वारा स्वतः से लाये हुये विषय पर हमें अधिकार होता है कि हम उसके हर पहलू पर विचार करें ।

इस विधेयक के संबंध में मैंने जानबूझ कर परिधि बढ़ाने की बात नहीं कही है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि यह अधिवेशन जिसके केवल दो ही रोज शेष रह गये हैं इसमें हम उन पिछले पारित किये हुये अधिनियमों पर पुनर्विचार करें बल्कि हम यह जरूर चाहते हैं कि किसानों की गाढ़ी कमाई, गन्ने का मूल्य पाने के बारे में जो स्थिति पैदा हो गयी है या और बहुत सी चीजों के बारे में जो स्थिति पैदा हो गयी है उस बारे में हम इस विधेयक के अन्तर्गत रह कर कुछ विचार तथा परामर्श करें और यह विचार, परामर्श एक प्रवर समिति में ही अच्छी तरह से हो सकता है । यह बात दूसरी है कि इसके लिये समय १५ दिन का मांगा है । मैं यहां तक तैयार हूं कि अगर सरकार चाहे तो १५ दिन की अवधि को घटा कर एक हफ्ता या उससे भी घटा कर दो दिन या ४८ घंटे कर दे, लेकिन एक प्रवर समिति में हम बहुत सी बातों पर विचार कर लेते हैं । आज सदन में विवाद करने के बाद बजाय इसके कि हम घर चले जायं क्या यह अनुचित होगा कि इस विधेयक पर हम विचार कर लें । मैं अपने इस प्रस्ताव को किसी प्रकार से भी असामयिक और अनुचित नहीं मानता हूं बल्कि उसे उचित और सामयिक मानता हूं । सरकार चाहती हो या न चाहती हो गन्ने के संबंध में जो भी बातें पैदा हो गयी हैं इस सदन के बहुत से सदस्य उसको अपने तरीके से कहना चाहते हैं और उसके लिये सरकार ने एक मौका उनको दे भी दिया है । आज का पूरा दिन उसके लिये है । मैं मानता हूं कि बहुत सी बातें कही जा सकेंगी लेकिन तो भी यह समय काफी नहीं है बल्कि होना यह चाहिये कि इसको प्रवर समिति में भेज कर के जहां थोड़े से आदमी प्रतिनिधि के रूप में बैठते हैं उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान हो जाय और उसके फलस्वरूप यदि इस विधेयक में ही क्या अगर गन्ने से संबंधित अन्य कानूनों में जिनके संबंध में आज संशोधन करने का प्रयास इस विधेयक के द्वारा हो रहा है उन सबों को भी ध्यान में रख कर....

श्री अधिष्ठाता---माननीय अवस्थी जी, आप अपने को अपने प्रस्ताव तक ही सीमित रखें क्योंकि आपने इसमें परिधि बढ़ाने की मांग नहीं की है । इसलिये आप पुराने ऐक्टों या अन्य बातों के ऊपर विचार नहीं कर सकते । जो मौजूदा विधेयक है उसी तक आप अपने को सीमित रखें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैंने पहले ही कह दिया कि मैंने परिधि बढ़ाने की बात नहीं कही और न मैं कह रहा हूं लेकिन आप देखें, इसी में लिखा है, "उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ तथा उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) अधिनियम, १९६१ को संशोधित करने के लिये" तो जो संशोधन प्रस्तावित हैं उनके अन्तर्गत हम इन दोनों विधेयकों पर गौर कर सकते हैं । आज ये जो संशोधन हमारे सामने हैं इनके संबंध में मैंने थोड़े से संशोधन रखे हैं उनके ऊपर मैं बाद में अपने विचार रखूंगा । लेकिन अभी मुझे यह कहना है कि सरकार इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करदे जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हों और सब लोग बैठकर इस पर अच्छी तरह से विचार कर लें ।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---अधिष्ठाता महोदय, अभी अध्यादेश पर हम लोगों ने बहुत संक्षेप में कुछ बातचीत करके सरकार का इरादा जानना चाहता था । वैसे तो इस विधेयक के प्रस्तुत करने से सरकार का इरादा जाहिर होता है और सरकार को इस बात की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

चिन्ता नहीं मालूम होती है कि इस वर्ष गन्ना पैदा करने वालों पर जो संकट आ रहा है उसको कैसे टाला जाय बल्कि इस विधेयक के देखने से ऐसा मालूम होता है कि सरकार इस संबंध में गम्भीर नहीं है और सोच ती भी नहीं है और अगर मैं यह कहूं कि भारत सरकार कैसे मनाने जनाने और आरजू मिन्नत करने में भी इसका ध्यान नहीं है तो यह अनुचित न होगा।

माननीय अवस्थी जी का जो संशोधन इस विधेयक के संबंध में है कि इसके आकार प्रकार को बढ़ाने का अधिकार हो, बहुत उचित है। इसलिये जहां पर २५ नये पैसे, ६७ नये पैसे या १६ नये पैसे का जिक्र है वहां पर मैं अगर यह संशोधन रखूं कि एक पैसा कर दिया जाय तो यह समय के मुताबिक है। अगर मैं यह संशोधन रखूं कि बिलकुल हटा दिया जाय तो संभव है कि विधेयक के उद्देश्य से उसका मेल न बैठे और इसलिये वह अनियमित हो जाय। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि यह अनियमित नहीं होगा कि ६७ पैसे की जगह, २५ पैसे की जगह और १६ पैसे की जगह एक पैसा कर दिया जाय। यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं आज ही हाजिर हुआ हूं और दो दिन से नहीं था....

श्री अधिष्ठाता---आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते थे।

श्री गेंदासिंह---जी हां।

श्री अधिष्ठाता---आप लिखकर भेज दीजिये।

श्री गेंदासिंह---बहुत अच्छा, मैं अभी भेजे देता हूं। मैं अपने को इस विधेयक के भीतर ही कनफाइन करना चाहता हूं। इसके बाद यदि इतिहास को देखा जाय तो मालूम होगा कि एक जमाना था जब २ पैसे के बजाय २५ नये पैसे सैस लगाया गया था और इसलिए लगाया गया था कि सैस की रकम को केन डेवलपमेंट में खर्च की जाय। सड़कें बनाने में, कुयें खोदने में, गन्ने की उपज बढ़ाने में तथा गन्ने की वैराइटी अच्छी करने में यह रकम खर्च की जायगी उस समय के उद्योग मंत्री कैलाशनाथ काटजू जी थे जब सर्वप्रथम कांग्रेस सरकार आयी थी स वक्त यह बात सोची गयी थी और सैस लगाया गया था। उस वक्त से बढ़ाते बढ़ाते २५ नये पैसे कर लिया है। आज परिस्थित बदली है या नहीं बदली है? अगर बदली है और सरकार को उसका ज्ञान है तो २५ नये पैसे सैस लगाने की क्या आवश्यकता है?

फिर दूसरी बात माननीय उद्योग मंत्री के सामने की है। माननीय उद्योग मंत्री तो बुजुर्ग हैं। कैलाशनाथ काटजू के सामने जो बात हुई थी वह उनको स्मरण होगी और डिपार्टमेंट ने भी बतलाया होगा। अगर न बतलाया हो तो मैं उनकी खिदमत में आकर बतलाने को तैयार हूं। उस समय कहा गया था कि खांडसारी में जो लोग हैं वह निकम्मे हैं। यह गन्ने से कम चीनी निकालते हैं। राष्ट्र को क्षति पहुंचती है। बड़े कारखाने १०० मन गन्ने में १० मन चीनी निकालते हैं जब कि खांडसारी वाले केवल सात, साढ़े सात मन निकालते हैं। हर १०० मन गन्ने पर दो-तीन मन चीनी बेकार जाती है। उसको बचाने के लिये सरकार ने कहा कि हम खांडसारी की यूनिटों को लाइसेंस करेंगे और उनके ऊपर कुछ टैक्स लगायेंगे। इन्हीं दलीलों को देकर लाइसेंस और टैक्स लगाया गया था। पश्चिमी जिलों में और रुहेलखंड में चीनी के बड़े कारखानों और खांडसारी वालों में मुकाबला हो गया था। बड़े कारखाने वालों ने स्माल स्केल इंडस्ट्री, खांडसारी यूनिटों और कोल्हुओं को दबाने के लिये आवाज उठायी और बड़ मिल मालिकों की तरफ से यह मांग की गयी जिसके अनुसार टैक्स और सैस लगाया गया। उसी मांग को कार्यान्वित करने के लिये यह व्यवस्था की गयी थी। जब हम इस सदन में पूछते थे तो माननीय उद्योग मंत्री की कुर्सी से कहा जाता था कि अगर बड़े कारखाने वालों को उत्पादन करने का पूरा मौका न मिला तो क्या होगा? खांडसारी वालों की मदद करने से थोड़े ही काम चलता है चाहे कोल्हू और खांडसारी यूनिट्स जहन्नुम में चली जायं बड़े मिल मालिकों को ज्यादा से ज्यादा चीनी बनाने का मौका मिलना चाहिये। यह बात कही जाती थी सदन में। अनेक मर्तबा इस बात को सदन में दोहराया गया। मैंने सिर्फ स्मरण दिला दिया।

इस वर्ष तो बिलकुल दूसरी स्थिति आ गयी । जिस समय माननीय उद्योग मंत्री अपना वक्तव्य देंगे तो वह कहेंगे कि बड़ी बुरी परिस्थिति में फंस गये हैं, चीनी पड़ी हुई गोदामों में । उसको निकालने का बन्दोबस्त नहीं हो रहा है । काश्तकारों ने गन्ना बहुत बो लिया । इतने कम्बख्त काश्तकार हैं । मना करने से मानते नहीं । गन्ने में सारी खेती फंसाये रहते हैं । यह बातें माननीय उद्योग मंत्री कहने वाले हैं । इसलिये भाई हम गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो यह हुक्म दिया था कि १०० मन में ९० मन चीनी तैयार होगी, और दो सौ दिन के बजाय १५० दिन फैक्टरियां चलेंगी यह मानने को तैयार हो गये और उसी के अनुसार उपाय कर दिया । फैक्टरियों का चलना बन्द हो गया। दिसम्बर या नवम्बर के अन्त में फैक्टरियां चलेंगी । तो एक तरफ यह दलील दी जाय कि गन्ने की बहुतायत है, उसको हम कहां ले जायंगे ? यह भी कहा जायगा। कहा जायगा कि आखिर यह गन्ना खेत में सुखाया तो नहीं जायगा, जलेगा तो नहीं । माननीय उद्योग मंत्री जी कहेंगे कि नहीं नहीं, उसकी व्यवस्था की जायगी। कहां व्यवस्था होगी ? खांडसारी में जायगा कहां व्यवस्था होगी ? गुड़ बनेगा। गुड़ में जायगा और श्रीमन, गुड़ और खांडसारी के लिए हमारे जो कोल्हू और खांडसारी के यूनिट्स थे पिछले दो वर्षों में उसकी हुलिया टाइट हो गई। गुड़ को डम्प करने के लिए, सरकार के जरिये उसके बाजार को बिगाड़ने के लिए उसकी कीमत गिराने के लिए मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वह जानकारी करें कि सरकार द्वारा कुछ कोशिश हुई कि नहीं। पिछले दो वर्षों से मुझे मालूम है कि कोशिश हुई और कोशिश करके गुड़ की कीमत को गिराया गया और कीमत गिरा कर काश्तकार को उससे विरत किया गया कि गुड़ ज्यादा वह न बनाये ।

यह तो सब हुआ अन्दरूनी तरीके से। बाहर का तरीका जो है वह आपके सामने है कि जो खांडसारी के ऊपर आक्रमण किया गया और खांडसारी को मटियामेट करने की कोशिश की गई। गुड़ कोआपरेटिव का धन्धा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोल्हू ऐसा धन्धा है कि अकेले वह चल नहीं सकता। कोआपरेटिव की चर्चा बड़े जोरों के साथ हो रही है। दिल्ली के धौरहरे से उसकी चर्चा होती है, लखनऊ के धौरहरे से होती है कि हम कोआपरेटिव के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किए हुए हैं और आप जानते हैं कि कोआपरेटिव आधार के अलावा और किसी दूसरे तरीके से कोल्हू चल नहीं सकता। माननीय उद्योग मंत्री जी स्वतः उस इलाके के रहने वाले हैं। वह जानते हैं कि कोल्हू में एक आदमी से काम नहीं चल सकता। किसी का कोल्हू होता है, कोई कढ़ाव लाता है, किसी के बैल होते हैं, गन्ना किसी और का आता है। इस तरह से उसमें दस पन्द्रह आदमी जब तक मिल कर काम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चल सकता। इतने लोग मिल कर गुड़ बनाते हैं। उसमें गांव के लड़के भी रस पीते हैं और दूसरे भी शामिल होते हैं। तो उस गुड़ को मारने की कोशिश पिछले वर्षों में नहीं हुई इस बात को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। गुड़ को मारने की कोशिश हुई, खांडसारी को मारने की कोशिश हुई। दोनों कोशिशों के बाद अगर जिन्दा रह गया तो अपने भाग्य से और इस वर्ष मैं यह जरूर समझता था कि इस विधेयक के जरिये से सरकार को यह ज्ञात हो गया है कि कुछ करोड़ मन गन्ना खेत में खड़ा रह कर सूखेगा। वह स्वतः माननीय उद्योग मंत्री जी अपने वक्तव्य में बतायेंगे और हम उसको जानना चाहेंगे। वह बतावें कि सरप्लस गन्ना इतना हुआ है। वह सरप्लस गन्ना कहां जायगा ? उसके लिए सरकार के पास क्या इन्तजाम है ? या काश्तकार ही सबसे मरा हुआ आदमी है कि सरप्लस हो जाय तो काश्तकार मारा जाय डेफिसिट हो जाय तो काश्तकार मारा जाय ? जब भी कुछ हो तो वही मारा जाय। हम कन्ज्यूमर की भी फिक्र करते हैं।

मैं, श्रीमन्, उस सम्बन्ध में भी अपने प्वाइंट आफ व्यू को रखना चाहूंगा उस वक्त जब कि इसके ऊपर विवाद होगा। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को या तो वापस लेना चाहिए सरकार को और दूसरा कोई तरीका नहीं है और नहीं तो अवस्थी जी के इस संशोधन को मानना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि आउटराइटली इसको उठा कर फेंक

[श्री गेंदासिंह]

देना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस पर विचार करने की कोई बहुत जरूरत है क्योंकि सरकार ने अपनी बुद्धि से बिल कुल काम नहीं लिया है। उसने अपने विवेक का बिलकुल उपयोग नहीं किया। अब यह बात ठीक है कि सेलेक्ट कमेटी में जायगा तो रिपोर्ट आने में थोड़ी देर लगेगी और रिपोर्ट आने पर फैसला करने में देर लगेगी। मैं तो समझता हूं, उस वक्त तो मैंने नहीं कहा इस बात को और अध्यादेश जो है उसके अननुमोदन का प्रस्ताव जो था वह तो गिर गया, तो अब तो वह अध्यादेश लागू रहेगा जब तक कि यह विधेयक फिर स्वीकृत न हो जाय।

इसी विधेयक के आखिर में एक कलाज है कि हम उस अध्यादेश को रिपील करते हैं। तो जब तक रिपील नहीं करते हैं तब तक वह काम करता रहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस मसले पर विचार करने के लिए यह प्रवर समिति में जाय इस अधिकार के साथ कि और बातें भी वह देख सके और उन पर भी विचार कर सके। क्योंकि सरकार को कोई सही बात न सूझे तो आखिर डेमोक्रेसी इसीलिए तो है श्रीमन, इस प्रजातन्त्र में अगर यह बात मान ली गई होती और पोलिटिकल साइन्स के विद्वान यह समझ लिये होते कि दाहिने तरफ बैठते हैं वही हमेशा सही सोचते हैं और उनके बाईं तरफ बैठने वाले ठीक नहीं सोचते तब तो यह बात हो सकती थी.....

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—आपकी अक्ल भी बहुत बढ़िया है। हम इसको मानते हैं।

श्री गेंदासिंह—अगर राममूर्ति जी मेरी अक्ल की तारीफ करते हैं तो वह गवर्नमेंट की अक्ल को क्या कहते होंगे यह मैं समझ सकता हूं। मैं जानता हूं कि वह कैबिनेट के मंत्री हैं। मैं समझता हूं कि कैबिनेट में जिस समय इस तरह का कानून आवे और इस तरह का अध्यादेश लाने की बात हो तो राममूर्ति जी कैबिनेट को सही रूप में चलाने की चेष्टा करें। मैं यह कहता हूं कि कभी भी आपने सोचा कि इधर बैठने वालों के पास भी कुछ अक्ल है। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि जो दलील इस वक्त मैंने दी हैं वह दलील सब आपको स्वीकार हैं लेकिन अब कौन-सी मजबूरी है कि इनको स्वीकार न किया जाय। मेरी बातों को उद्योग मंत्री जी नोट भी नहीं कर रहे हैं। मालूम होता है कि हमने जितनी बातें कही हैं उन सब का जवाब वह अपनी याददाश्त से दे देंगे। मुझे उससे सन्तोष नहीं होगा यह आप इत्मीनान रखिये।

श्रीमन, मैं ऐसा समझता हूं कि अवस्थी जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय तो काम ठीक हो सकता है। मंत्री जी भी उसमें बैठेंगे और हम भी बैठेंगे। हमको कोई एतराज नहीं है कि डिप्टी स्पीकर के स्थान पर उद्योग मंत्री हो उसके चेयरमैन हों। उनके सामने बैठ कर इस पर विचार विमर्श करेंगे। हमको ऐसा लगता है कि विचार विमर्श करने के बाद शायद हम इसको सुधार सकते हैं और समय के मुताबिक इस विधेयक को बनाया जा सकता है। इन बातों को कहते हुये मैं उम्मीद करता हूं कि उद्योग मंत्री जी अवस्थी जी के प्रस्ताव को मंजूर करेंगे और अगर मंजूर नहीं करते हैं तो इसको वापस ले लेंगे।

*श्री गोविंदसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठाता महोदय, मेरा तो कोई विशेष विचार नहीं था कि इस तकरीर में भाग लूं लेकिन कुछ मित्रों का आग्रह हुआ तो मैं खड़ा हुआ। मेरे लिये दिक्कत यह है कि जिस भाग से मैं आता हूं वहां यह गन्ने की समस्या नहीं है और न मैंने गन्ने की समस्या का अध्ययन किया है लेकिन जिस तरीके से यहां पर गन्ने के बारे में एक अध्यादेश लाया गया वह तरीका उचित नहीं था। मैं आपके द्वारा इतना ही निवेदन करूंगा कि अध्यादेश और आर्डिनेंस का राज्य ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिये। इससे बुरी पद्धति बनती है। जो पद्धति एक बार बन जाती है, जो परम्परा एक बार बन जाती है तो कल को यदि विरोधी लोग ही वहां पर जाकर बैठें तो वे भी उस पर चलने का प्रयत्न करेंगे। आप उस समय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विरोधी दल में बैठे होंगे तो आपको वह बुरा लगेगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि स्यस्थ परम्परा डालना ही अच्छा होता है।

दूसरी बात कही गई जो मैट्रिक बाटों की प्रणाली चलाये जाने के बारे में थी। जिस समय मैट्रिक बाटों की प्रणाली का बिधेयक आया था उसको बहुत दिन हो चुके हैं। उसके बाद भी यह आ सकता था लेकिन तब भी इसके लिये विधेयक नहीं आया। कितना समय उसको हो गया और इतने दिन बीतने पर भी इस सम्बन्ध में विधेयक नहीं लाया गया। जिस समय मैट्रिक प्रणाली को चेञ्ज किया गया तब यह नहीं आया। जब सरकार ने इतनी डिले की तब भी वह यह नहीं चाहती थी।

एक तरफ तो सरकार का नारा है कि आज नियोजन का युग है उसके लिए एक एक पैसे को बचाया जाय, यहां तक कि देश की सम्पत्ति का दुरुपयोग न हो और तिनके-तिनके को बचा कर नियोजन के लिये रखा जाय। अभी हाल ही में इसी आदरणीय सदन में माननीय मंत्री जी की ओर से कहा गया था कि हम तो हर तरीके से रेवेन्यू को बढ़ाने में लगे हुये हैं। तो एक तरफ तो नियोजन के लिये पैसा बचाने की बात कही जाय, दूसरी तरफ इस मैट्रिक प्रणाली और नये सिक्कों की प्रणाली अपना कर जनता के करोड़ों रुपयों का खात्मा किया जाय। क्या आपके दिमाग में इस मैट्रिक प्रणाली को अपनाने के बाद यह भी आया कि आखिर पुराने बाटों का क्या होगा? एक मामूली से मामूली दूकानदार के यहां ३०/४० रुपये के बांट रहते हैं। अगर हम केवल लखनऊ और कानपुर शहर का ही तखमीना लगायें तो इन दोनों जगह दूकानदारों के पास करोड़ों रुपये के बाट निकलेंगे। लेकिन चेन्ज ओवर का एक फैशन सरकार ने बना लिया है। परिवर्तन होना चाहिये, इसलिये सरकार ने इसको इतनी जल्दी बदल दिया। रेल की पटरी का लोहा अगर होता तो वह काम में आ सकता था, लेकिन इन बाटों का लोहा तो किसी काम में आता ही नहीं। इससे करोड़ों रुपये का नुकसान व्यापारियों को हो जायेगा।

श्रीमन्, जब सरकार की यह नीति है तो फिर बचत कैसे हो सकेगी? सरकार एक तरफ बचत करती है, दूसरी तरफ करोड़ों रुपया इस मैट्रिक प्रणाली को बदलने में खर्च कर रही है। मैं पूछता हूं कि आखिर इसके लिये इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? इसको कुछ समय के लिये रोका जा सकता था।

गन्ने की बात कही गयी। मुख्य मंत्री जी ने कुछ दिन पहले नियम ५२ के प्रस्ताव पर बोलते हुये कहा था, इसी सदन में, कि हम पाबन्दी इसलिये लगा रहे हैं क्योंकि गन्ने का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब यह पहला अधिनियम बना उस समय मिल मालिकों की ओर से यह मांग थी कि हमको गन्ने की रेगुलर सप्लाई होनी चाहिये। उस समय गन्ना जितना चाहिये था उतना मुहइया नहीं होता था। इसलिये उस समय जरूरत थी खांडसारी पर प्रतिबन्ध लगाने की। अब जब इतना ज्यादा गन्ना पैदा होने लगा है तो आपके पास क्या जस्टीफिकेशन इन सब कानूनों के लिये रह जाता है? मुझे निराशा हुई जब वह विधेयक यहां पर पेश हुआ। हम उम्मीद करते थे कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय उसका कुछ जस्टीफिकेशन तो जरूर बतायेंगे, लेकिन उन्होंने तो चुप चाप बैठ कर इतना ही कह दिया कि मैं इस विधेयक को पेश करता हूं। उसके बाद उनके पास कुछ कहने को था नहीं, इसलिए ऐसी बातें कह दीं। गन्ने की सप्लाई एक्सेस है। उदाहरण दे दूं, उससे जेल डिपार्टमेंट का भी ताल्लुक है। जेल डिपार्टमेंट के फार्म सितारगंज में ८ लाख मन पैदावार का तखमीना है। उसकी खपत कहां हुई, यह पता नहीं। केन कमिश्नर को पहले कंसल्ट नहीं किया गया। इतना ज्यादा गन्ना हो गया तो फिर जस्टिफिकेशन हो गया, १२ दिन के नोटिस में खांडसारियों को दे दिया गया और मुझे पता लगा कि १० आने फी मन के हिसाब से ७–८ लाख मन सरकार को गन्ना दिया जा चुका है और सरकार को बड़ा लास हो रहा है। पब्लिक एक्सचेकर सबका है, अवाम का है इसलिए मैंने तवज्जह दिलाई कि उसे लो। नहीं तो क्या हो रहा है? अगर एक रुपया फी मन भी इसमें नुकसान हुआ तो ८ लाख मन में ८ लाख का हुआ। हमने कई खत लिखे मंत्री जी को, लेकिन ३ रिमाइंडर

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

पर भी आज तक जवाब नहीं मिला। इतना ही नहीं, हमें पता लगा है कि सारा डील फाइनलाइज किया जा रहा है। हमें तो हैरत हुई यह सुन कर कि उनसे १ रुपया ८ आने मन लिया गया है और १० आने मन दिखाया गया है। वह बाकी रकम न मालूम किसके काम आयी। तो माननीय मंत्री जी अपने सहयोगी अन्य मंत्रियों को तो सुझाव दें कि इस तरह की बात न करें।

जहां तक मौजूदा क्विंटल वगैरह का सवाल है, मैं तो कहूंगा कि इस बात को थोड़े दिन के लिए स्थगित करने के लिए केन्द्र से भी सिफारिश करें कि जब तक पुराने बाट नहीं घिस जाते और लोग पढ़ लिख नहीं जाते और सिक्कों को नहीं समझ पाते तब तक उनके लिए उतावली न करें ताकि देश का नुकसान होने से बच जाय।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवस्थी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी, छोटा विधेयक है, वहां ठंडे दिल से उस पर विचार करने की कृपा करेंगे और वहां बैठने के बाद सोमवार को आ सकता है और हाउस एक आध दिन बढ़ सकता है। अभी मंत्री जी ने कहा कि तब विधेयक इसलिए नहीं आया कि सैलाब आया हुआ था। ठीक है एक नहीं दो सैलाब आये हुए थे। आप को याद होगा कि एक दम जैसे बिजली का स्विच आफ हो जाता है, इसी तरह से असेम्बली ७–८ दिन पहले खत्म कर दी गयी।

श्री रऊफ़ जाफ़री—सैलाब ३–३ दफा आये थे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—एक पहले आया था, जब ९८ आदमियों ने दस्तखत किये थे कि सरकार बहुत निकम्मी है, भ्रष्टाचारी है, माननीय मंत्री जी के भी उसमें दस्तखत थे कि कि संपूर्णानन्द सरकार ऐसी है, वैसी है। आपका कहना दुरुस्त है ३ सैलाब थे, आई स्टैंड करेक्टेड मैंने अपने को शुद्ध कर लिया। फिर जो सैलाब आया तो बंदरिया बाग डूबा, बड़े बड़े बंगले डूबे, बहुत लोग बाढ़ पीड़ित हुए, विस्थापित हो गये, शरणार्थी बन गये। अखबार में पढ़ा, बड़ा खराब सैलाब आ रहा है, तो आवश्यकता थी कि पहले ही किश्ती और पतवार ठीक कर ली जाय। उस कांग्रेस पार्टी के झगड़े में सारे प्रदेश को तबाह किया जायगा, यही पालिसी आज दिखाई देती है: सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, पत्रों का उत्तर नहीं मिलता क्यों? कि मिनिस्टर साहब को फुरसत ही कहां है पार्टीबाजी से, तिकड़म बाजी से। जिस जनता ने हमको और उनको चुन कर भेजा है, उसके काम करने की उनको फुरसत नहीं है। बाढ़ की बात कहना यह सब धोके की बात है। इन शब्दों के साथ मैं अवस्थी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—यह जो माननीय अवस्थी जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह मानी हुई बात है कि इसके पहले जो अननुमोदन का प्रस्ताव था, वह प्रस्ताव इस हाउस ने अस्वीकार कर दिया।

श्री अधिष्ठाता—अभी संभवतः अस्वीकार नहीं हुआ

श्री मुरलीधर कुरील—अच्छी बात है। संभवतः यह मानी हुई बात है कि अध्यादेश जारी होने के बाद इस हाउस को अपनी स्वीकृति देनी होती है कि अध्यादेश ठीक है और मैं समझता हूं कि उसको यह हाउस स्वीकार कर लेगा। अभी जो बातें माननीय सदस्य कह रहे थे उनमें से बहुत सी ऐसी बात हैं जो इस विधेयक से संबंध ही नहीं रखतीं .....

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री मुरलीधर कुरील—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि हाउस इसको स्वीकार कर लेगा। मैं यह भी बता रहा था कि माननीय सदस्यों ने बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं था, इस वजह से उनका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता।

एक बात उन्होंने यह कही कि मैट्रिक प्रणाली को बहुत जल्दी से लागू किया जा रहा है। इसके बारे में भारत सरकार और प्रान्तीय सरकार की ओर से काफी प्रचार किया जा चुका है तथा यह स्कीम प्रान्तीय सरकार की नहीं बल्कि भारत सरकार की है। जो भारत सरकार की स्कीम्स होती हैं उनको प्रान्तीय सरकार को कार्यान्वित करना ही होता है। सब लोग जानते हैं कि एक डेढ़ साल से बराबर हर तरह से प्रचार किया और धीरे-धीरे उसको लागू किया जा रहा है। पहले उसको सरकारी दूकानों आदि पर लागू किया गया और अब धीरे-धीरे पब्लिक में लागू किया जा रहा है। इसलिये उनका यह कहना कि इसमें जल्दबाजी की जा रही है, गलत है। अब भी मैं समझता हूं लोगों के बीच में पहुंचने में उसको बहुत समय लग जायगा। इसके साथ ही साथ अगर हम इस संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं तो सारे भारत में एक सा चलन हो जायगा। अभी तो भिन्न-भिन्न जगहों पर भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रणालियां हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रणालियां हैं। इससे पूरे भारत में एक ही प्रकार की नाप तौल की प्रणाली हो जाने के कारण व्यापार और लेन-देन में काफी सुविधा हो जायगी और सभी जगह किसी प्रकार की कोई असुविधा न रहेगी। इसमें कहीं पर किसी आदमी के लिये घाटे या मुनाफे की बात नहीं उठेगी। साथ ही मैं समझता हूं इससे अन्तर प्रान्तीय तथा मुल्कों से होने वाले व्यापार में सहूलियत होगी। इन बातों को सोच समझ कर ही इस विधेयक को लाया गया है और लोगों की जानकारी के लिये काफी प्रचार भी किया जा चुका है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है यह बहुत ही छोटा है इसलिये मैं आशा करता हूं कि आदरणीय सदन इसको स्वीकार करेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सेलेक्ट कमेटी के लिये जो प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ पर अननुमोदन का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—अब मैं, सदन के सामने जो पहले प्रस्ताव था उस पर वोट ले लूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१ (क्रमागत)

***श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, अवस्थी जी का जो संशोधन है उसमें परिधि बढ़ाने का संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है अगर आपकी इजाजत हो तो उस पर भी बोल दिया जाय?

श्री अधिष्ठाता—इस समय सदन जिस पर विचार कर रहा है उसी पर अपना भाषण सीमित रखें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक केवल देखने में ही एक छोटा विधेयक है। इसके उद्देश्य और कारणों में बताया गया है कि एक प्रकार के माप और बाटों की प्रणाली के प्रचलन के लिये यह संशोधन पेश किया गया है और जो मनों पर सरकार केन सेस लेती थी उसको अब क्वीन्टल्स पर लिया जा रहा है। अधिष्ठाता महोदय पहले उसका नाम था 'केन सेस' लेकिन अब उसका नाम बदलकर हो गया "गन्ना क्रय कर"। मेरा ऐसा अन्दाजा है और शायद मैं सही हूं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में खरीदने के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता है, बेचने के ऊपर भले ही लिया जाता हो जोकि यहां गन्ने पर है। पुराने ऐक्ट में एक मन गन्ने पर २५ नया पैसा टैक्स था लेकिन उस समय १९ नये पैसे की दर से ही वह वसूल किया जाता रहा। लेकिन अब क्वीन्टल के आधार पर उसको बढ़ाकर ६७ नये पैसे किया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

तो देखने में यह बहुत छोटा विधेयक है लेकिन यह पैसा आयेगा कहां से, यह किससे लिया जायगा ? इसी बात का विरोध है। अगर आप एकरूपता ही स्थापित करना चाहते हैं, मनों को क्वीन्टल्स मे बदलना चाहते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार आखिर गन्ना बोने वाले किसानों से कितना टैक्स लेना चाहती है ? उनके गन्ने की बिक्री कैसे हो, उसकी पेराई कैसे हो, इस ओर तो सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं इस बात का स्वागत किये होता अगर सरकार एक व्यापक बिल लाई होती कि किस तरह से गन्ना किसानों का संकट दूर किया जाय। मैं देवरिया का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है कि पारसाल सात महीने तक फैक्टरियां चलीं लेकिन इस साल केन्द्रीय सरकार का अध्यादेश ५ महीने चलाने का है और पारसाल से १० फीसदी कम चीनी बनाने का है।.....

श्री अधिष्ठाता—जब वह प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया जायगा तब आप उस पर बोलियेगा, अभी आप अवस्थी जी के प्रस्ताव पर ही अपने भाषण को सीमित रखें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—माननीय अवस्थी जी का प्रस्ताव यह था कि इसे संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। आखिर प्रवर समिति के सुपुर्द करने का अर्थ क्या है, वहां किस विषय पर विचार किया जायगा, इसी पर मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माप व बाट की समानता के उद्देश्य से जो संशोधन विधेयक यहां लाया गया है उसके साथ ही साथ अगर गन्ना सप्लाई के सम्बन्ध में भी कोई संशोधन होता तो मैं उसको उचित समझता। हालांकि गन्ना सप्लाई का जो ऐक्ट है और गन्ना क्रय-कर ऐक्ट इन दोनों को मिला कर एक ऐक्ट उपस्थित किया गया है जिससे एक ही नियम बनाने की जरूरत पड़े। मैं समझता हूं कि वह संकट जो आने वाला है उस संकट से बचने के लिये सरकार कोई विधेयक यहां लाती तो उसका मैं दिल से स्वागत करता लेकिन आज जो यह टैक्स लगाना चाहते हैं उसमें टैक्स बढ़ा भी रहे हैं। यह नहीं है कि पुराने मन को क्विंटल में बदलने से टैक्स कुछ कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह टैक्स देवरिया जिले से ज्यादा लिया जायगा। साढ़े ५ करोड़ मन गन्ना देवरिया जिला पैदा करता है और जो गन्ना खांडसारी की दूकानों पर ले जाया जायगा उस पर १६ नये पैसे टैक्स लगेगा जब कि पुराने ऐक्ट में ६ पैसे ही टैक्स था। माना कि क्विंटल मन से कुछ अधिक है लेकिन क्या जरूरत है कि गन्ना बोने वालों से टैक्स लिया जाय ? कोई जरूरत नहीं है। जो गन्ना बोने वाले हैं उनसे टैक्स कम लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। अगर आप टैक्स लेना चाहते हैं तो मिल मालिकों का मुनाफा कम करें लेकिन इस संकट की घड़ी में जब कि गन्ने की पेराई का पूरा होना असम्भव है। इस सूबे में ऐसी हालत में भी यदि कोई गुड़ खांडसारी की इकाई लगाना चाहता है तो उस पर टैक्स लगाने में सरकार की क्या मंशा है ? इसका साफ मतलब यह है कि सरकार की इच्छा नहीं है कि गन्ना बोने वाले किसानों का पूरा गन्ना पेरा जा सके। अगर सरकार की यह इच्छा होती तो केवल गन्ना फैक्टरीज पर ही यह टैक्स होता। गुड़, खांडसारी बनाने की इकाई पर कोई टैक्स नहीं होता।

जो बड़ी उदारता के साथ केन कमिश्नर ने सारे प्रदेश में एक आदेश जारी कर रखा है कि जहां कोई चाहे किसी फैक्टरी जोन में भी वह क्रसर लगा सकता है लेकिन आपके जरिये मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि किस किसान की इतनी बड़ी हैसियत है कि वह एक दो महीने के लिये १६-२० हजार रुपये का क्रसर लगा सके। यह तो उसके लिये एक तलवार ही है। दूसरी तलवार जो केन कमिश्नर ने किसानों के सर लादी है वह यह है कि केन कमिश्नर को अधिकार दिया गया है कि किन-किन शर्तों पर वह टैक्स लगा सकता है तथा किन-किन बातों पर क्रसर लगाने वाले व्यापारियों को लाइसेंस देने से रोक सकता है तथा उनको तंग कर सकता है.....

श्री अधिष्ठाता—आप अपने को उस प्रस्ताव तक ही सीमित रखें। आप उसकी परिधि के बाहर जा रहे हैं। अब अवस्थी जी का प्रस्ताव इसकी परिधि को बढ़ाने वाला आयेगा तब आप

उस पर कुछ बोल लेंगे लेकिन इस वक्त मैं प्रस्ताव की परिधि से बाहर बोलने की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---मैं उसी तक अपने को सीमित रखूंगा । मैं आपकी इजाजत से पुराने ऐक्ट की कुछ लाइनें पढ़ दूं ....

श्री अधिष्ठाता---मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । आप परिधि के बाहर अपना भाषण करते रहे हैं । आप ने कुछ रेफरेंस दे दिया वह तो ठीक था लेकिन आप का सारा का सारा भाषण परिधि के बाहर ही हुआ है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---मैं इसकी चन्द लाइन आप के सामने पढ़ दूं जहां इम्पोज करने के मुताल्लिक मूल धारा में प्राविजन है जहां पर पुराने टैक्स की बात है उसका मैं हवाला देना चाहता हूं ताकि जब यह प्रवर समिति मे जाय तो उस पर विचार हो सके ।

श्री अधिष्ठाता---वह प्रवर समिति नहीं कर सकती, इसमें परिधि बढ़ाने की बात नहीं है आप नये मापों के सम्बन्ध में ही विचार कर सकते हैं, परिधि बढ़ाने की बात नहीं है वह प्रवर समिति का अधिकार ही न होगा इसलिये उसके आगे आपका जाना व्यर्थ ही होगा ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---मैं समझता हूं कि इसमें बुनियादी खामी है और उसको ठीक करने के लिये इसे प्रवर समिति में जरूर भेजा जाय । इससे न सरकार की मन्शा और न सूबे के किसानों की ही मन्शा पूरी हो सकती है । इसलिये यह जरूरी है कि इस तरह के बिल को एक संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा जाय और वहां इस पर विचार हो और फिर उसके बाद यह सदन में आये और तब यह सदन इस पर विचार कर के इसे पास करे । इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस को प्रवर समिति में भेजा जाय ।

***श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, यों तो इस सदन में जब कभी इससे भी निर्दोष विधेयक आये तो उनको प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव हमेशा आये हैं इसलिये यह कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं थी कि ऐसा प्रस्ताव आज वह लाये हैं लेकिन फिर भी मैं समझता था कि आज की जैसी परिस्थिति में इस विधेयक पर विचार करते समय शायद प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव नहीं आयेगा और उसका कारण यह था कि आज जब इस सदन की अवधि में केवल दो तीन दिन ही बाकी रह गये हैं उस समय ऐसा प्रस्ताव कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो १५ दिन में अपनी रिपोर्ट के कदाचित् न आयेगा । इससे स्वयं प्रस्तावक की जो मन्शा हो सकती है वह नष्ट हो जाती है और कदाचित् प्रस्तावक महोदय ने ऐसा समझा भी हो कि इस बिल को प्रवर समिति में जाने से और बिना परिधि बढ़ाये हुये भी कोई लाभ पहुंच सकता था या किसान लोग यह समझ सकते हों कि माननीय अवस्थी जी किसानों की वकालत बहुत अच्छी तरह से करते हैं । लेकिन अब किसान इतना भोला-भाला नहीं रह गया है । अब वह आसानी से विवेचना कर सकता है और समझ सकता है कि माननीय अवस्थी जी का मनशा क्या है । उनकी ऐसी मनशा वास्तव में नहीं है अगर वास्तव में उनकी मनशा किसानों की मदद करने की होती तो इसका विरोध तो किया जा सकता था लेकिन परिधि बढ़ाने की बात मैं नहीं समझ सका .....

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि वह जो परिधि बढ़ाने की बात कह रहे हैं वह प्रस्ताव न मेरा है न किसी का है .....

श्री अधिष्ठाता---ठीक है, इसमें केवल प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव है ....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---मैं आभारी हूं माननीय मोतीलाल जी का, उनकी बात ठीक है मेरा स्लिप आफ टन्ग हो गया मेरा मतलब प्रवर समिति में भेजने की बात से ही था। अभी यहां पर गुड़ खांडसारी के टैक्स की बात कही जा रही थी। मैंने सदन में और बाहर गुड़ और खांडसारी पर टैक्स न लगे इसके लिये यथाशक्ति आवाज उठाई थी। इस मौके पर हम सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकते थे कि उन्होंने गुड़ और खांडसारी के सेस को पूर्णरूप से हटा दिया है। इस सम्बन्ध में सदन में और बाहर जो विचार व्यक्त किये गये उन भावनाओं का मैं आदर करता हूं। मैं आपके द्वारा इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं और सरकार के प्रति अपनी और इस सदन की कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मुझे आश्चर्य हुआ कि माननीय सदस्य जो मुझसे पहले बोल रहे थे शायद उनको अभी परिचय न हुआ हो लेकिन अगर हुआ होता तो शायद वे भी हमारी भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करते। गुड़ और खांडसारी पर आज कोई सेस बकाया नहीं रह गया। उत्तर प्रदेश सरकार उसको हटा चुकी। वह प्रश्न बिलकुल मृतप्राय हो चुका है।

इसके अतिरिक्त एक बात और है मैं यह भी नहीं समझ सका कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी आधारभूत बात है कि जिसके लिये प्रवर समिति में भेजने को कहा जा रहा है। इसमें एक सीधी-सी बात है कि एक हमारा माप था उसको हम परिवर्तित करना चाहते हैं। कहा गया कि १९ पैसे के बजाय इतने पैसे बढ़ा रहे हैं कितना भयंकर परिवर्तन है। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि १९ पैसे के बजाय इतना कर रहे है तो मन के बजाय किलोग्राम भी तो कर रहे हैं। जब कोई परिवर्तन करेंगे तो आधे या चौथाई पैसे का फर्क पड़ना अनिवार्य है। उसको छोड़कर कोई और फर्क नहीं है। अतः मैं माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव का जो कि प्रवर समिति के लिये है विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि वह उसको वापस ले लेंगे।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)---अधिष्ठाता महोदय, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---कोरम तो है।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**---श्रीमान् इस विषय पर जो माननीय सदस्य बोले है उन सभी के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करते हुये कहना चाहता हूं कि सभी पार्टियों के सदस्यों ने मेरे संशोधन का समर्थन किया है। सरकार के दल का जो रुख है वह तो पहले से ही जाना हुआ है। मैं जगदीशशरण जी को इतना बता देना चाहता हूं कि यह एक मूलभूत विधेयक है जिसमें न केवल माप आदि के संबंध में परिवर्तन की बात है बल्कि जिससे एक ऐसी चीज प्रारम्भ हो जायगी जिससे किसानों के लिये एक मुसीबत हो जायेगी। कहा गया है कि इन परिवर्तनों के साथ एक नई व्यवस्था आ जायगी। मैं उन्हें बता दूं कि नई व्यवस्था नहीं आ जायगी बल्कि एक नई क्रान्ति आ जायगी और उस क्रान्ति के परिणाम स्वरूप बहुत से सदस्य जो आज इसको यों ही समझ रहे हैं किनारे लग जायंगे। अभी कुछ कम्पनियों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि इन बातों में परिवर्तन हो ले फिर किसानों के ऊपर यह चीज थोपी जायेगी। तो यह परिवर्तन वही परिवर्तन होगा जैसा कि इतिहास में कहा गया है एक बादशाह को कि वह योग्य भी था और बेवकूफ भी था---मुहम्मद तुगलक--उसने भी कुछ इस प्रकार की कोशिश की थी।

सरकार ने सिक्कों के संबंध में कुछ तब्दीली की है। लेकिन सिक्कों की तब्दीली और बांटों की तब्दीली में अन्तर है। सिक्कों के सम्बन्ध में यह किया गया कि पुराने सिक्के तत्काल नहीं हटाये गये, लेकिन बांटों की तब्दीली के सम्बन्ध में सरकार का प्रयास है कि पुराने बांट एकदम हट जायं और नये बांटों का प्रयोग एकदम होने लगे। इसका परिणाम यह होगा कि यह प्रदेश जो किसानों का प्रदेश है, उसे एक नई आपत्ति का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि इस आपत्ति का सामना न कर सकने पर उन्हें कुछ क्रांति का मार्ग अपनाना पड़े।

(हंसी की आवाज)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप इसलिये हंस रहे हैं कि आप रोम जैसे बादशाह बन गये हैं। जब रोम में आग लगी थी तो वह भी ऐसे ही हंसा था और रावण के सामने जब राम की सेना आई थी तो वह भी ऐसे ही हंसा था। वही हंसी आपकी भी है। आप इस बात को समझ लें कि यह सज्जन जो आज इसको उस रूप में नहीं ले रहे हैं जिसमें मैं समझा रहा हूं। वह देखेंगे कि अगर चुनाव के समय जनता के सामने नये बाट प्रणाली को समझाने की कोशिश कर ले जायं और अपने पक्ष में उसका मत प्राप्त कर लें तो यही उनकी चुनौती हो जायगी कि कौन गलत कह रहा है और कौन सही। आप किसी ग्रामीण सभा में बाट परिवर्तन की बात कह कर के जरा जनता का समर्थन प्राप्त तो कर लें। यह मेरी उनको चुनौती है। सीधी बात यह है कि आज सरकार पिछले दरवाजे से एक ऐसी प्रणाली को ला रही है जो हमारे लिये ग्राह्य नहीं होगी और परिणाम यह होगा कि सरकार को बड़े तीव्र विरोध का सामना करना पड़ेगा।

मैंने जो प्रवर समिति में ले जाने का प्रस्ताव रखा है उसमें मैंने आफर किया था कि सरकार अगर चाहे तो १५ दिन की अवधि घटा कर २ दिन कर ले। मैं नहीं चाहता अनावश्यक समय लगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर विचार विनिमय अच्छी तरह से हो जाय और ऐसी स्थिति में जबकि हमारे विरोधी पक्ष के सभी सदस्यों ने कहा हो। अतः सरकार हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले।

*श्री रऊफ़ जाफ़री--श्रीमन्, जिस समय मैंने यह प्रस्ताव पेश किया मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके सिलसिले में बहुत सी बातें, जिनका कोई ताल्लुक इस बिल से नहीं है वह लायी जायेंगी। मैं गेंदा सिंह जी की बड़ी इज्जत करता हूं, उनकी समझदारी का बहुत कायल हूं और उसी समझदारी को बरतते हुये अभी जो आगे डिस्कशन होने वाला है गन्ने के सिलसिले में बहुत सी बातें कह दीं। अगर इस तरीके पर मैं भी कुछ चाहूं तो कह सकता हूं कि गेंदा सिंह जी यह कहेंगे क्योंकि ५ साल से इस मुताल्लिक उनकी बातें सुनता आ रहा हूं.....

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--मैं एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--यह जानकारी करने का समय नहीं है। आप बैठें।

श्री रऊफ़ जाफ़री--यह बिल बहुत ही मुख्तसर सा है। एक तो मन के बजाय मैट्रिक सिस्टम आ गया और उसके हिसाब से जितना पैसा इसी सदन ने टैक्स की शक्ल में मंजूर किया है उसी टैक्स को फिर लगा दिया गया है परिवर्तित करके। यहां जो बहस हुई वह यह हुई कि इतने बाट बेकार हो जायेंगे। यह कहा गया कि किसान समझेंगे नहीं इसलिये न किया जाय, उस पर राय ली जाय और चुनौती भी दी गई कि जनता उसको बतलावेगी। बहरहाल, चुनौती तो है और उसकी जिम्मेदारी को भी हम समझते हैं। भविष्यवाणी जो मोतीलाल जी ने की है मालूम नहीं वह हमारे हक में होगी या उनके। लेकिन जो बात थी वह यह है कि इसमें यह तो तय हो गया, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने इसको लगा दिया कि पहली नवम्बर से हिसाब किताब फैक्टरीज में होगा वह इस तरीके पर होगा, इस हिसाब से टैक्स लगेगा। जब यह हो गया तो इसके लिये आपके सामने आना पड़ा। और मैं समझता हूं सदन ने अध्यादेश के सिलसिले में जो अपनी स्वीकृति दी उसी से पता चलता है कि सदन की राय में जो बातें इसमें हैं उससे वह सहमत है। उसको कोई इख्तिलाफ नहीं है। बाकी रही यह बात कि १६ पैसे को एक पैसा किया जाय या ६७ पैसे के बजाय १ पैसा किया जाय तो इसके लिये इसे प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है। वह चीजें सामने आयेंगी। आप संशोधन दे सकते हैं। हम यहां बहस कर सकते हैं। हाउस मंजूर करेगा तो वह हो जायगा। इतना छोटा-सा यह बिल है कि इस पर यहीं हाउस में विचार हो जायगा। इसमें किसी समिति की जरूरत नहीं है। इन बातों के बाद इस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हाउस इसे मंजूर करेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१ को एक संयुक्त प्रवर समिति के सिपुर्द कर देने का निश्चय करता है। यह समिति अपना प्रतिवेदन १५ दिन में प्रस्तुत कर दे।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१ [The U. P. Sugarcane Laws (Amendment) Bill 1961] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ की धारा १८ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम १९५३ की धारा १८ की उपधारा (१) में शब्द तथा कामा "फैक्टरी अथवा गुड़ राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई द्वारा खरीद किये हुये गन्ने के प्रत्येक मन" के स्थान पर शब्द और कामा "फैक्टरी अथवा गुड़ या राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई, जैसी भी दशा हो, द्वारा खरीदे गये गन्ने के प्रत्येक 'क्वींटल" रख दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता—खंड २ में कोई अमेंडमेंट नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३ तथा ४

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ९ १९६१ की धारा ३ का संशोधन।

३—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) अधिनियम, १९६१ की धारा ३ की उपधारा (१) में :—

(१) खंड (क) में शब्द "प्रति मन गन्ने पर पच्चीस नये पैसे" के स्थान पर शब्द "प्रति क्वींटल गन्ने पर सड़सठ नये पैसे" रख दिये जायें, और

(२) खंड (ख) में शब्द "प्रति मन गन्ने पर छः नये पैसे' के स्थान पर शब्द "प्रति क्वींटल गन्ने पर सोलह नये पैसे' रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९६१ का निरसन यू०पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४।

४—उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अध्यादेश १९६१ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित की गई अधिनियमिति (enactment) हो।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं खंड ३ में निम्नलिखित संशोधन आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करता हूं—

"खंड ३ (१) की पंक्ति २ में शब्द "सड़सठ" के स्थान पर शब्द "पचास" रख दिया जावे।"

"खंड ३(२) की पंक्ति २ में शब्द "सोलह" के स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जावे।"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, अभी हमारे सामने उद्योग मन्त्री ने यह बात जरूर कही कि आज सारी बहस जो हुई वह आवश्यक नहीं थी। मैं आज तक जान नहीं पाया कि मन्त्रियों की तरफ से या सरकार की तरफ से किसी बहस के किसी अंश को आवश्यक समझा गया हो। वह हर बात को अपने नुक्तेनिगाह से देखने की कोशिश करते हैं। सरकार जब कभी कोई संशोधन विधेयक लाती है तभी हमारे को अवसर मिलता है कि सरकार का हम तत्सम्बन्धी विषयों पर रुख जानें और अपना रुख भी सरकार को बतावें। यह हमेशा सरकार का नियम सा रहा है और स्वभाव रहा है कि विवाद केवल उतने तक ही रहे जिस हिस्से का वह संशोधन ला रही है। आज भी उसी प्रकार की बात हमारे सामने लाई गई है। मैं उन्हें बतला दूं कि कुछ पैसे या पैसों के तरीकों में तो तब्दीली है या बांटों की तब्दीली है केवल इतना ही यह विषय नहीं है, विषय गन्ने के उत्पादन के सम्बन्ध में जो नियम हैं और कृषक के जीवन मरण का प्रश्न इससे सम्बन्धित है। फिर वह कैसे कहते हैं कि जो बहस हुई है वह अनावश्यक हुई है। वह अपनी निगाह से ही चीज को देखने की कोशिश करते हैं। अभी-अभी आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी ने कहा, सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि सरकार को रेंट कन्ट्रोल के बारे में विधेयक प्रस्तुत करने की प्राथमिकता ही नहीं मिली। इससे अर्थ यह निकला कि सरकार बहुत सी बातों को जिनको समझने की कोशिश भी करती है उन्हें कार्यान्वित करने के लिये उसका मन नहीं करता और कहती है कि हमको प्राथमिकता नहीं मिली, मौका नहीं मिला। सरकार द्वारा जितने भी विषय हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं उन सब में हमें यही दिखायी पड़ा है कि हर विषय की वह एक बृहत दृष्टि से देख ही नहीं पाती है और कभी-कभी मान भी लेती है कि हम इसमें परिवर्तन चाहते हैं और करेंगे और इसके लिये एक बृहत विधेयक लायेंगे।

चाहे आप शिक्षा प्रणाली के बारे में सरकार की नीति को देखें, चाहे बड़े-बड़े कन्ट्रोलों की नीति के बारे में देखें, चाहे शांति व्यवस्था के बारे में देखें, हर समय सरकार ने यही कहा है कि हम एक बृहत परिवर्तन करने की बात सोच रहे हैं और कमेटी, कमीशन बना रहे हैं। लेकिन इतना ही कह देने के बाद आगे जो कार्यरूप में परिणत करने के लिये कदम होना चाहिये वह उठते कभी नहीं देखा। आश्वासन ही मिलते रहते हैं और इसके बाद अपने पांच साल की अवधि पूरी कर लेते हैं। ठीक यही बात आज हमारे सामने गन्ने के सम्बन्ध में भी है। इस सम्बन्ध में जो नीति सरकार की रही ठीक उसके विपरीत विरोधी पार्टियों का दृष्टिकोण रहा और वे दूसरी बातें सजेश्चन के रूप में सरकार के सामने रखती रहीं। ऐसी हालत में सरकार को यह कहने का हक नहीं है कि उसको उचित उपाय बताये नहीं गये। गन्ने के मामले को ही ले लीजिये, अनेक उचित उपाय जो व्यवहार रूप में सही हैं बताये गये और आज भी प्रवर समिति के सामने रखकर बताने का प्रयास था। आज क्विंटल की बात कह कर सरकार क्यों सामने आई, न आती। लेकिन जब उसको आना पड़ा तो हमें अधिकार है कि उसको बता दें कि तुम्हारा मार्ग अब भी गलत है और अब तुम अन्तिम अवस्था में आ चुके हो।

मैंने यह संशोधन रखा है। हो सकता है कि उसमें देखने से यह पता लगे कि कुछ नये पैसों की कमी की गई, लेकिन केवल इतनी बात नहीं है। इसके साथ कुछ सिद्धान्त हैं। उद्योग मन्त्री जी ने बड़े तपाक से गेंदा सिंह जी की बात का जवाब देते हुये कहा था कि हां, सरकार अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती है और बढ़ायेगी। आखिर सरकार का पेट कितना बड़ा है? क्या वह अपना पेट इतना बढ़ायेगी कि किसानों को बिल्कुल निगल जायगी,

जस जस सुरसा बदन बढ़ावा,
तासु दुगुन कपि रूप दिखावा।

क्या कपि को दूसरा रूप दिखाना पड़ेगा सरकार को? पता नहीं यह सरकार क्यों इतने अभिमान से कहती है कि हां, हम बढ़ायेंगे? श्रीमन, ४ बजे एक फतवा हमारे सामने आयेगा। ४ करोड़ मांग लेंगे, जितना चाहेंगे माग लेंगे क्योंकि भस्मासुर का बल इनके साथ

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

है, लेना भी हमारा, खाना भी हमारा और हजम करना भी हमारा, यह इनका हाल है। सोचिये कितने खतरे के बिन्दु पर हम लोग हैं अ र जनता जनार्दन के परीक्षणकाल का जमाना है फिर भी यह भयहीन हैं। फिर भी इनकी रोम जैसे बादशाह की हालत है जिस समय रोम जल रहा था वह बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था। यह सब क्या है?

(इस समय २ बजकर ४० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

'विनाश काले विपरीत बुद्धि' की बात है। आप कहेंगे कि एक ही पाई बढ़ाई, एक ही नया पैसा तो बढ़ाया है। अब देखेंगे कि वे कितना अनुदान किसानों के लिये रखते हैं। कभी उन्होंने घटाया भी है जिससे किसान का फायदा हो या हमेशा बढ़ाते ही रहेंगे। जब कभी घटाया गया तो पूंजीपतियों का ही घटाया गया। श्रीमन, मन्त्री जो यहां बैठे हैं उनके मुखारबिन्द से मैंने सुना है कि सेस का करोड़ों रुपया पूंजीपतियों के ऊपर बकाया है। लेकिन हम उसको, उनको गिरफ्तार करके या लज्जित करके वसूल नहीं करेंगे। यह चीज मैं उनके मुंह से सुन चुका हूं।

श्री रऊफ जाफरी---यह कब आपने सुना कि हम उनसे वसूल नहीं करेंगे?

श्री मोतीलाल अवस्थी---हमने सुना है। अब आप बैठिये। इतना मैं अपनी बुद्धि से कहता हूं। आप लफ्जों के चक्कर में मुझे न डालिये। मैं अध्यापक रहा हूं और पढ़ाना जानता हूं। एक तरफ करोड़ों रुपया उनकी कृपा से, उनके कर्मचारियों के कर्म से पड़ा है और दूसरी तरफ यह बढ़ाना चाहते हैं तो क्या यह किसानों की खाल खींचकर बढ़ाना चाहते हैं? केवल यह कहकर कि एक ही पैसा बढ़ा रहे हैं। आप लेना ही लेना जानते हैं।

श्रीमन्, बाढ़ आई हुई है और किसानों की करोड़ों रुपयों की फसल की हानि हुई है। अब हम अनुपूरक बजट में देखेंगे कि उनके लिये आपने क्या रखा है। उनके लिये केवल २२ लाख ही रखेंगे और अन्य विभागों के लिये करोड़ों रुपया रखेंगे। आपको बढ़ाने का क्या हक है और वह भी आखिरी समय जब आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य "आप" शब्द का प्रयोग न करें क्योंकि यह मेरे लिये प्रयोग होता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आप सरकार के रूप में भी बैठ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---यह गलत है। "आप" सरकार के लिये कहा करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---ठीक है, मैं गलत हूं, लेकिन यह एक स्वभाव हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने बार-बार कहा है। आप बहस न कीजिये, जो आज्ञा दी गई है उसका पालन कीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं मानता हूं। लेकिन आपके टोकने पर भी लोग भूल जाते हैं, मैं भी भूल गया, क्या करूं? मैं कह रहा था कि सरकार बढ़ोत्तरी करते समय भूल जाती है कि हिन्दुस्तान का किसान, इस प्रदेश का किसान आज गरीब हो रहा है। उसकी औसत आमदनी पिछले साल से घट गई है। आज भी हिन्दुस्तान का किसान वैसे ही भूमिहीन बना हुआ है। दस लाख एकड़ भूमि भूमिहीनों को देने का सवाल था लेकिन वह अब केवल डेढ़ लाख ही रह गई है। आपने उनको अगूठा दिखा दिया।

श्री उपाध्यक्ष---आप तो टीचर हैं, आपको जल्दी सीख लेना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---जी हां, सीखने की कोशिश कर रहा हूं । भूमिहीनों के बसाने की बात कही गई । सीमा आरोपण बिल. . . .

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, माननीय सदस्य संशोधन पर बोल रहे हैं या लेक्चर दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं देख ही रहा था कि वह क्या बोल रहे हैं । आप जरा संशोधन पर ही बोलिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आप जरा उनको समझा दीजिये कि मैं अपने संशोधन पर ही बोल रहा हूं । सरकार का मंशा पैसे की बढ़ोत्तरी करने का है और उसके विरोध में मैं हूं और वही बोल रहा हूं, दूसरी बात नहीं कह रहा हूं । मुझसे कहा गया था कि हम किसानों के लिये भूमि देंगे और गन्ना उत्पादकों के लिये अन्य सुविधायें देंगे, सड़कें बनायेंगे, मिलों तक आने जाने के लिये और खेती की उन्नति के उपाय करेंगे लेकिन वह उन्नति कैसे होगी ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं कि अब तक तो माननीय अवस्थी जी "आप आप" कह रहे थे लेकिन अब "हम" शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब क्या उनका मतलब "हम" शब्द से सरकार से है और अगर "हम" शब्द "सरकार" के लिये है तो क्या वे सरकार का काम कर रहे हैं ? यह मैं अपनी जानकारी के लिये जानना चाहता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी को तो अब इस समय दावत और फोटो के खिचवाने की ज्यादा चिन्ता है और इसलिये जल्दी खत्म करने की चिन्ता में हैं ।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं कि अवस्थी जी से मैंने अगर कोई बात समझने की कोशिश की तो मुझे फोटो की चिन्ता और भोजन की चिन्ता इस प्रकार के व्यक्तिगत लांछन उन्होंने मेरे ऊपर लगाये । मैं तो अवस्थी जी के भाषण को ध्यानपूर्वक सुन रहा था लेकिन उन्होंने इस तरह से एक जानकारी के लिये पूछने पर व्यक्तिगत लांछन लगाया तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मोतीलाल जी से कहें कि वे इन शब्दों को वापस लें ।

श्री उपाध्यक्ष---फोटो खिचवाने में आतुरता दिखलाने की कमजोरी सबकी होती है केवल आपकी ही नहीं । इसमें आपत्ति की बात क्या ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---यह जो मेरा समय व्यर्थ गया इसे कृपया बढ़ा देंगे । जो आश्वासन हमें श्रीमन्, गन्ना उत्पादकों के सम्बन्ध में दिये गये थे वे एक भी फलीभूत होते नहीं दिख रहे हैं, और उसका एक अंश भी पूरा नहीं हो पा रहा है । हां, एक बात जरूर है कि गन्ना के किसानों और उन किसानों की कुचलने वाले मिल मालिकों के बीच में संघर्ष बढ़ता जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य से मैं कहूंगा, कि आपने जो संशोधन दिया है कि बजाय ६७ पैसे के ५० पैसे कर दिया जाय, वह क्यों किया जाय इसी तक आप अपना भाषण सीमित रखिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं तो गरीब किसानों की बात कह रहा हूं और उनकी बात इस तरह से न कहूं तो किस तरह से कहूं ?

श्री उपाध्यक्ष---यह आप बता दीजिये कि आपके संशोधन स्वीकृत हो जाने से क्या लाभ होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---लाभ की बात तो सरकार बतायेगी मैं तो हानि की बात बता रहा हूं। अगर आप समझते हैं कि मैं ठीक से भाषण नहीं करता तो मैं बैठ सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---हां, अगर ठीक से भाषण नहीं कर सकते तो बैठ जाना ही ठीक है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---भाषण तो मैं चार साल से कर रहा हूं और आप यह नहीं समझ पाये कि मैं भाषण ठीक से कर पाता हूं या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं थोड़ा समय आपको और दिये देता हूं और अगर आप ठीक से नहीं बोलेंगे तो मुझे रोकना ही पड़ेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं बोल तो रहा हूं और बोलूंगा उसी तरीके से जैसे कि अब तक बोलता रहा हूं। तो मैं यह कह रहा था कि १६ नये पैसे की जगह पर १२ नये पैसे, ६७ की जगह पर ५० नये पैसे इसलिये रखे जायं क्योंकि आपने कहा था कि हम गरीबों के लिये राहत देंगे। क्या यही तरीका है राहत देने का जो आप कर रहे हैं? क्या टैक्स को बढ़ाकर सुविधायें देंगे? आज तक कोई राहत हमें देखने को नहीं मिली जो किसानों को आपने दी हो बल्कि देखते यह हैं कि मिल मालिकों के साथ रियायत करके उसके बाद जो सेस मिलता है उससे सरकार की आमदनी बढ़ती है लेकिन राहत किसान को तो कुछ नहीं मिलती है। जो आश्वासन दिये गये हैं वह एक भी पूरा नहीं हो रहे हैं। सरकार किसानों से तो येन केन प्रकारेण पैसा मांग रही है घुमाफिरा कर और आज फिर कहते हैं कि सिवटल से पैसा ले रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम उसी पुरानी बात को याद दिला रहे हैं और किसानों की आखिरी चमड़ी खींची जा रही है। यह वृत्ति है कि लेंगे और बढ़ा कर लेंगे। शब्दों के जाल में तो मैं फंसता नहीं। सब समझ और देख चुका हूं। कुछ रास्ता बताने के लिये नहीं रह गया है। श्रीमन, यह बढ़ोतरी का प्रश्न हमारे सामने है उन किसानों के ऊपर जो गन्ना के किसान हैं, जिन की तादाद लाखों करोड़ों है और जिनके पक्ष में विरोधी पक्ष के लोगों ने अनेकों दफा समय-समय पर अपने सुझावों के द्वारा सरकार को सचेत किया है। आज फिर वही कहानी सामने आ जाती है। फिर हम से कहा जाय कि इन संशोधनों पर हम अपने हृदय के उदगार न प्रकट करें। यह विधेयक उन करोड़ों किसानों को कोंचने के लिये है, उनको जगाने के लिये है। मैं इस विधेयक का तीव्र विरोध करता हूं, मेरा संशोधन समयोचित है और सरकार को मैं चेतावनी देता हूं अगर वह नहीं सुनती है तो यह उसका दुर्भाग्य है।

श्री सूरयबहादुर शाह (जिला खीरी)---श्रीमन, एक निवेदन है। यदि आपकी आज्ञा हो और मन्त्री महोदय स्वीकार करें तो एक छोटा सा वर्बल अमेंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष---आप लिख कर भेज दीजिये।

माननीय उद्योग मन्त्री कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि और कोई सदस्य बोलने वाला नहीं है।

श्री रऊफ जाफरी---अगर वह संशोधन दे रहे हैं, तो दे दें। उस पर भी विचार हो जायगा। अगर मैं बोल लूंगा तो फिर बहस नहीं होगी।

*श्री गेंदासिंह---माननीय मन्त्री जी का सुझाव यह है कि वह संशोधन ले लिया जाय और मैंने उसे भेज रखा है। इसी खंड ३ में है।

श्री उपाध्यक्ष---तो आप पेश कर दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) (क) में शब्द "सड़सठ नये पैसे" के स्थान पर शब्द "तीन नये पैसे" रख दिये जायं, तथा खंड ३ के उपखंड (२) (ख) में शब्द "सोलह नये पैसे" के स्थान पर शब्द "एक नया पैसा" रख दिया जाय । (व्यवधान) मैं इस लिये यह चाहता हूं ५० नये पैसे और १२ नये पैसे, तीन पैसे और एक पैसा, दोनों में श्रीमन्, कितना फर्क है । दोनों आदमियों की बात एक नहीं है । दलील एक हो सकती है । लेकिन अवस्थी जी का संशोधन जो है अवस्थी जी ने जहां ५० नये पैसे रखा है उसकी जगह मैं चाहता हूं कि ३ नया पैसा रखा जाय और अवस्थी जी ने जहां १२ नये पैसे रखा है वहां मैं एक पैसा रखना चाहता हूं, एक नया पैसा ।

अपनी बात में संक्षेप में ही कह देना चाहता हूं । एक बात तो यह है कि खांडसारी पर तो आवश्यकता ही नहीं थी अब इस टैक्स को रखने की । मैं इसके पहले उन बातों पर पूरी तरह से रोशनी डाल चुका हूं और मैं समझता हूं कि यह जो खांडसारी पर टैक्स श्रीमन्, लगाया गया था आपको याद होगा वह इसलिये लगाया गया था कि खांडसारी को गवर्नमेंट कुछ डिस्करेज करना चाहती थी और वह इसलिये डिस्करेज करना चाहती थी कि पार्लियामेंट में कुछ हमारे उस दल के सदस्यों ने कुछ सवाल उठाया कि गन्ना वहां चला जा रहा है और सफेद चीनी की कमी हो जायगी, इसलिये अब गन्ने को हम डाइवर्ट नहीं होने देना चाहते गुड़ और खांडसारी में और गन्ना काफी मात्रा में सफेद चीनी के कारखानों को देना चाहते हैं जिससे कि सफेद चीनी ज्यादा मात्रा में तैयार हो सके ।

श्रीमन्, इस समय जो शंका बताई जाती है सरकार की तरफ से वह यह है कि यू० पी० के चीनी गोदामों में बहुत अधिक चीनी भरी पड़ी है और सरकार यह व्यवस्था करना चाहती है कि किसी प्रकार वह तमाम काश्तकारों का गन्ना जो खेतों में इस साल खड़ा है वह मिलों में सब पेरा न जाय और वह गन्ना पेरा न जाय उसके लिये सरकार अनेक बन्धन खड़े कर रही है । यह बन्धन दो हैं । एक तो यह कि मिलों से कहा जा रहा है कि १५० दिन से ज्यादा न चलें और दूसरा बन्धन सरकार की तरफ से यह है कि जिसने १०० मन चीनी पिछले साल बनाई थी वह ९० मन से ज्यादा इस साल नहीं बना पायेगा । अगर वह बनाते हैं तो पेनल डयूटी उनको देनी पड़ेगी । तो किसी भी हालत में जितना गन्ना इस वक्त खड़ा है उतना गन्ना न पेरा जाय ऐसा सरकार का इरादा मालूम होता है ।

श्री रऊफ जाफरी—सब पेरा जायगा ।

श्री गेंदासिंह—अच्छा है अगर सब पेरा जायगा । मैं समझता हूं कि उद्योग मंत्री जी जो यह कह रहे हैं कि सब पेर जायगा तो यह शुभकामना उनकी अच्छी है ।

श्री रऊफ जाफरी—दिल में आपको सब पता है ।

श्री गेंदासिंह—वह तो ठीक है । लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं श्रीमन्, कि वह कैसे पेरा जायगा ? कोल्हू नहीं हैं । खांडसारी बनाने की यूनिट्स हमारी तबाह हो गईं । पिछले वर्ष जो भी लाइसेंसिंग आर्डर लिये हुये थे वह तबाह हो गये । लाइसेंस तो उसके लिये लेना ही पड़ेगा । बगैर लाइसेंस के आज भी खांडसारी नहीं चल सकती । गुड़ की बिक्री का कोई इन्तजाम सरकार ने किया नहीं है कि काश्तकार गुड़ बनाने की ओर जाय । जो हमारे पास पुराने तरीके के कोल्हू थे उनको तो इस तरह सरकार ने बरबाद करने की कोशिश की कि वह बरबाद हो गये और पिछले साल यहां बैठने वाले लोग जो हैं वह साल भर इस बात की कोशिश करते रहे कि कोल्हू चलने न पावे, खांडसारी टिकने न पावे, जिन्दा न रहने पाये । इस वर्ष सरकार को उससे वापस होना चाहिये था क्योंकि परिस्थिति बदल गई । आज गन्ना इतना इफरात में है कि मिलें उसको पेर नहीं सकतीं (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं मंत्री जी से यह कहूंगा कि बार-बार उनको टोकें नहीं । उनको मौका मिलेगा ।

श्री गेंदासिंह—आज मिलें जो हैं उनको रोका जा रहा है गन्ना पेरने से । एक समय परिस्थिति यह थी कि मिलों को गन्ना दिलाने के लिये व्यवस्था की गई थी कि किस तरह से गन्ना ज्यादा से ज्यादा उन्हें मिल सके, दूसरी परिस्थिति आज यह है कि मिलों को मना किया जा रहा है कि तुम जो गन्ना खेतों में खड़ा है वह सारा गन्ना न पेरो । अगर एक मन गन्ना ज्यादा पेरोगे तो १७ आने मन तुम पर जुर्माना होगा । इसी तरह से १५० दिन मिल चलाने को कहा जा रहा है । जब २०० दिन में पूरा गन्ना खपना मुश्किल हो गया था तो १५० दिन में कैसे खप जायगा ? तो माननीय मंत्री जी गौर से मेरी बात सुन लें । इस वक्त इस विधेयक में इन टैक्सों को कम करने की जरूरत है । क्यों कम करने की जरूरत है, यह मैं बता रहा हूं, जरा मेरी बात गौर से सुन लें ।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि खांडसारी का टैक्स कम किया गया तो खांडसारी वाले गन्ने के काश्तकारों का गन्ना ज्यादा खरीद सकेंगे । मैं भी चाहता हूं कि खांडसारी का उद्योग चले और खांडसारी ज्यादा बनाई जाय । उनके लिये तब रास्ता खुलेगा । इसी तरह से बड़े मिलों के लिये भी कहता हूं कि केन सेस जिसको कहा जाता है उसको ६७ नये पैसे क्विन्टल से ३ नये पैसा क्विन्टल कर दिया जाय । मैं यह इसलिये करना चाहता हूं कि आज यह बात कही जाती है कि शुगर की प्राइस ज्यादा है । चीनी की कीमत ज्यादा है । अगर चीनी की कीमत ज्यादा है तो चीनी की कीमत कम कैसे हो सके यह मैं निवेदन करना चाहता हूं जो इस विधेयक के अन्दर हो सकता है । चीनी ज्यादा है तो उसको कन्ज्यूम करने का प्रबन्ध अपने प्रदेश के अन्दर होना चाहिये । अगर उत्तर प्रदेश में कन्ज्यूम करना है तो जब तक चीनी की कीमत कम न हो तो कैसे उसकी खपत हो । चीनी की कीमत किस प्रकार से कम हो यह मैं संक्षेप में बतलाना चाहता हूं ।

अगर केन सेस जो २५ पैसे फी मन है उसकी जगह १ पैसा फी मन हो जाय तो श्रीमन, दो रुपया मन के करीब चीनी की कीमत गिर जायगी । इस समय जो चीनी की कीमत है उससे २ रुपया मन गिर जायगी । यह राज्य सरकार के हाथ में है । हिन्दुस्तान की सरकार के हाथ में नहीं है तो फिर हमारे सूबे में चीनी की खपत बढ़ सकती है । यह आप देखें कि इसमें सरकार का अहित नहीं है । अगर हमारे यहां गन्ना ५ करोड़ मन या ६ करोड़ मन सरप्लस कहा जाता है तो अगर वह हमारा कन्जम्पशन बढ़ गया और चीनी की खपत अपने प्रदेश में बढ़ी तो उन लोगों के कारखानों में भी बढ़ सकती है । जो १० रुपया ६९ नये पैसे एक्साइज ड्यूटी है वह एक मन चीनी से ज्यादा पर नहीं होगी । १० रुपया ६९ नये पैसा सरकार को जो ज्यादा मिलेगा उसमें से आधा भी यदि भारत सरकार के पास चला जाय तो भी हमारी सरकार के पास बहुत बचता है । तो १० रुपया ६९ नया पैसा फी मन ज्यादा चीनी बनकर सरकार की आमदनी बढ़ेगी । अगर ५ करोड़ मन गन्ना मान लिया जाय जो कि सरप्लस है और जिसको सरकार जलाना चाहती है या बरबाद करना चाहती है अगर उस ५ करोड़ मन गन्ने को फैक्टरी में पेर दिया जाय तो वहां पर पेरने के बाद ५ करोड़ मन गन्ने से ५० लाख मन चीनी तैयार होगी । ५० लाख मन चीनी पर १० रुपया ६९ नये पैसे फी मन सरकार के पास ज्यादा आयेगा । वह कितनी बड़ी रकम होगी इसका अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता है । सिर्फ इतनी बात हो सकती है कि सरकार को चीनी की कीमत कम करना पड़ेगी । अगर सरकार चीनी की कीमत को कम करेगी तो सूबे में उसका उपभोग ज्यादा होगा और उसका उपभोग बढ़ेगा । अगर चीनी का उपभोग बढ़ेगा तो भारत सरकार को कोई शिकायत नहीं होगी हमारे गन्ने की वृद्धि से । इसलिये ये बड़ी मोटी बातें हैं जो मैंने सदन के सामने रखीं और समझाने की कोशिश की ।

इसलिये मैं चाहता हूं कि सड़सठ नये पैसे की जगह पर ३ पैसा और १६ पैसे की जगह पर १ पैसा कर दिया जाय । इसलिये मैंने खांडसारी की बात को ऊपर नहीं रखा है कि कहीं हमारा

संशोधन गड़बड़ न हो जाय । इसलिये एक पैसे का जिक्र किया । माननीय जगदीशशरण जी और उस दल में बैठने वालों के मन में यह बात है कि यह टैक्स हटा दिया जाय । मैं समझता हूं कि इसी मजबूरी की वजह से कि कहीं अनियमित न हो जाय १ पैसा रखने से तो मैं यह चाहता हूं कि आज खांडसारी का लाइसेंन्सिग आर्डर ही खत्म कर दिया जाय और खांडसारी को खुली छूट दी जाय । अगर खांडसारी के लिये कुछ बन्धन लगाना हो किसानों के हित में, तो भी कीमत में छूट दें । इसके लिये इस विधेयक में कुछ नहीं है । पिछली दफा भी नहीं था और इस बार भी नहीं है । मैं समझता हूं यह अपने लिये ही पैसा लेने की बात है । तो मैं समझता हूं कि यह केवल अपने लिये ही पैसा लेने की बात है । अगर मेरी बात मान ली जाती है तो उससे इस सरकार को भी पैसा मिलेगा और किसानों का भी लाभ होगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप मेरे एमेन्डमेन्ट को मानकर पहला कदम तो उठाइये ।

श्री सुरथबहादुरशाह--देवरिया के माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत जो एक्साइज ड्यूटी के घटाने का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये मैं मान्यवर की आज्ञा से दो शब्द कहना चाहता हूं । श्रीमन्, इस समय सन् ६२ का चुनाव नजदीक होने पर भी, इस सरकार की कुर्सी को सुशोभित वह लोग कर रहे हैं जिन्हें न तो विज्ञान से वास्ता है और न वे लोग खेती ही को जानते हैं । अपने पीछे हाथ उठाने वालों की तादाद जानते हुये यह लोग इस बात को सोचना भी नहीं चाहते कि हम लोगों के कहने में कोई तत्व भी है या नहीं । वे केवल यह जानते हैं कि वह आदेश देंगे तो उनके पीछे दुगने या तिगुने लोग हाथ उठायेंगे ।

श्रीमन्, मैं गन्ने का काश्तकार हूं और मैं विज्ञान का स्टूडेन्ट या छात्र भी रहा हूं.....

(व्यवधान)

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--वाह वाह.....

श्री सुरथबहादुरशाह--आप जरा समझिये । जो वैज्ञानिक या मेडिकल रिकमेन्डेशन्स हैं हमारे जीवन के लिये उसको देख लीजिये । हमारे जीवन के लिये कम से कम एक छटांक कार्बोहाइड्रेट की खुराक चाहिये और उसकी बेहतर शक्ल चीनी है । मगर आज आपके मुल्क में औसत प्रति व्यक्ति चीनी एक चौथाई छटांक भी नहीं पड़ती । अब उसको पहुंचाने के लिये दो ही शक्लें हैं । पहली शक्ल है जनता की purchasing power यानी खरीदने की क्षमता बढ़ाइये या दूसरी शक्ल यह है कि आप चीनी के दाम घटाइये । चीनी के दाम इस वक्त घटाने में आपको यश मिल सकता है और उसका आसान तरीका यही है कि एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाय ।

मान्यवर, मैं एक्साइज ड्यूटी के विषय में कुछ अर्ज करना चाहता हूं जो इस सरकार के मिनिस्ट्रान महोदय भूले बैठे हैं । वह यह है कि एक्साइज है क्या चीज ? उसकी इब्तदा या ओरीजिन क्या है ? एक्साइज इज प्रोटेक्टिव ड्यूटी अर्थात् रक्षा हेतु लगाई जाती है । एक्साइज ड्यूटी इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन के लिये लगाई जाती है, सरकार के खजाने में पैसा बढ़ाने की नीयत से नहीं लगाई जाती । सन् १९२८ में क्या हुआ ? जापान का फारेन कपड़ा यहां इतना ग्लट हो गया या भर गया कि हमारे यहां के लूम्स, जो कपड़ा बनाने वाली मशीनें हैं वह उससे मुकाबला नहीं कर सकीं, इस वास्ते उनको बचाने व प्रोत्साहन देने के लिये उनकी जीवन रक्षा करने के लिये एक्साइज ड्यूटी लगाई गई । १९२९ में क्या हुआ ? जावा की शुगर इतनी सस्ती आने लगी कि यहां की चीनी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, इस वास्ते यहां की शुगर इंडस्ट्री को बचाने व प्रोत्साहन देने के लिये, उसकी जिन्दगी कायम रखने के लिये और यहां के इंडस्ट्रियलिस्टस उद्योगपतियों को मजबूत करने के लिये शुगर प्रोटेक्शन ड्यूटी एक्साइज के नाम पर लगाई गई । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सोचें कि इस समय जो एक्साइज ड्यूटी है उसका मौलिक आधार क्या था । उसका यह सिद्धान्त नहीं था कि खर्चा करने के लिये सरकार के पास कोई रकम आवे, बल्कि अभिप्राय यह था कि वह बहैसियत

[श्री सुरथबहादुर शाह]

प्रोटेक्शन और बचाव के लागू की जावे जिससे इंडस्ट्री पनपे और फूले-फले, वह आज पनप नहीं पा रही है ।

एक तरफ प्रधान मंत्री द्वारा कहा जाता है कि "आराम हराम है" और "प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिये", लेकिन उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल कहता है कि यहां प्रोडक्शन ज्यादा हो गया और उसमें कमी होनी चाहिये । एक छटांक चीनी जबकि एक आदमी को जिन्दा रखने के लिये जरूरी है, वह नहीं मिल पा रही है और जबकि चौथाई छटांक भी दुर्लभ है उस हालत में यह कहां तक उचित होगा कि ऐसी पालिसी अपनाई जाय ? अगर सरकार अवाम को परचेजिंग कैपेसिटी, खरीदने की क्षमता बढ़ाती है तो मुझे प्रसन्नता होती है । लेकिन अगर वह नहीं बढ़ाई जा सकती है तो दूसरा तरीका यह है कि जो चीज मुहइया या प्राप्त हो वह सस्ती मुहइया हो । उसके लिये माननीय सदस्य, देवरिया, श्री गेंदासिंह जी, के कटौती के प्रस्ताव को कबूल करें, इसलिये कि मौका है, और आय कर सकते हैं । सरकार ने ६७ पैसा रखा है, इसको वह १६७ पैसा भी कर सकती थे, उनके पीछे लोग हैं, वह मंजूर भी करा सकते थे । यह सरकार की बद-किस्मती है और हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास इतने हाथ उठाने वाले नहीं हैं . . . .

एक सदस्य—जो हैं, वह भी चले गये ।

श्री सुरथबहादुरशाह—लेकिन हम उस दल के सदस्यों की तरह नहीं हैं जो यहां महज हाथ उठाने और पीछे बैठने के लिये आते हैं, हम आते हैं अक्ल देने और समझाने हेतु ।

श्री उपाध्यक्ष—आर्डर, आर्डर । इस तरह से आप एक दूसरे पर कटाक्ष न करें ।

श्री एस० जी० दत्त—मेरी प्रोटेस्ट है इनके कहने पर । हम इनको कई बार सिखा सकते हैं, मेरे शागिर्द कई निकलेंगे जो इनको पढ़ा सकते हैं, ये जो कहते हैं कि हम अक्ल सिखाने आते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—वह मुनासिब नहीं है । आप तथ्यों पर प्रकाश डालिये ।

श्री सुरथबहादुरशाह—मैं इसको आक्षेप नहीं समझता हूं । अपनी अक्ल और दूसरे की दौलत का हर एक को गलत अन्दाज होता है । हमारे कानपुर के सदस्य जो कहते हैं तो वह बुजुर्ग हैं, लेकिन जितना वह अपने को बुजुर्ग समझते हैं उतने नहीं हैं । संभव है वह मुझ से केवल ५-६ साल ही बड़े निकलेंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—बुरा क्या है, टोक देते हैं तो दामन तो थाम लेते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—आप विषय पर बोलिये ।

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, विषयान्तर तो सब उधर से हुआ, मैं तो विषय से कभी हटा नहीं । यदि मैं टोका जाऊं तो मुझे भी उत्तर देने का अधिकार है । उस पर भी विषय से असंगत होकर मैंने कुछ नहीं कहा ।

मान्यवर, मैं एक्साइज ड्यूटी के ओरिजिन या इब्तिदा के सम्बन्ध में अर्ज कर चुका । अब मैं मंत्री जी से आजिजी के साथ यह अर्ज करूंगा कि वह जो १० फीसदी रिडक्शन इन प्रोडक्शन, उद्योग को घटाने की बात कर रहे हैं उसको ईश्वर के लिये छोड़ें । जो प्रोडक्शन इस समय है वह सिर्फ यही नहीं कि कम न हो बल्कि उसको बढ़ाना चाहिये । सरकार की यह आर्गूमेन्ट या दलील चूंकि चीनी का स्टाक एक्यूमुलेट हो गया है लिहाजा अब ज्यादा चीनी बनाना नहीं चाहिये, लिहाजा एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करना चाहिये, अनुचित है, इस तरह लिहाजा लिहाजा करने का नतीजा यह होगा कि गन्ने के काश्तकारों पर ही यह तलवार अंत में गिरेगी । तो मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते तो जो चीज उनकी जिन्दगी के लिये बहुत जरूरी है उसकी कीमत घटाने का प्रबन्ध करें ।

पहनने की चीज और खाने की तथा मेडिकल फैसिलिटीज में बड़ा अन्तर होता है । इस वक्त मौका है और एक्साइज ड्यूटी को घटाया भी जा सकता है । अगर सरकार यह सोचती हो कि चूंकि यह सुझाव विरोधी दल की तरफ से आया है इसलिये इसको नहीं मानना चाहिये तो सरकार अपनी पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव को ला सकती है, उसको स्वीकार करने में हमें कोई एतराज नहीं होगा । अगर आप अपने को मुल्क की बहबूदी के हामी मानते हैं तो आपको इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिये । चूंकि इससे हानि के बजाय लाभ बहुत होगा ।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का मैं समर्थन करता हूं और उसका कारण यह है कि इसका प्रभाव गन्ना बोने वाले किसानों पर पड़ेगा । आप जानते हैं और सरकार जानती है कि अंग्रेजी शासन में चीनी के दामों में से जो किसान को दाम मिलता था उसका अनुपात २२ प्रतिशत था लेकिन आज १५ वर्ष जब कि स्वराज्य हुए हो गये किसान को चीनी के दामों का एक-तिहाई मिलता है । इतना बड़ा नुकसान किसान का हुआ है । इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और उसके जरिये निवेदन करता हूं कि मंत्री जी जरा इस पर गौर करें ।

एक किसान के एक एकड़ खेत का लगान ४ रुपया होता है । अगर वह उसमें गन्ना बोता है और अगर वह उसको किसी फैक्ट्री अथवा किसी क्रशर वाले के हाथ बेचता है तो उसको काफी पैसा टैक्स के रूप में दे देना पड़ता है । मैं यह जानता हूं कि नई प्रणाली के अनुसार कोई खास बढ़ोत्तरी उसके टैक्स में नहीं हो रही है । क्विंटल पौने तीन मन का होता है और जब कि मन पर २५ नया पैसा टैक्स था तो अब ६७ नया पैसा रखा जा रहा है क्विंटल पर । तो एक एकड़ में ४०० मन गन्ना अगर हुआ तो उसको १०० रुपये टैक्स के रूप में दे देना होगा । जो किसान गन्ने की खेती करता है उसको इतना बड़ा टैक्स कोई कम नहीं है । यह किसी सरकार के लिये जायज नहीं है कि ४ रुपये लगान की जमीन वाले से १०० रुपया टैक्स ले । इसका प्रभाव गन्ने की कीमत पर भी पड़ता है । क्योंकि जिस समय चीनी का दाम मुकर्रर किया जाता है तो केन सैस, मजदूरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी इन सब चीजों का खयाल किया जाता है । अगर यह टैक्स न लगाया जाये तो किसान को गन्ने का दाम ज्यादा मिले और उपभोक्ता को चीनी सस्ते दामों पर मिले । आज जो चीनी का दाम है और जो किसान को गन्ने का पैसा मिलता है वह सब इन टैक्सेज के कारण ही कम मिलता है । इससे किसान की हिम्मत टूट जाती है । लेकिन यह सरकार जनहित के नाम पर और गन्ने की सप्लाई को नियंत्रित करने के नाम पर इस टैक्सेशन को जायज समझती है । जब किसान फैक्टरी को गन्ना नहीं देता था तो विभिन्न टैक्सेज के रूप में उसको २७ प्रतिशत देना पड़ता था और ७३ प्रतिशत उसको मिल जाता था लेकिन आज उसको केवल २३ प्रतिशत ही मिलता है । इसलिये मेरा कहना है कि इस तरह से आप गन्ना किसानों का भला नहीं कर सकते चाहे आप अपने मुंह से कुछ भी कहा करें ।

अभी-अभी अग्रवाल साहब ने कहा था कि खांडसारी पर से केन्द्रीय सरकार ने टैक्स समाप्त कर दिया है लेकिन अगर यह बात सही है तो खांडसारी वालों पर यह टैक्स लगाने की बात क्यों कही जाती है । अगर आप घरेलू उद्योग धंधों को पनपाना चाहते हैं तो आपको इस टैक्स को हटाना होगा । हमारे प्रदेश में जितना गन्ना पैदा होता है उसका अधिकांश भाग गुड़ और खांडसारी में जाता है । अगर हम उनके ऊपर के हर प्रकार के टैक्स को खत्म कर देंगे, उन्हें हर प्रकार के धंधों से मुक्त कर देंगे तो फिर कोई परेशानी गन्ना बोने वाले किसानों पर नहीं आयेगी, चाहे वह गन्ना मिल में ले जायं, चाहे क्रशर लगावे, चाहे कोल्हू लगावे, वह अपना गन्ना पेर कर अपना काम सुचारु रूप से चला सकता है । सरकार रूप परिवर्तन करके क्विंटल के रूप में इस टैक्स को लेने जा रही है लेकिन उससे गन्ने के किसानों का भाव चार आना प्रति मन बढ़ जायेगा । नये संशोधन के अनुसार खांडसारी वाले गन्ने पर १६ नये पैसे और फैक्टरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

वाले गन्ने पर आप ६७ नये पैसे क्विंटल करने जा रहे हैं जिसका प्रभाव गन्ना किसानों पर अच्छा नहीं पड़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव के अन्दर यह संशोधन पेश करता हूं कि "६७ नये पैसे" क्विंटल की जगह "३ नये पैसे" और "१६ नये पैसे" की जगह "१ नया पैसा" कर दिया जाय ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मैं तो एक दो बात कहना चाहत हूं । कहता तो सरकार के हित की हूं लेकिन मेरी सारी बातें अन्धे की मालूम पड़ती हैं क्योंकि जब कुसमय आता है तो सच्ची बात सुनने में भी बुद्धि काम नहीं देती । अच्छे समय में ही बुद्धि काम देती है । यदि आपकी बुद्धि काम करे तो बुरे दिन नहीं आ सकते हैं । बुरे दिन तब आते हैं जब बुद्धि बिगड़ती है । तो इस सरकार की बुद्धि भी बिगड़ गयी है, और इसकी समझ में कुछ न आवे तो मैं समझाऊं क्या ? "विनाश काले विपरीत बुद्धिं", विनाश के समय बुद्धि बिगड़ जाती है ।

गांधी जी ने हमसे कहा था—"गांवों में जाओ और कृषकों तथा मजदूरों से कह दो कि किसान जो चीज पैदा करेगा उस पर उसका पूरा अधिकार होगा । अपने गल्ले की कीमत का, हिसाब का उसे पूरा अधिकार होगा । वह हिसाब लगायेगा कि दो आदमी खेती में रहे, जब पानी की सिंचाई की गयी तो तीन रहे, फिर उसे काटा गया, उसे खलिहान में लाया गया, फिर हिसाब लगा कर रुपये का ब्याज लगायेगा, लगान का हिसाब लगायेगा, खाने का हिसाब लगायेगा, रिश्तेदारी का, व्याह शादी का हिसाब लगायेगा और उससे जब बचेगा तब कहा जायेगा कि यह बाकी है । बाकी कहते हैं खाने पीने में, तथा और सब व्यवहार में खर्च करने के बाद जो कुछ बच जाय वही बाकी है । यदि उस बाकी में से टैक्स के रूप में गवर्नमेंट कुछ ले तब तो ठीक है । दूसरी बात गांधी जी ने कही थी कि उसको पूरा अधिकार होगा अपनी पैदा का भाग तय करने का । लेकिन कितने ताज्जुब की बात है कि किसान का गन्ना जो पैदा होता है उसका भाव दिल्ली और लखनऊ में तय होता है, आखिर यह क्या तमाशे की चीज है ? गांधी जी की बात तो सभी किया करते हैं लेकिन यहां कोई गांधीवादी नहीं है, यहां तो अवसरवादी और प्रतिक्रियावादी ही भरे पड़े हैं ।

गांधी जी ने एक चीज और कही थी कि हम अंग्रेजों से दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं, गोरी चमड़ी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी तो अंग्रेजों के कार्य से है । अंग्रेज या तो शासन करे या बनियागिरी करे । एक आदमी दो काम नहीं कर सकता, उसी तरह कोई सरकार दो काम नहीं कर सकती कि वह शासन करे, और बनियागीरी भी करे । इस तरह की कोई भी सरकार आज की दुनिया में नहीं ठहर सकती है और न कल ही ठहर सकती है ।

श्रीमन्, इस समय एक कहानी याद आ गयी है, उपाध्यक्ष महोदय, हम में आप में कोई झड़प तो हुई नहीं, यह तो कल हो गयी थी क्योंकि आप तो हमें कल भूल गये थे । मुझे यह कहानी याद आ गयी थी कि एक बार पांडवों से कहा गया कि फलां राजा के यहां से घोड़ा ले आओ । उस राजा ने कहा कि जो पांडव झूठ बोलेगा उसी को घोड़ा दूंगा । पांडवों ने भीम को उस राजा के यहां भेजा जहां पर उनको एक बिजार मिला जिसके आगे और पीछे दो मुंह थे । वह बिजार घास और चारा दोनों मुंह से खाता था लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता था और वह सदा भूखा ही रहता था । जब युधिष्ठिर को मालूम हुआ कि भीमसेन झूठ बोल कर घोड़े को लाया है तो उसने पूछा कि क्या बात है तो उसने बताया कि राजन् एक बिजार मिला है जो दो मुंह से खाता है लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता । अब भी वही कलयुग आ गया है जिसमें यह सरकार भी उस बिजार की तरह दो मुंह की है, जिसका कभी पेट ही नहीं भरता, हमेशा वह भूखी ही रहती है, किसानों पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, चीनी पर टैक्स लगाया जा रहा है । सरकार की मर्जी पर ही देश में अब त्योहार मनाये

जायेंगे, वह कहेंगी तो त्योहार होगा नहीं तो फाका होगा, सरकार मंजूर करेगी तो रिश्तेदार के लिये पूरियां बनगी और सरकार मंजूर करेगी तो रिश्तेदार को रात को सोने के लिये चारपाई दी जायेगी, जब सरकार मंजूर करेगी तो किसी को दूध पिलाया जा सकता है । इस तरह से यह निकम्मी सरकार देश को मार डालेगी ।

मेरी तो अपील है कि गन्ने के टैक्स को कतई हटा दिया जाय । आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय मुझे एक बात याद आ गई कि किसानों के साथ बहुत दुर्व्यवहार बढ़ रहा है, दुर्भिक्ष बाढ़, गरकी, सूखा की वजह से किसान बरबाद है । गन्ना बहुत कम रह गया है, वह गरकी में खत्म हो गया, किसान आज भूखा है उसके पास रहने की जगह नहीं, खाने को गल्ला नहीं है, उसके मवेशियों के लिये चारा नहीं है, ऐसी हालत में मैं चाहता हूं कि गन्ने से हर किस्म का टैक्स हटाया जाय । सन् ६२ में सरकार को किसान के सामने जाना है, वह अपनी नीति को सुधारे नहीं तो सन् ६२ में जनता उनको इस दुनिया से खो देगी और जिस तरह से भूत को दफनाया जाता है उस तरह से सन् ६२ में जनता इस सरकार को भी दफना देगी ।

*श्री रऊफ जाफरी—उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक संशोधन यह था कि ६७ पैसे की जगह ५० पैसे और १६ की जगह १२ पैसे कर दिया जाय और दूसरी तरमीम जो श्री गेंदा सिंह जी की है उसमें उन्होंने ६७ की जगह ३ पैसे और १६ की जगह १ पैसा रखने का प्रस्ताव किया है । इन तरमीमों के हवाले से बहुत सी बातें कहीं गईं लेकिन जो खास खास बातें कही गई हैं मैं सिर्फ उन्हीं के मुताल्लिक कुछ अर्ज करूंगा. . .

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, जरा मंत्री जी यह बता दें कि माननीय जगदीश शरण अग्रवाल ने जो कहा कि केन्द्रीय सरकार ने खांडसारी से टैक्स हटा दिया है वह सही है या गलत है ?

श्री रऊफ जाफरी—मझे ताज्जुब हुआ कि माननीय मोतीलाल जी का संशोधन तो यह था कि ६७ पैसे की जगह ५० पैसे कर दिया जाय और १६ पैसे की जगह १२ पैसे कर दिया जाय लेकिन इसी में वह यह बात भी ले आये कि वजन की जो तब्दीली की जा रही है उससे किसानों का नुकसान होगा जबकि इस संशोधन में केवल पैसे के घटाने की बता ही थी । मैं इसलिये वजन की बात में न जाकर सिर्फ पैसे की ही बात करना चाहता हूं । गेंदासिंह जी ने जो कहा है और जो उन्होंने कहा है, दोनों का एक ही में जवाब हो जायगा । बहुत सी ऐसे चीजें हैं, जैसे वह कह रहे थे कि अगर उनको छोड़ दिया जाय तो जरूर लोगों को इस वक्त थोड़ा सा फौरी आराम पता चलेगा । मसलन यह कम कर दिया जाय तो चीनी का दाम कुछ घट जायगा । लेकिन यह भी उन्हें मालूम है कि इस वक्त जो योजनायें चल रही हैं उनके सिलसिले में खर्च की जरूरत है । बराबर प्लानिंग कमीशन का इसरार रहता है कि हम अपने को टैक्स करें तभी वह हमारी मदद करेंगे । इससे पहले बहुत दफा बतलाया जा चुका है कि इसमें जो कुछ खर्चा आवेगा हमको भी उसमें काफी खर्चा करना पड़ेगा । ऐसे वक्त में आमदनी को घटा लेना किसी तरह सरकार के लिये मुमकिन नहीं है । उन्होंने एक हिसाब बतलाया जो मैं तो समझ नहीं सका । लेकिन यह बतलाया कि ऐसा हो जाय, कुल गन्ना मिलों में पिर जाय तो ५० लाख मन चीनी बनेगी, उसमें १० रुपये कुछ आने एक्साइज के मिलेंगे और उस वजह से हम बहुत घाटे में नहीं रहेंगे । जहां तक उसकी बात है, अगर सब गन्ना मिल में पेरा ही जा सकता, कैपेसिटी ही होती तो कोई बात ही नहीं थी । सवाल तो यह है कि वह उन मिलों में नहीं पिर सकता और उसके लिये इंतजाम करना पड़ेगा कि बाकी गन्ना किस तरह से खपाया जाय, खेत में खड़ा न रहे । तो यह बात कि चीनी बढ़ जाती और एक्साइज मिलता, मुमकिन नहीं है । गेंदासिंह जी हमेशा से चाहते हैं कि खांडसारी को छूट हो, गुड़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रऊफ़ जाफ़री]

को छूट हो, तो फिर वह सब गन्ना मिलों में पिरवाने के लिये कैसे तैयार हो गये, यह बात समझ में नहीं आई ।

श्री सुरयबहादुर शाह ने बहुत सदक देना चाहा और विज्ञान आदि की बातें कहीं । कुछ काबोंहाइड्रेट की भी बात कही, कुछ एक्साइज की भी कही । मेरे ख्याल में उन्हें कुछ कंफ्यूजन है । एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में जो फर्क होता है उसका उनको ध्यान नहीं रहा और एक्साइज ड्यूटी के बारे में वह बार-बार कह रहे थे, हालांकि यहां पर परचेज टैक्स का सवाल है । जो संशोधन है उसमें एक्साइज ड्यूटी का जिक्र नहीं है, सिर्फ परचेज टैक्स है । उन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी कहा उसमें भी कुछ कंफ्यूजन उन्हें रहा । उन्होंने एक्साइज ड्यूटी का ओरीजन बतलाया, पता नहीं उन्होंने उसे कहां देखा । कस्टम ड्यूटी प्रोटेक्टिव होती है । उन्होंने कहा कि जापा की चीनी जब आ रही थी तो यहां पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई । समझ में नहीं आया । उन्हें कुछ कंफ्यूजन था । लगाई गई थी कस्टम ड्यूटी, एक्साइज नहीं । इसी तरह से जापान के माल के ऊपर जो थी वह कस्टम ड्यूटी थी, एक्साइज नहीं । यह उन्हें कुछ गलतफहमी थी । बाकी काबोंहाइड्रेट की जो बात है अभी कुछ देर लगेगी । जितनी कैलोरीज लोगों को मिलनी चाहिये, उसमें देर लगेगी । योजनाएं हमें उस तरफ ले जा रही है । हमारा खाना और पहनावा आज बेहतर है । वह सब बातें तो हम कर रहे हैं और वह वक्त भी आ जाएगा कि जितनी हमारी जरूरत है वह पूरी हो सके । यहां जरूरत का सवाल आ गया, उसी सिलसिले में यह बात भी है, यह कहा जाता है कि रुपया जो हमने लिया था वह इसलिये लिया था कि डेवलपमेंट में खर्च करेंगे । तो यह डेवलपमेंट में तो खर्च ही हो रहा है । जो रुपया हम सेस से हासिल करते रहे, कुछ तो डायरेक्टली वहां पर सड़क बनाने वगैरह में खर्च करते हैं और जो बाकी होता है उसको अस्पताल स्कूल वगैरह में खर्च करते हैं । उन स्कूलों में उन्हीं किसानों के लड़के जाते हैं जो पढ़-लिखकर अच्छी खेती कर सकते हैं । वह भी एक तरीका डेवलपमेंट का है ।

तो जैसा मैंने अर्ज किया, इस वक्त सरकार के लिये यह मुमकिन नहीं है कि जो पुराना टैक्स था उसमें कमी करे । बढ़ाया कुछ भी नहीं है, यह मैं साफ कर देना चाहता हूं कि टैक्स बढ़ाया बिलकुल नहीं है । उसी २५ पैसे के हिसाब से लगाया गया है । हिसाब में, जब कंवर्जन होता है तो, कुछ घटा-बढ़ी हो जाती है, वही है । कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, जैसा कि पुजारी जी ने कहा । यह टैक्स वही है जिसको सदन पहले पास कर चुका है । आज भी अध्यादेश के सिलसिले में सदन ने जो मत जाहिर किया है उसमें भी वह बात थी । कहा गया कि हमारे पीछे वोट की ताकत है, तो यह तो जाहिर है, उसके लिये सभी कोशिश करते हैं, आप भी और मोतीलाल अवस्थी जी भी । आइन्दा ३, ४ महीने बतायेंगे कि किसको हासिल हो सकेगी, मैं उनकी तरह भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता क्योंकि मैं उनकी तरह पंडित तो हूं नहीं । ३, ४ महीने बाद पता चल जायगा कि किसानों का हित कौन ज्यादा देखता है, किसान इसका खुद जवाब देगा ।

तो हम टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं, वही है जो पहले था सिर्फ उसको कनवर्ट करने में जो फ्रैक्शन हुआ है वही है ।

एक सदस्य ने पूछा कि केन्द्रीय सरकार ने क्या टैक्स माफ कर दिया है ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ । बल्कि यह हुआ कि खांडसारी पर जो हम लगाये हुये थे वह हमने छोड़ दिया है, रेमिट कर दिया है ।

श्री उग्रसेन—पूरा या कुछ परसेंटेज ?

श्री रऊफ़ जाफ़री—पूरा जो ६ पैसे लगाते थे ।

श्री उग्रसेन—लाइसेंस टैक्स में कितना छोड़ा ?

श्री रऊफ जाफरी—उसमें भी एक तिहावा कर दिया गया ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—श्रीमन्, उन्होंने मुझे पंडित कहा तो मैं उनको बता दूं कि न मैं पंडित हूं, न मौलवी हूं, केवल एक सदस्य हूं, मोतीलाल अवस्थी । जो भविष्यवाणी मैंने की वह राजनीतिक आधार पर की और मैं फिर कहता हूं कि जनता इसको बतायेगी । इसमें कोई भविष्यवाणी का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह जनता की आवाज है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड १ (क) में शब्द "सड़सठ नये पैसे" के स्थान पर शब्द "तीन नये पैसे" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड २ (ख) में शब्द 'सोलह नए पैसे' के स्थान पर शब्द 'एक नया पैसा' रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में — ३५,

विपक्ष में — ९१ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ (१) की पंक्ति २ में शब्द 'सड़सठ' के स्थान पर शब्द 'पचास' रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ (२) की पंक्ति २ में शब्द 'सोलह' के स्थान पर शब्द 'बारह' रख दिया जावे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई०) तथा उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय-कर अधिनियम, १९६१ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९६१) को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये ;

विधेयक

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ राज्यपाल द्वारा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ के अधीन प्रख्यापित किया गया था,

उत्तर
प्रदे
संख्य
१९

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया ।

और यह आवश्यक तथा इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश को विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बताना जाता है :

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१ [The U.P. Sugarcane laws(Amendment)Bill, 1961] पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१ [The U. P. Sugarcane Laws (Amendment) Bill, 1961] पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—९८,

विपक्ष में—३८ ।)

प्रदेश में गन्ने की पेराई की समस्या के सम्बन्ध में विवाद

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, कितना समय मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—कुछ थोड़ा सा आज ले लीजिये, बाकी कल ।

श्री मदन पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से जो गन्ने के विवाद के संबंध में मैंने अपना प्रस्ताव भेजा था उसे पढ़ कर सुना रहा हूं :—

महोदय,

हम लोग पू० वि० धा० १०६ के अनुसार प्रदेश के गन्ना किसानों की वर्तमान वर्ष की गन्ने की पैदावार की पेराई की जो गंभीर समस्या, जो गन्ना विभाग के गत ३ वर्षों के औसत सप्लाई को ही वर्तमान वर्ष अधिकतम कोटा मानने तथा मिलों पर गत वर्ष के अनिस्चत १० प्रतिशत कम चीनी बनाने और अधिक बनाने पर उन्हें उत्पादन शुल्क लगाने वाला आदेश जिसके फलस्वरूप गन्ने की पैदावार गत वर्ष से अधिक होने पर भी चीनी मिलें गत वर्ष की भांति नवम्बर के प्रथम सप्ताह में न चलकर दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में चल रही हैं, पैदा हो गयी है । उस पर विवाद के लिये समय निर्धारण करने के लिये अनुरोध करते हैं ।

इस संबंध में जो टिप्पणी हम लोगों ने दी थी मैं उसे भी सदन की जानकारी के लिये पढ़ देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—सदन में शांति नहीं है, कृपया शांति स्थापित करें ।

श्री मदन पांडेय—उत्तर प्रदेश गन्ना तथा चीनी उद्योग इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, यह इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रदेश में सारे देश के गन्ना तथा चीनी उत्पादन का ५० प्रतिशत के लगभग होता है । इस वर्ष चीनी उत्पादन पर तथा गन्ने के कोटे पर सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाये गये हैं वे इस प्रदेश के गन्ना किसानों का गला घोटने वाले हैं । इस आदेश के अनुसार गन्ना किसानों द्वारा गत ३ वर्षों में सप्लाई किये हुये परिमाण के औसत को ही अधिकतम कोटा इस वर्ष के लिये माना जायगा । इसके अतिरिक्त वर्तमान वर्ष में यह भी प्रतिबंध चीनी मिलों पर लगाया गया है कि वे गत वर्ष की अपेक्षा १० प्रतिशत कम चीनी उत्पादन करें । अगर उससे अधिक उत्पादन होगा तो उत्पादन शुल्क दूना हो जायगा । सरकारी अनुमान के अनुसार भी बाढ़ से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होने वाली यह फसल इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक है । एक तरफ तो उत्पादित फसल को इस प्रकार नष्ट होने के लिये चीनी की पैदावार अधिक है इस नाम पर खड़ी छोड़ा जा रहा है क्योंकि पिछले वर्षों में गुड़ और खांडसारी उद्योग जो चीनी उद्योग की सुरक्षा भित्ति (सेफ्टी वल्व) हैं वह सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण नष्टप्राय हैं उसके अतिरिक्त गन्ने की खपत करने में असमर्थ हैं । साथ ही एक ओर तो उस प्रदेश के गन्ना किसानों तथा चीनी उद्योग का गला उस नाम पर घोटा जा रहा है कि चीनी का उत्पादन अधिक है तथा दूसरे देश के अन्य भागों में पूंजीपतियों को नई चीनी मिलें खोलने का लाइसेंस दिया जा रहा है ।

अतः इस विषय पर सदन को विचार करना नितान्त आवश्यक है ।

श्री उपाध्यक्ष—समय के बारे में आपने पूछा था । तो यह मोशन है, इसलिये २५ मिनट आप बोलेंगे । जितना आज समय है उतना आज बोलें और शेष कल बोलेंगे ।

श्री मदन पांडय—उपाध्यक्ष महोदय, गन्ना हमारे प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फस्ल है है जिसकी उपेक्षा अगर की जाय तो सारे उत्तर भारत की अर्थ व्यवस्था नेगलेक्ट होगी और उसके संबंध में एक ऐसी संकटापन्न स्थिति पैदा हो जायगी जो किसी भी सरकार के लिये एक भयंकर संकट का कारण बन सकती है । इस संबंध में अभी जो अध्यादेश और बिल पेश किया गया था और उसके बारे में जो बहस हुई थी उससे कुछ थोड़ा सा प्रकाश इस स्थिति पर पड़ता है। अभी दो दिन पहले की बात है कि हमारे साथी माननीय शिब्बनलाल जी और अन्य लोग माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले थे और उनसे उस समय हमने कहा था कि जो गन्ना विभाग से आदेश गये हैं और केन्द्रीय सरकार ने जो उत्पादन पर पाबन्दी लगा रखी है, वे ऐसे आदेश हैं जिनसे गन्ना के उत्पादन करने वाले २५–३० लाख किसानों की जिन्दगी मौत का सवाल पैदा हो गया है । इस पर उन्होंने कहा था कि सारे देश के पैमाने पर जो कुछ हो रहा है उसकी बात तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन इस प्रदेश के स्तर पर जो कुछ हो रहा है उससे हमें अपने तखमीनों को संशोधित करने की आवश्यकता पड़ रही है। उनका इस संबंध में कहना यह है श्रीमन्, इस प्रदेश में ४५ करोड़ मन गन्ना पैदा होगा, ऐसा उनका पहले अनुमान था । लेकिन बाद का अनुमान यह है कि ४० करोड़ मन के करीब ही रह जायगा ।

श्रीमन्, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी के कथन को ही सही मान लिया जाय कि पहले जो उनका अनुमान था उससे गन्ने की पैदावार की तादाद कम होगी, यानी पारसाल के बराबर गन्ने की पैदावार होगी तो भी मैं यह कहना चाहूंगा कि गन्ना विभाग का जो आदेश है उसको संशोधित किया जाना चाहिये और पिछले तीन साल के औसत के कोटे की जो पाबन्दी है उसको रद्द किया जाना चाहिए । लेकिन तखमीनों के संबंध में मैं मुख्य मंत्री जी के कथन से सहमत नहीं हूं । मुझे पूर्णरूप से इस बात का विश्वास है कि हमारे प्रदेश में इस वर्ष पारसाल के बनिस्बत गन्ने की अधिक पैदावार हुई है । अब यह प्रश्न विवादास्पद हो सकता है कि कितनी

[श्री मदन पांडेय]

अधिक पैदावार हुई है, लेकिन यह सही है कि इस साल अधिक गन्ने की पैदावार हुई है और उसको खपाने की समस्या हमारे सामने उपस्थित है। सरकार की जो इस संबंध में दाम नीति है उससे भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है।

अब श्रीमन्, सवाल यह है कि इस समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाय। बहुत सोचने समझने के बाद सबसे पहली बात की जानकारी जो मुझे आदरणीय सदन को करानी है और जैसा कि बहुत से साथियों ने पहले भी कई दफा कहा है उसी को मैं दुहराना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार के पास कोई स्थिर दाम नीति नहीं है। इसीके कारण गन्ने का संकट गल्ले का संकट और अन्य कई प्रकार के संकट हमारे यहां पैदा हो जाते हैं। हमारी सरकार की दाम नीति किसानों के साथ गला-घोटू नीति है।

इसके लिये श्रीमन्, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अगर सरकार अपनी जनहितकारिणी दाम नीति को स्थिर नहीं कर पाती है तो उसको सोशलिस्ट पार्टी के दाम नीति से संबंधित प्रस्तावों का अध्ययन करना चाहिये। गन्ने के जो उत्पादक हैं उनको उनके गन्ने का उचित मूल्य मिलना चाहिये। गन्ने की कीमत के अनुसार चीनी के दाम नियंत्रित होने चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की जानकारी के लिये तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—कई माननीय सदस्य सदन में खड़े हैं। आप लोग या तो बैठ जायं या बाहर चले जाने की कृपा करें।

श्री मदन पांडेय—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी की जानकारी के लिये मैं कुछ तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनकी बुनियाद पर सरकार को मालूम होगा कि उनकी चीनी तथा गन्ने संबंधी दाम नीति का क्या परिणाम हमारे प्रदेश के लोगों पर पड़ रहा है, जो गन्ना उत्पादक हैं। चीनी का उत्पादन हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में होता है। १९३३ और पहले भी हमारे यहां चीनी की मिलें देश में सबसे ज्यादा थीं और आज भी वही अनुपात है। १९३३ में हमारे देश में चीनी की ३१ मिलें थी और उनमें अधिकांश हमारे यहां थीं और आज भी हमारे यहां उसी रेशियो और प्रपोर्शन में हैं। गन्ना भी हमारा प्रदेश उसी अनुपात में पैदा करता है। अब भारत सरकर की नीति क्या रही है उसको मंत्री जी नोट करने की कृपा करें। १९३३ में जो रक्षात्मक प्रतिबन्ध बाहर की चीनी के दामों पर लगाये गये थे वही प्रतिबन्ध १९५२ तक रहे। लेकिन युद्धकाल में जो चीनी पर नियंत्रण लागू किया गया था उसमें १९५२-५३ में कुछ परिवर्तन किये गये थे। हमारे देश में चीनी का उत्पादन १०-११ लाख टन था और खपत उससे कहीं ज्यादा थी।

सन् ५३-५४ में हमने बड़ी तादाद में चीनी का आयात बाहर से किया था। उस समय हमारी सरकार को सबसे पहले एक नये प्रकार की नीति का अनुसरण करना पड़ा था और वह नीति यह थी कि हमारे घर का जो कन्जम्प्शन है वह इतना न बढ़ने पावे कि हमें बाहर से चीनी मंगाना पड़े। यहीं से सरकार ने किसानों की गला घोंटने वाली नीति शुरू कर दी। चीनी का दाम ज्यादा किया और गन्ने का दाम इस तरह किया कि पूंजीपतियों के हाथ में ज्यादा रकम जाय। इसका परिणाम यह हुआ कि चीनी हमें महंगी मिलने लगी और जो हमारा सबसे बड़ा मार्केट था वह होम कंजम्प्शन था, उस होम कंजम्प्शन में हम इसलिये पीछे रहे कि चीनी ज्यादा कीमत पर उसी वक्त से हमें उपलब्ध हो रही है। यह सरकार की दोषपूर्ण नीति है और मैं उसीकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज पिछले छः सात वर्षों की दोषपूर्ण नीति का नतीजा यह रहा है कि हमारे यहां चीनी की पैदावार बढ़ने लगी, सरकार की गला घोटनेवाली नीति के बावजूद भी क्योंकि यही एक ऐसी फसल है जो बाढ़ और सूखा की विभीषिकाओं को सहन कर सकती है। पर इनका सब से कम असर पड़ता है। इसलिये सरकार की इस नीति के बावजूद भी गन्ने की उपज एकड़ में भी बढ़ी और प्रति एकड़ उपज भी वृद्धि हुई है। इसको मानने से न सरकार को ही इन्कार करना चाहिये और न ही हम इन्कार करते हैं। जब

बाढ़ आदि की चपेट से बचने के लिये केवल एक ही फसल है जिसकी सुरक्षा हम कर सकते थे इसलिये सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने की योजनायें बनायीं। पैदावार बढ़ने का जो निर्णय किया था उसमें आशातीत सफलता मिली।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप समाप्त कर दें, आप कल बोलेंगे।

१९६१-६२ के द्वितीय पूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के द्वितीय पूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूं।

(इसके बाद सदन ४ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रथल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१५ नवम्बर, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५९ पर।)

UTTAR PRADESH MAKAN MALIK SANGH

Pradhan Karyalaya,
Ratnakar Bhawan,
Shiwala-Varanasi
Dated the 19th October, 1961.

MEMORANDUM

The Uttar Pradesh Makan Malik Sangh begs to submit the following Memorandum before His Excellency Sri Sri Prakasa, the Governor of Maharastra.

Your Excellency is the most prominent citizen of U. P. and have natural interest in the welfare of citizens of U. P., hence we take this opportunity to lay this Memorandum before your Excellency.

1. This is an organization of house-owners of U. P. which guards the natural citizenship rights of house-owners of this State and is pledged to persuade the Government and legislatures to repeal to the Control of Rent and Eviction Act (Act III of 1947), which has outlived its utility. We have members and branches in about a dozen cities of U. P.

2. We have, so far, contacted the leaders and M. L. A's of political parties like Jan Sangh, Praja Socialist Party and Swatantra Party and expressed to them our difficulties arising out of the Control of Rent and Eviction Act. They all agree that this Act now requires comprehensive amendments and the same will be considered by the new elected assembly after the General Election.

3. For the interim period we want some relief viz. :

A. The Control should be lifted from the "letting" of accommodations and accommodations taken for "non-residential" purposes.

B. Those who have constructed or own houses within the limits of Corporations, Municipalities or local bodies of the town they reside in, should be compelled to vacate the premises they are enjoying as rent-payers. And such premises may be released in favour of the owner.

C. All applications under Section 3 of this Act (requiring accommodation for personal need), should invariably be accepted.

D. The cases of rent and eviction should be tried summarily by the Court of Small Causes.

4. The house-owners feel that they are also the voters and their grievances should also be met with sympathy by the Government.

5. Your Excellency may be pleased to introduce our Association to the Hon'ble Sri Chandrabhan Gupta, Chief Minister of the Government of U.P. and recommend him to be sympathetic towards us.

(Sd.) RAM KRISHNA,
Mahamantri,
Uttar Pradesh Makhan
Malik Sangh.

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६४ पर)

	१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१—अ—संस्थापन	९,३००–००	९,३००–००	९,२००–००	९,५००–००	१०,५९७–००
आ—जिला कमेटियों को सहायक अनुदान ..	३,०००–००	३,०००–००	३,०००–००	३,०००–००	३,०००–००
इ—जिला कमेटियां कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ एवं बरेली के मुक्तबन्दी गृहों को सहायक अनुदान	२,०००–००	२,०००–००	२,०००–००	२,०००–००	..
ई—यात्रा व्यय सदस्य केन्द्रीय कमेटी एवं कर्मचारीगण	२,५००–००	२,५००–००	२,५००–००	२,५००–००	२,५००–००
उ—छपाई तथा लेखन सामग्री	१,३००–००	१,३००–००	१,३००–०००	१,३००–००	१,३००–००
ऊ—डाक व्यय	१,२५०–००	१,२५०–००	१,२५०–००	१,२५०–००	१,२५०–००
ए—पुस्तकालय—	१,०००–००	१,०००–००	१,०००–००	१,०००–००	१,०००–००
ऐ—सम्भाव्य व्यय	७५०–००	७५०–००	७५०–००	७५०–००	७५०–००
	२१,१००.००	२१,१००–००	२१,१००–००	२१,३००–००	२०,३९७–००
२—उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के गैर सरकारी जेल निरीक्षक के यात्रा व्यय संबंध में राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता ..	१०००–००	१०००–००	१०००–००	१०००–००	१,०००–००
३—इनके अतिरिक्त एक सहायक अनुदान कुल १,०५५ रु० की मार्च, १९६१ वर्ष १९६०–६१ में जो प्रोबेशन अफसर समिति में तैनात थे, उनके वेतन एवं यात्रा व्यय आदि संबंध में राज्य सरकार द्वारा दी गई। ..	..	..	..	..	..
४—वर्ष १९५६–५७ में भारत सरकार द्वारा एक ५०० रु० का अनुदान समिति को पत्रिका प्रकाशन संबंध में दिया गया ..	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८२ पर)

क्रम-संख्या	वर्ष	डेफ एन्ड डम्ब स्कूल, लखनऊ को स्वीकृत अनुदान				ट्रेनिंग कालेज फार टीचर्स आफ दि डेफ लखनऊ को स्वीकृत अनुदान			
		स्वीकृत अनुदान प्रदेशीय सरकार		केन्द्रीय सरकार		स्वीकृत अनुदान प्रदेशीय सरकार		केन्द्रीय सरकार	
		धनराशि	उद्देश्य	धनराशि	उद्देश्य	धनराशि	उद्देश्य	धनराशि	उद्देश्य
		रु०				रु०			
१	१९५८–५९	१५,०६०	सामान्य व्यवस्था ..	..	..	१५,८९८	सामान्य व्यवस्था	..	..
		३,०००	अतिरिक्त सामान्य व्यवस्था	..	..	५,३००	अतिरिक्त सामान्य व्यवस्था	..	..
		३,०००	ग्रुप हियरिंग एड क्रय करने के लिये	..	..	५,०००	भवन निर्माण ..	..	..
		६,८००	सामान्य व्यवस्था (उद्योग विभाग) द्वारा	..	..	३,६००	छात्रवृत्ति ..	..	..
	योग	२७,८६०			योग	२९,७९८			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२	१९५९–६०	१५,०६०	सामान्य व्यवस्था ..	६,५००	ग्रुप हियरिंग के लिये	९,९०२	सामान्य व्यवस्था	१६,७५०	भवन निर्माण हेतु
		६,८००	सामान्य व्यवस्था (उद्योग विभाग) ..	..	..	१,८००	छात्रवृत्ति ..	..	..
	योग	२१,८६०	योग	६,५००		११,७०२		१६,७५०	
३	१९६०–६१	१५,०६०	सामान्य व्यवस्था ..	..	..	५,३००	सामान्य व्यवस्था	..	..
		१,५००	अतिरिक्त सामान्य व्यवस्था ..	..	..	८,६००	अतिरिक्त सामान्य व्यवस्था	..	..
		८,८००	सामान्य व्यवस्था (उद्योग विभाग द्वारा) ..	..	..	४६,०००	भवन निर्याण ..	..	..
						२,४००	छात्रवृत्ति ..	..	..
	योग ..	२५,३६०				६२,३००			

अनुदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८२ पर)

श्री मान पान्डेय एवं श्री अब्दुल रऊफ लारी द्वारा विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६१ के ५वें बुधवार को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर में कही गयी सूची ।

संख्या	अधिकारियों के नाम	कब से	कब तक
	अधीक्षण अभियन्ता		
१	श्री हरि गोपाल वर्मा ..	.. कार्य के प्रारम्भ .. (१९-१२-५८)से	११-१२-५९
२	श्री यस ० यस ० शर्मा ..	१०-१२-५९	अब तक
	अधिशासी अभियन्ता		
१	श्री यस० यस० गोयल ..	कार्य के प्रारम्भ .. (१२-५८) से	४-७-६०
२	श्री देवराज अग्रवाल ..	५-७-६०	अब तक
	सहायक अभियन्ता		
१	श्री देव राज अग्रवाल ..	कार्य के प्रारम्भ .. (१२-५८) से	४-७-६०
२	श्री बी० के० श्रीवस्तवा ..	५-७-६०	अब तक
	ओवर सियर		
१	श्री राधेश्याम प्रथम ..	कार्य के प्रारम्भ .. (१२-५८) से	अब तक
२	श्री न० नाथ सिंह चौहान ..	जनवरी १९५९ ..	अगस्त ६०
३	श्री आर० आर०चौधरी ..	जनवरी, १९६१ ..	अब तक

नत्थी 'ङ'

(देखिय तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ट ८८४ पर)

बिक्री-कर से मुक्त हाथ से बनी वस्तुओं की सूची

१--चिकन का कपड़ा जो मिलों में न तैयार किया गया हो ।

२--मनुष्य एवं पशु श्रम द्वारा चालित घानियों पर पेरे गये खाने के तेल ।

३--हाथ का कता सूत ।

४--सींग के बने कंघे ।

५--हाथी दांत का सामान ।

६--संगमरमर का सामान ।

७--हथकरघे पर बनी निवाड़ ।

८--हाथ के बने चाकू और कैंचियां यदि उद्योग विभाग द्वारा गुणांकित (quality marked) हों ।

९--हाथ करघे पर बनाया गया सभी प्रकार का कपड़ा ।

१०--हाथ का छपा या कढ़ा हुआ कपड़ा ।

११--ऊनी कम्बल तथा हथकरघे पर निर्मित धुस्से ।

१२--नक्काशी किया हुआ लकड़ी का सामान (wood-carvings) ।

१३--भारत में निर्मित गणित सर्वेक्षण संबंधी उपकरण (mathemetical survey instruments) यदि उद्योग विभाग द्वारा गुणांकित (quality marked) हो ।

१४--हाथ का बना कागज ।

१५--हाथ का करघे या पिटलूम (pitloom) पर निर्मित दरियां ।

१६--चरखा और चरखे के भाग ।

१७--उत्तर प्रदेश में निर्मित कलाबत्तू अपने निर्माताओं द्वारा बेचे जाने की दशा में

१८--हाथ के चिकन के बने हुए वस्त्र ।

१९--हाथ करघे पर बने हुए कपड़े से बनाये गये झालदार या किनारे सिले हुए तौलिये तकिये के गिलाफ, मेजपोश, पलंग की चादरें तथा इसी प्रकार की अन्य चीजें ।

२०--हाथ से बना गोटा (निर्माताओं द्वारा बिक्री किये जाने पर ।)

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८६ पर)

अगस्त, १९६१ में शहर व देहात की सस्ते गल्ले की दुकानों पर आटा व गल्ले की बिक्री की तालिका—

सप्ताह	आटा			गेहूं			चावल नं० २			चावल नं० ३		
	क्यु०	कि०	ग्रा०	क्यु०	कि०	ग्रा०	क्यु०	कि०	ग्रा०	क्यु०	कि०	ग्रा०
पहिला—												
शहर	५४२	४०	४००	१५२५	८४	६००	३४	९७	५६०	९०९	४२	८००
देहात	१५	६५	००									
दूसरा—												
शहर	५६५	७३	४००	१५७५	६६	२००	३६	११	९६०	८८६	९१	४००
देहात	१५	५०	०									
तीसरा—												
शहर	४५१	४२	२००	१३५५	३१	२००	८९	४३	८१२	७४०	८६	९००
देहात	१५	८५	०									
चौथा—												
शहर	४८७	७९	५०२	१३४४	३	८३३	१०४	८७	५४८	१,०७७	२७	३२१
देहात	१६	०	०									

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२५२ एल० ए०—१९६२-८४५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा